राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 12वां दिवस [संख्या 10

शुक्रवार,

दिनांक 6 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात पर्यटन, सामान्य प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, ग्रामोद्योग, कारावास, विद्युत्, भेड़ व ऊन सहकारिता, कृषि, खनिज, राजकीय उपक्रम विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 233

श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामकुमार नन्दवाना !

चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों को सुविधायें

234. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या पर्यटन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ को पर्यटक केन्द्र बना रखा है ? यदि हां, तो सके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान कर रखी हैं ? यदि चित्तौड़गढ़ में पर्यटक विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं है तो क्या सरकार इस बारे में कोई विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि यात्रियों को चित्तौड़गढ़ में ठहरने व खाने आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण विदेशी यात्री यहां न आकर उदयपुर से ही वापस लौट जाते हैं और जो यहां आते हैं वे परेशान होते हैं ? यदि नहीं, तो उनके ठहरने को क्या व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है ?

(3) क्या सरकार मौजूदा टूरिस्ट ब्यूरो का जो आफिस है उस सरकारी सराय को यात्रियों के ठहरने लायक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्लान बनाया है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां । राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों के लिए निम्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं :--

(क) सरकार की ओर से एक पर्यटक सूचना केन्द्र खुला हुआ है जहां पर्यटक अधिकारी वहां के दर्शनीय स्थानों की विशेषताओं तथा अन्य जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध करता है।

Page No. 2

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(ख) पर्यटक अधिकारी वहां आने वाले पर्यटकों को निःशुल्क प्रचार सामग्री उपलब्ध करता है ।

(ग) दर्शनीय स्थानों के भ्रमण हेतु पर्यटकों के लिए एक पर्यटक भ्रमण वाहन वहां उपलब्ध है ।

(घ) पर्यटकों के लिए जलपान गृह की व्यवस्था भोपाल भवन एवं राजकीय सराय में उपलब्ध है और फतहप्रकाश महल में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करादी जायगी ।

(ङ) पर्यटकों के आवास हेतु भोपाल भवन को खरीदा गया एवं उसमें परिवर्तन कराया गया है ।

(च) राजकीय सराय चित्तौड़गढ़ में परिवर्तन कराया जाना एवं उसे सुसज्जित करवाया जाने का प्रस्ताव है ।

(छ) भोपाल भवन के समीप पर्यटकों की सुविधा हेतु पावर स्टेशन का खरीदा जाना ।

(ज) चित्तौड़गढ़ के जलपान गृह में पानी की सुव्यवस्था हेतु पम्प लगाना ।

(2) चित्तौड़गढ़ में यात्रियों के ठहरने हेतु राजकीय सराय एवं डाक बंगला उपलब्ध है जिसमें पर्यटक भी ठहरते हैं । विदेशी पर्यटक उदयपुर से वहां समुचित व्यवस्था न होने के कारण वापिस लौट जाते हैं और जो आते हैं वे परेशान होते हैं ऐसी सूचना सरकार को नहीं है । निकट भविष्य में चित्तौड़ में एक टूरिस्ट बंगला बनाने का भी प्रावधान है ।

(3) जी हां । सरकारी सराय को सुसज्जित करने एवं वहां फर्नीचर उपलब्ध करने हेतु 21,000) रुपये का प्रस्तावित प्रावधान है ।

श्री रामकुमार नन्दवाना : क्या यह सही है कि वहां ठहरने की व्यवस्था नहीं है ? आपने बताया कि भोपाल भवन में व्यवस्था की है । वहां तो सिर्फ 4 कमरे हैं । पूरी व्यवस्था नहीं है । क्या सरकार विचार नहीं रखती कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा भोपाल भवन में व्यवस्था है वहां 4 डबल बेड रूम्स हैं और 8 सिंगल बेड रूम्स हैं ।

श्री रामकुमार नन्दवाना : जो बाहर से पर्यटक आते हैं, क्या सरकार के पास उनका रेकार्ड रहता है कि कितने पर्यटक चित्तौड़गढ़ में आते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनका रेकार्ड रखा जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): साल में कितने पर्यटक बाहर के आते हैं और कितने लोकल आते हैं और क्या उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था का प्रबन्ध है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गत वर्ष 200 विदेशी और 27,000 देशी पर्यटक चित्तौड़ में आए ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इन 200 में से रात भर चित्तौड़ में कितने ठहरे ?

Page No. 3

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सूचना नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : नम्बर दो में आपने उत्तर दिया है कि विदेशी पर्यटक आते है, उदयपुर ठहरते हैं या चित्तौड़गढ़ ठहरते हैं इसकी जानकारी नहीं, तकलीफ होती है उनको, यह जानकारी नहीं। तो आपका विभाग क्या करता है ? क्या आपके विभाग का फर्ज नहीं है···

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि रात भर कितने ठहरे, यह जानकारी नहीं है। दूसरी बात आपसे निवेदन करूं कि चितौड़ में जो पर्यटक आते हैं, वे दिन भर घूमने के बाद, क्योंकि उदयपुर पास में 70 मील दूर है, उनको वहां ज्यादा सुविधायें हैं, वे उदयपुर में जाकर रात ठहरते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने दो में उत्तर दिया है कि वे परेशान होते हैं, ऐसी जानकारी सरकार को नहीं है और वापस उदयपुर चले जाते हैं या चित्तौड़गढ़ में ही ठहरते हैं। क्या आपके विभाग का कर्त्तव्य नहीं है कि उनकी असुविधाओं के बारे में जानकारी रखे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे कोई सूचना किसी प्रकार से शिकायत के रूप में नहीं मिली, शिकायत आए तो जानकारी करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि चित्तौड़गढ़ में असुविधायें हैं इसलिए नहीं ठहरते। उदयपुर नजदीक पड़ता है इसलिए वहां चले जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : विदेशी वहां रात ठहर सकें ऐसा प्रबंध है ? लोकल पर्यटक कितने आते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि 27,000 लोकल और 200 विदेशी पर्यटक गत वर्ष वहां गए। विदेशी पर्यटक ठहरते भी हैं और नहीं भी ठहरते हैं, दोनों बातें हैं, ठहरते हैं तो भोपाल भवन में व्यवस्था है। आगे के लिए टूरिस्ट बंगला जल्दी बनने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

मंत्रियों द्वारा दौरे

235. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल के निर्णय से अथवा मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा यह निश्चय किया गया था कि मंत्रीगण अपने दौरे में सरकारी गाड़ियों का उपयोग न कर अधिकांश में रेल द्वारा यात्रा करेंगे ? यदि हां, तो उस निर्णय या आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नीति के निर्धारण के पश्चात् क्या इसका पालन हुआ ? यदि हां, तो प्रत्येक मंत्री की रेल व कार द्वारा यात्रा के खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि मैंने प्रश्न मुख्य मंत्रीजी से पूछा है ? क्या श्री प्रद्युम्नसिंह मुख्य मंत्री हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उनके विभाग के उप-मंत्री हैं।

श्री विजयसिंह : खैर कोई बात नहीं है। क्या यह सही है कि मंत्रियों की गाड़ियां सारा दिन बेकार में फिरती रहती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : मंत्रियों को जो गाड़ियां एलाट हुई हैं, उन पर महीने में कुल कितना खर्च होता है पैट्रोल आदि पर ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अलग प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री विजयसिंह : संबंधित है। क्या आज तक मंत्रियों ने रेल में सफर किया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बहुतों ने किया।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या अकाल और बाढ़ की भयंकरता को देखते हुए मंत्रीगण महसूस करते हैं कि जहां तक हो सके रेलगाड़ी से ही जायं ताकि कार का खर्चा कम से कम हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ रहा था कि माननीय सदस्य कहने वाले हैं कि अकाल को देखने के लिए और बाढ़ को देखने के लिए जल्दी से जल्दी गाड़ियां भिजवाई जायं।

श्री विजयसिंह : क्या मंत्रियों की गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित प्रश्न नहीं है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन को देखते हुए क्या सरकार महसूस नहीं करती कि मंत्रियों के दौरे कम हों जिससे रुपए की बचत हो। इसके अलावा 35 मंत्रियों की संख्या घटाकर 12 करें जिससे दो करोड़ का फायदा सरकार को हो सके ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न अलग है, इससे संबंधित नहीं है ! उनके मन में इसका असर होना स्वाभाविक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

लघु उद्योग निगम

236. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लघु उद्योग निगम को सशक्त बनाने से लघु उद्योगों का विकास होगा ?

(2) क्या यह सही है कि इसे सशक्त बनाने और विकसित करने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से धन प्राप्त करने को चेष्टा करती रहती है ?

(3) यदि हां तो अब तक कितनी सफलता मिली ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(4) क्या यह भी सही है कि लघु उद्योग निगम लाखों रुपए इन्कम टैक्स में देता है ?

(5) यदि हां तो इसी रकम को निगम का विकास करने के लिए खर्च क्यों नहीं किया जाता ?

उद्योग उपमंत्री (श्री भीमसेन) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ऊनी मिलों की स्थापना के लिए 24 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ था।

(4) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा अब तक चुकारा किए इन्कम टैक्स के आंकड़े निम्नलिखित हैं, जो स्वतः वस्तुस्थिति को प्रदर्शित करते हैं :—

वर्ष 1961-62	रु.	5[illegible],332.50
वर्ष 196[illegible]-63	रु.	8,148.50
वर्ष 1963-64	रु.	84,220.00
वर्ष 1964-65		2,01,976
वर्ष 1965-66		1,68,631
वर्ष 1966-67		1,81,615

(5) नियमानुसार इन्कम टैक्स तो देना ही होगा। विकास योजनाओं पर बोर्ड विचार कर बोर्ड अपने प्रस्ताव भेजेगा। उस पर राज्य सरकार इस दृष्टि से विचार करेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इन्होंने मिलों के अलावा और किन किन स्थानों के लिये राशि मांगी थी ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसके सिवाय और किसी के लिये नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि निगम के द्वारा कुछ एक्जीबिशन्स विदेशों में भेजी गयी थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्या मेरी अपेक्षा अधिक जानती हैं क्योंकि वह बोर्ड की मैम्बर हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि एक्जिबिशन्स को बाहर भेजने का अनुकूल प्रभाव पड़ा है और आर्डर्स किये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो रकम इन्कम टैक्स में दी जाती है और बचती है उसको काम में लेते हुए बाहर विदेशों में एक्जीबिशन्स भेजने के लिये क्यों नहीं काम में लिया जाता ?

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार इन्कम टैक्स तो देना ही चाहिये और देना होगा। यदि बोर्ड अपनी ओर से प्रोपोजल्स भेजेगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय आगे कदम उठा सकते हैं कि एक्जीबिशन को बाहर विदेशों में भेजने के लिये विचार करें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन है कि बोर्ड अपना प्रस्ताव तो भेजे। बाहर भेजने के लिये बोर्ड प्रस्ताव भेजेगा तो हमें एतराज नहीं होगा।

Page No. 6

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री मूलचन्द डागा :

फिजिकल एजुकेशन कालेज, जोधपुर के आचार्य

237. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में फिजिकल एज्युकेशन कालेज, जोधपुर में वर्तमान आचार्य कौन हैं और उनकी क्या योग्यतायें हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि वे केवल एक विद्यालय निरीक्षक ही हैं ? यदि हां, तो उनको इस पद पर क्यों लगाया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि श्री भोपालसिंह नामक व्यक्ति एम. ए. डी. पी. एज्युकेशन, एम एस. (यू.एस.ए.) फिजिकल एज्युकेशन में सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने उन्हें 10 हजार रुपया लोन देकर फिजिकल एज्युकेशन की ट्रेनिंग के हेतु यू. एस. ए. भेजा था ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

(5) क्या यह सत्य है कि श्री भोपालसिंह ही फिजिकल एज्युकेशन कालेज, जोधपुर के उपयुक्त आचार्य नियमानुसार हो सकते हैं ? यदि हां, तो फिर उनको इस पद पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि वे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 10 जुलाई 1958 को सिलेक्ट किये जा चुके हैं ?

उपमंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) फिजिकल एज्युकेशन कालेज, जोधपुर में वर्तमान आचार्य श्री भोपालसिंह हैं । उनकी योग्यतायें एम. ए. डी. पी. एड एम. एस (यू. एस. ए.) हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां । 26 अगस्त, 1960 को और 1.7.61 को पुनः अपने पद पर लौटे । उन्होंने पूरी ट्रेनिंग प्राप्त की ।

(5) प्रशासनिक असुविधा के कारण पहिले उनको नियुक्त नहीं किया गया था अब उन्हें आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

(6) वे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप आचार्य पद के लिये चयनित हैं न कि आचार्य पद के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 238

श्री लादूराम सुलानियां ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 239

श्री सूरजमल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाडा ।

चमड़े के कारखाने

240. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने चमड़े के कारखाने कहां कहां पर हैं ? इन कारखानों

(श्री केसरीसिंह हाडा)
में मूल पूंजी कितनी लगी थी ?

(2) क्या राजस्थान में युगोस्लाविया के सहयोग से सरकार द्वारा चमड़े का कारखाना खोलने की योजना है ?

(3) क्या राज्य मंत्री बेलग्रेड समझौते पर हस्ताक्षर करने 7-8-68 को गये थे ?

(4) यदि हां, तो उनके साथ कितने आदमी गये थे और कुल कितना खर्च हुआ है ?

(5) यह कारखाना कितनी लागत से बनेगा और किस स्थान पर लगेगा।

(6) इसकी सालाना आय क्या होगी ?

उप मंत्री उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राजस्थान में चमड़े का कोई बड़ा कारखाना नहीं है। वैसे कई छोटे 2 काम करने वाले संस्थान हैं जो उद्योग की श्रेणी में नहीं हैं न वे पंजीकृत हो हैं राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत भी ऐसा कोई उपयोग नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पूंजी की जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां, योजना विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) इस कारखाने में 80 लाख की पूंजी लगाने की संभावना है। यह कारखाना टोंक में स्थापित किया जावेगा।

(6) इस उद्योग के पूरी क्षमता से चलने पर 15 से 20 लाख रु. प्रतिवर्ष की आय का अनुमान है।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह योजना किस स्तर पर सरकार के विचाराधीन है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : युगोस्लाविया की फर्म से बातचीत चल रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। आने पर कार्यवाही की जावेगी। टोंक में इस फैक्टरी के लिये जमीन का चयन किया जा चुका है।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह योजना भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित हुई थी या राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से उठाया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से प्रस्तावित किया था।

श्री केसरीसिंह हाडा : आपके पास क्या माप दंड है ? किस प्रकार से टोंक में ही यह फैक्टरी खोलने का राजस्थान सरकार ने विचार किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जैसे मैंने निवेदन किया राजस्थान में पशुओं की संख्या काफी है और यहां का कच्चा माल मद्रास में काम में लाया जा रहा है इसलिये राजस्थान सरकार ने सोचा कि राजस्थान में इस प्रकार की फैक्टरी स्थापित की जा सके ताकि यहां पर जो रा मेटिरियल है वह काम में लिया जा सकता है। टोंक इसके लिये उपयुक्त स्थान है।

श्री केसर सिंह हाडा : मैंने यह पूछा था कि किस आधार पर ? क्या वहां पर मवेशी ज्यादा मरते हैं या मंडी है या ज्यादा चर्मकार हैं या बिजली के और पानी के साधन ज्यादा हैं या भूखमरी ज्यादा है या

(श्री केसरीसिंह हाडा)
बेकारी ज्यादा है ? किस माप दंड पर यह निर्णय लिया कि टोंक में खोला जाय ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : आपने जो भी बातें कही हैं वे सारी की सारी वहां हैं। उनको ध्यान में रख कर सर्वे करवा कर यह किया गया है।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या सरकार यह नहीं समझती है कि वह बूंदी को हमेशा उपेक्षा करती आयी है। पास में कोटा होने से सारे लोग कोटा में चले गये हैं और बूंदी में बेकारी फैली हुई है। ऐसे उद्योग बूंदी में क्यों नहीं खोले जायं जिससे वहां के लोगों को रोजी रोटी मिल सके ?

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर सरकार कोआपरेटिव सेक्टर में एक शुगर फैक्टरी खोल रही है और जहां तक आपकी यह राय है कि बूंदी की उपेक्षा की है यह आपकी राय है सरकार को ऐसी राय नहीं है। सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। पिछले वर्षों में बूंदी में दूसरे सैक्टर्स में जितने काम हुए हैं दूसरी जगह कम हुए है।

श्री केसरीसिंह हाडा : बिजली की, पावर की जहां सुविधा है वहां ऐसी योजनायें खुलती हैं तो आपने कोई मेहरबानी नहीं की।

श्री हरिदेव जोशी : चम्बल किसने बंधाई ?

श्री केसरीसिंह हाडा : रेगिस्तान होता तो आप खोल लेते क्या ? मेरा निवेदन है कि सीमेन्ट का वहां अच्छा उद्योग खुल सकता है। सरकार ने उपेक्षा की। सरकार ने कहा कि रेल आवेगी, रेल नहीं आयी। सीमेन्ट फैक्टरी भी वहां से चली गयी और कारखाने न होने से सारे लोग बेकार हैं। आकर्षण है जंगल, जिनको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया लेकिन उपेक्षा सरासर है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को एक बार नहीं पिछले सत्र में भी दो बार जवाब दे चुका हूं सीमेन्ट फैक्टरी स्टेट सैक्टर में नहीं खोल सकते। कोई एन्टरप्रिन्यूअर खोलना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। आप किसी को लाइये हम उसको इजाजत देंगे।

श्री केसरीसिंह हाडा : रेलवे का आपने आश्वासन दिया था या नहीं चुनाव से पूर्व ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं !

श्री केसरीसिंह हाडा : जी हां :

श्री हरिदेव जोशी : आपने दिया होगा।

श्री केसरीसिंह : मैंने नहीं दिया श्री रामसुभगसिंह जी ने दिया।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे अच्छी तरह से मालूम है रामसुभगसिंह जी आये तो यह कहा था कि सर्वे करवा कर इकोनोमिकल हुआ तो विचार किया जावेगा। आपने सुना उनको ?

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंने सुना था उनको। सभा में तो मैं मौजूद नहीं था। लेकिन उन्होंने यह कहा था।

श्री हरिदेव जोशी : अब फाइनली कह दिया है कि रेलवे लाइन नहीं होगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : चर्म का कारखाना खुलेगा वह प्राइवेट सैक्टर में खुलेगा या पब्लिक सैक्टर में ?

श्री हरिदेव जोशी : पब्लिक सैक्टर में।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 241.

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह।

जेल एडवाइजरी कमेटियां

242. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जेल एडवाइजरी कमेटियां कब कब व कहां बनीं व उनके मेम्बर्स पब्लिक की तरफ से इस वक्त कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ये कमेटियां कितने सालों के लिये बनती हैं और उनमें पब्लिक के आदमियों को लेने के लिये क्या नियम हैं ? इन नियमों की कापी सदन की मेज पर रखें ? यदि नियम बने हुए नहीं हैं तो ये नियम कब तक बना दिये जायेंगे ?

उप मंत्री जल (श्री खेतसिंह) : (1) राजस्थान में जेल एडवाइजरी कमेटियां नहीं बनी हुई हैं बल्कि जेल एडवाइजरी बोर्ड अवश्य बने हुए हैं। सन् 1950 में राजस्थान के डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर स्थित कारागृहों में बोर्ड बनाये गये थे। इसके पश्चात् सन् 1958 से राजस्थान के केन्द्रीय कारागृहों व जिला कारागृहों पर भी ऐसे बोर्डों का गठन किया गया था। गैर सरकारी सदस्य जो इन बोर्डों में इस समय नियुक्त हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जेल एडवाइजरी बोर्ड तो एक दफा ही बनाये जाते हैं लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति इन बोर्डों में एक वर्ष की अवधि के लिये ही की जाती है। बाद में सरकार इस अवधि को एक वर्ष या उससे कम समय के लिये और भी बढ़ा सकती है। गैर सरकारी सदस्य अधिकांश में लोक सभा के सदस्य या विधान सभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किये जाते हैं। नियम बने हुए हैं और संशोधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : मुझे इसकी कापी नहीं मिली है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इस तरह के बोर्ड कहां कहां बने हुए हैं ?

श्री खेतसिंह : मैने उत्तर दिया कि केन्द्रीय और जिला कारागृहों पर बोर्ड बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि इस बोर्ड में एक ही पार्टी के अधिकांश सदस्य लिये जाते हैं और विरोधी दल के सदस्य नहीं लिये जाते ?

Page No. 10

श्री खेतसिंह : यह बिलकुल सही तो नहीं है। यह हो सकता है कि सरकार जिसको योग्य समझे उनको इस बोर्ड में नियुक्त कर दे।

श्री भैरोंसिं : क्या यह सही है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर एम. एल. एज. की उपेक्षा की गई है और विशेष तौर से विरोधी दल के एम. एल. एज. की ?

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि किस डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर विरोधी दल के एम.एल.एज को जेल एडवाइजरी कमेटी पर लिया गया है ?

श्री खेतसिंह : मैंने लिस्ट पेश कर दी है, उसको पढ़ेंगे तो मालूम हो जायगा। इस लिस्ट से यह तो मालूम नहीं होता कि कौन से दल के मेम्बर हैं। एक कस्तूरमल शाह हैं, अब यह नहीं मालूम कि वे किस दल के हैं। एक अवतार नारायण हैं जो रिटायर्ड कमिशनर हैं। अब यह नहीं मालूम कि उनके भाव जन संघ के हैं या किस के हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो भावना आपकी है वही उनकी है। आपने कहा है कि विधायकों को लिया जायगा लेकिन जयपुर जेल एडवाइजरी बोर्ड पर किसी एम.एल.ए. को नहीं लिया गया, इसलिये कि वे सभी विरोधी दल के हैं और कांग्रेस के नहीं हैं।

श्री खेतसिंह : यह तो आपका कयास है

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या कारण है इनको न लेने का ? या तो आप कह दीजिये कि वे सब अयोग्य हैं तो हम मान लेंगे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) ये जरूरत से ज्यादा योग्य है इसलिये नहीं लिये गये।

श्री खेतसिंह : मैंने दो नाम बताये, दोनों न तो विधायक हैं और न एम. पी. हैं। आपने जो चार नाम बताये वे चारों तो जयपुर शहर के हैं, यह जरूरी नहीं है कि चारों मेम्बर जयपुर से ही लिये जायें। जयपुर में कांग्रेसी विधायक भी तो हैं, रामकिशोरजी हैं, नवल किशोर जी हैं, राव धीरसिंह हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो बनाये हैं वे सब के सब कांग्रेस के सदस्य हैं उनको ही बनाया, विरोधी पक्ष वालों को नहीं बनाया।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : कहां बनाया ? सब को कहां बनाया ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो कांग्रेसी नहीं है उनको नहीं लेते।

श्री भैरोंसिंह : ये तो चौमू के हैं, चौमू जेल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मंत्री महोदय भी किसी जेल में है ?

श्री खेतसिंह : वह तो आपके सामने विधान सभा में बैठा है। आपको पोलिया हो गया है।

श्री विजयसिंह : क्या मंत्री महोदय किसी जेल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य है ? मैंने तो यह पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न

रेवदर तहसील में कृषि कार्य के लिये बिजली

243. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): [श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेवदर तहसील में कृषकों को खेती के लिये बिजली देने की योजना थी ? अगर हां, तो वह योजना कब बनाई गई थी ? वह क्या योजना थी ?

(2) रेवदर तहसील में ऐसे कृषकों को कृषि के लिये बिजली देने की योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की थी, अब यह योजना किस स्तर पर है ?

(3) वह योजना अब कब तक कार्यरूप में परिणित कर दी जायेगी ? रामपुरा उन्नत कृषि फार्म पर बिजली कब तक पहुंचा दी जायेगी ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) जी हां, सन् 964–65 और 66–67 में एक डीजल स्टेशन लगाकर मन्डार तक लाइन खींच कर रेवदार, मन्डार, वासना, मगरीवाडा एवं परमान ग्रामों का विद्युतिकरण करने की थी। इन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(2) पावर हाऊस को क्षमता कम होते एवं धनाभाव के कारण कनेक्शन एवं उपभोक्ताओं की ओर से औपचारिकता की पूर्ति न होने के कारण अभी कोई योजना नहीं है। इन अभाव की पूर्ति होने पर तदनुसार योजना बनाकर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रामपुरा ग्राम का विद्युतिकरण नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : यह बिजली कौन से पावर हाउस से दी जा रही है ?

श्री खेतसिंह : रेवदर के पावर हाऊस से, यह प्रश्न के उत्तर में दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : रामपुरा में कब तक बिजली की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री खेतसिंह : प्रश्न 3 के उत्तर में निवेदन किया है, निश्चित तौर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि धन अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

ऊन वर्गीकरण केन्द्र जोधपुर में खरीद में गड़बड़ी

244. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऊन वर्गीकरण केन्द्र जोधपुर में कोई ऐसी ऊन भी पकड़ी गई जिसके खरीदने में विभागीय अधिकारी ने गड़बड़ की ? यदि हां तो किस किस अधिकारी ने व इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

(3) उपरोक्त मामला विभाग के नोटिस में आने बाद आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उपरोक्त ऊन में सरकार को नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जायेगी ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) उपरोक्त ऊन को खरीदने वाले अधिकारियों ने जो वजन बताया था वह कितना था और वर्गीकरण करने वाले विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्गीकृत ऊन का कितना वजन बताया गया ?

उप मंत्री भेड़ ऊन विभाग (श्री हरिसिंह): (1) इस प्रकार की शिकायत आने पर विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

(2) जांच जारी है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी।

(3) जांच के परिणामस्वरूप यदि हानि पाई गई तो नियमानुसार वसूली की जावेगी।

(4) इस बारे में पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं है इस बारे में एक समिति गठित की गई है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही वांछित जानकारी दी जा सकती है।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या यह सही है कि इस केस में किसी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया है ?

श्री हरीसिंह : सबसे पहले इसकी एनक्वायरी ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा करवाई गई बाद में विभागीय कार्यवाही की गई। अब किन किन को सस्पेंड किया है उनका नाम लेना इस वक्त उचित नहीं।

एक माननीय सदस्य : सस्पेन्ड किया है या नहीं, यह तो बतायें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट से जांच को जाकर जांच रिपोर्ट सरकार को दी गई है ?

श्री हरिसिंह : अभी नहीं दी गई है। 24–2–68 को एक कमेटी नियुक्त की गई है जिसमें असिस्टेन्ट डाईरेक्टर, शीप एण्ड वूल भी है और डिस्ट्रिक्ट आफिसर जोधपुर भी हैं, और वूल ग्रेडिंग आफिसर जोधपुर भी इसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 26-8-68 को दी है जिस पर पुनः विचार करके सरकार को रिपोर्ट दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं मिली ? उन्होंने जो जांच की उसकी रिपोर्ट नहीं मिली ?

श्री हरिसिंह : ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो किसको होगी ? उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ऊन के सम्बन्ध में तो जानकारी आपको होनी चाहिए।

श्री हरिसिंह : यह शिकायत डाइरेक्ट ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को की गई थी। विभाग ने तो अपनी तरफ से अलग एनक्वायरी चलाई इसलिए ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को विभाग की तरफ से लिखा गया था कि वे ऊन की खरीद के बारे में जांच करें।

श्री हरिसिंह : विभाग द्वारा नहीं लिखा गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्तमान कृषि मंत्री जब इसको सम्हाले हुए थे

Page No. 13

(श्री भैरोंसिंह)
तो उन्होंने इस सदन में सारे मामले की जांच करवाकर एक्शन लेने का आश्वासन दिया था ?

श्री हरिसिंह : यह तो माननीय कृषि मंत्री बता सकते है।

श्री भैरोंसिंह : कृषि मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था इस हाउस में कि जांच करवायेंगे।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : जांच तो डिपार्टमैंटल तरीके से हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : आपने ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के लिये कहा था।

श्री शोभाराम : ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है यह तो मुझे नहीं मालूम उस महकमे के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : आपने कहा था कि जो गड़बड़ होगी उसकी जांच करवायेंगे और अगली सैशन में बता देंगे। आपने ऐसा कहा था।

श्री दौलतराम सारण : इस मामले में कोई अधिकारी अब तक सस्पेंड हुआ है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है।

श्री हरिसिंह : अभी तो चार्जेज प्रूव नहीं हुए।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि सस्पेंड हुए या नहीं। चार्जेज नहीं पूछ रहा हूं। यह कोई पोशीदा चीज तो है नहीं। सस्पेंड किया है तो बता दें।

श्री हरिसिंह : मुझे बताने में ऐतराज नहीं है। लेकिन 15 दिन के अन्दर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जायगी, और जिन जिन के खिलाफ चार्जेज होंगे और जो जो दोषी होंगे उन पर ऐक्शन लिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि अभी तक राज्य सरकार ने या विभाग ने किसी अधिकारी को सस्पेंड किया है या नहीं। यह बताने में क्या ऐतराज है ?

श्री हरिसिंह : इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री दौलतराम सारण : तो क्या यह माना जाये कि अभी तक किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है ?

श्री हरिसिंह : जब तक पूरी एनक्वायरी नहीं होगी······

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब हालत है। मैं पूछ रहा हूं कि किसी को सस्पेंड किया क्या तो आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्री हरिसिंह : इस बात का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जयपुर और जोधपुर के लिये चार-पांच महीने के अन्दर तय कर देंगे और अब कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। इस तरह मंत्री होकर आश्वासन देकर भी नहीं देखें तो बड़े शर्म की बात है।

Page No. 14

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
यह डिपार्टमेंट पर भी धब्बा है कि इतनी लापरवाही बरतते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या यह सही है कि श्री देवराज बजाज, जो डिपो इन्चार्ज मारकेटिंग थे और जिन्होंने इस ऊन को खरीदा था, उनका ट्रान्सफर करके पशुपालन विभाग में भेज दिया गया है ?

श्री हरिसिंह : यह ट्रान्सफर का प्रश्न है। मुझे याद नहीं कि कैसे हुआ ? यह प्रशासनिक कारणों से किया गया होगा ? लेकिन इससे आप क्यों सम्बन्ध जोड़ रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : यह इसी केस से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न। श्री केदारनाथ।

पेन्शन के मामले

245. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू के परियोजना विभाग के भूतपूर्व भार सहायक बाट व माप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से किस किस का पेन्शन का मामला कितने दिनों से विचारार्थ है तथा उनके अभी तक फैसला न होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी चूरू को निदेशक उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग राजस्थान के बार बार रिमाइन्ड करने पर भी अभी तक पेंशन के फैसले 2 साल हो जाने के उपरान्त भी नहीं हुए ? सम्बन्धित अधिकारी जिन्होंने इस कार्य की पूर्ति नहीं की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

(3) क्या इस कार्य के लिए सतर्कता विभाग को भी सूचना दी गई ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) :

( ) केवल एक रतनगढ़ के श्री गोरधन व्यास का पेन्शन का मामला सन् 65—66 से विचारार्थ है। इस मामले में अभी तक फैसला न होने के कारण इस प्रकार हैं:—

(क) यह व्यक्ति भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के नागरिक रसद विभाग में टाट पट्टी क्लर्क था और उस विभाग में दिनांक 21—10—48 से 30—4—56 तक कार्य किया। पेन्शन के लिए इस व्यक्ति की इस समय की सेवा का सत्यापन करवाने में कुछ समय लगा जो अब पूरा हो चुका है :

(ख) इनका वेतन निर्धारण यू.पी.एस. 1950 आर.पी.एस. 1956 आर.पी.एस. 61 व आर.पी.एस. 1966 में कराने के लिए विभिन्न विभागों को लिखना पड़ा और उसके फलस्वरूप अभी तक उपरोक्त वेतन निर्धारण होना शेष है।

(ग) चूंकि यह व्यक्ति शुरू से रिटायरमेन्ट तक किसी पद पर स्थायी नहीं था और स्थायी होने पर ही पेन्शन का हकदार हो सकता था इसलिए इसको स्थायी करने की कार्यवाही के लिए किसी रिक्त स्थान की तलाश की गई और फिर इसका उस पद पर स्थायीकरण किया गया।

(2) चूंकि इस केस में कोई एक अधिकारी ही संबंधित नहीं है बल्कि इसको पूरा

(श्री भीमसेन)
के लिए इस केस को विभिन्न कार्यालयों को भेजना पड़ा, इसके कारण विलम्ब हुआ इसके कारण विलम्ब के लिए जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार एन्टीसिपेशन पेंशन देने का विचार नहीं रखती ? या एडहाक पेन्शन देने का कोई विचार सरकार नहीं करती ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसके आदेश दे दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बीरबल।

गंगानगर जिले की शिक्षण संस्थाएं

246. श्री बीरबल (सांगरिया सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कितने महाविद्यालय, हायर सेकेण्डरी व हाई स्कूल और मिडिल व प्राईमरी स्कूल हैं ? तहसीलवार ब्योरा मय स्थान के बताये ?

(2) किस किस हायर सेकेन्डरी स्कूल में साइंस की शाखाएं चालू हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में एक भी महा विद्यालय नहीं हैं ? यदि हां तो क्या कस्बा टीबी में महाविद्यालय कायम करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ? अगर हां, तो कब तक कायम किया जा सकेगा ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में केवल एक हायर सेकेन्डरी स्कूल कस्बा टीबी में है और इसमें भी साइंस की शाखा स्थापित नहीं की गई है ? यदि हां तो सरकार वर्ष 1968 में साइंस की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं है ? यदी हां, तो इस क्षेत्र में किसी स्थान पर हाई स्कूल खोलने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में केवल 4 मिडिल स्कूल हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सन् 1968 में संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार इस जिले में नई स्कूल खोलने में टीबी तहसील को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ताकि स्कूलों की संख्या, श्रेणी आदि के सम्बन्ध में जो इस तहसील और अन्य तहसीलों में अन्तर है उसे मिटाया जा सके ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बीरसिंह):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अलावा पंचायत समिति क्षेत्रों में पड़ने वाली प्राथमिक शालाओं की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति 2	संख्या 3
1.	श्री करनपुर	95
2.	पदमपुर	78

(श्री वीरसिंह)

1	2	3
3.	रायसिंह नगर	170
4.	सूरतगढ़	96
5.	श्रीगंगानगर	84
6.	सादुलशहर	69
7.	हनुमानगढ़	78
8.	नोहर	91
9.	भादरा	70

(2) निम्न राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं :—

1. गंगानगर
2. करणपुर
3. सूरतगढ़
4. मिरजावाला
5. विजयनगर
6. पदमपुर
7. सादूलशहर
8. माबारामपुरा

(3) श्री गंगानगर जिले की तहसील टीबी के समस्त क्षेत्र में कोई महाविद्यालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीबी में कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार से है जिसको देखते हुए महाविद्यालय चालू करना उचित प्रतीत नहीं होता है:—

कक्षा	6	7	8	9	10	11	योग
संख्या	57	44	36	43	23	17	220

(4) तहसील टीबी के क्षेत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है और उसमें साइन्स कक्षाएं चालू नहीं हुई हैं और न ही ग्रामवासियों एवं प्रधानाध्यापक की ओर से विज्ञान विषय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव आया हुआ बताया जाता है।

(5) तहसील टीबी क्षेत्र में तलवाड़ा झील के स्कूल को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु भवन की अनुपयुक्तता एवं क्रमोन्नत किये जाने वाले स्कूलों की मेरिट में न आने के कारण नहीं खोला जा सका।

(6) तीन उच्च प्राथमिक शालायें : (1) मोरकाड़िया, (2) कुलचन्द व (3) तलवाड़ा झील में पहले से ही हैं इस वर्ष मिरजेवाली मेर व झावर में नवीन क्रमोन्नत किये गये हैं।

(7) अगले वर्ष यदि प्रावधान हुआ तो अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ यदि इस क्षेत्र से भी प्रस्ताव प्राप्त हो तो उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का भी ध्यान रखा जायेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बीरबल : उपाध्यक्ष महोदय, टीबी में केवल एक ही हायर सैकेन्डरी स्कूल है उसमें भी साइंस जैसे विषय की कक्षाएं नहीं हैं ?

श्री वीरसिंह : मैंने निवेदन किया है कि कोई प्रस्ताव नहीं आया आपके यहां से साइंस की कक्षा खोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवीदत्त गाडिया :

Page No. 17

बिजली के सामान की चोरी

247. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 में राजस्थान विद्युत् मंडल के अजमेर क्षेत्र के विद्युत् विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध बिजली के सामान को गायब करके, चोरी से बेच देने से संबंधित जांच पुलिस विभाग द्वारा की गई है ?

(2) यदि हां, तो पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) इस बिजली के सामान की चोरी में किन किन कर्मचारियों का हाथ है और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस मामले में कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारियां भी की गई है यदि हां तो कब और किस किस व्यक्ति की गिरफ्तारी किस किस जुर्म में की गई ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) :—

(1) जी हां ।

(2) पुलिस द्वारा जांच की रिपोर्ट मण्डल को अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) इस विषय में निश्चत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । अभी तक 16 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है जिस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(4) जी हां, पुलिस द्वारा सात व्यक्तियों को, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है । जुर्म के बारे में मण्डल के पास सूचना नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सामान की चोरी की यह 1967 की घटना है और मेरी सूचना के आधार पर यह निश्चित है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल के पास पुलिस की, केकड़ी के थानेदार की, अजमेर के एस. पी. की जांच रिपोर्ट आई है । राज्य सरकार के पास आई है और उस जांच रिपोर्ट को दबाया जा रहा रहा है इसलिये कि इसमें एक असिस्टेन्ट इंजीनियर इन्वाल्वड है, जो किसी मन्त्री का रिश्तेदार है, उस नाते उसको दबाया जा रहा है । मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सारे मामले को देखें और जांच रिपोर्ट, पुलिस की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । विद्युत् मण्डल के पास भी जांच रिपोर्ट आ गई है ।

श्री खेतसिंह : जैसा कि मैंने निवेदन किया है विद्युत् मण्डल के पास जांच रिपोर्ट नहीं आयी है । मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि दिनांक 22-5-68 को यहां से, अध्यक्ष विद्युत् मण्डल ने भ्रष्टाचार के जो महा निरीक्षक हैं, उनको रिपोर्ट की है । उन्होंने इसकी जांच की है । उसका क्या नतीजा हुआ, यह हमें मालूम नहीं है । अभी तक 16 आदमियों के खिलाफ विभागीय जांच की गयी है । जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह जल्दी से जल्दी किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न के रूप में पूछें

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने उपमन्त्री जी भ्रष्टाचार विभाग की रिपोर्ट नहीं मांगी है। प्रारंभिक जांच, जो वहां के थानेदार ने, अजमेर के एस. पी. ने की है, वह जांच रिपोर्ट मांग रहा हूं। इसके लिये आप क्यों इन्कार कर रहे हैं। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट नहीं मांग रहा हूं। पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांग रहा हूं।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया है, पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस जांच करके मुकदमा, केस चलायेगी, तब यह साबित होगा। यह सवाल आप पुलिस विभाग से पूछें तो वे बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गंभीर मामला है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पुलिस ने इसकी प्रारंभिक जांच की है। जांच रिपोर्ट भेजी है। मैंने अपने प्रश्न के द्वारा मांग की है कि इसे सदन की मेज पर रखा जाये। इसमें आपको क्या आपत्ति है? या तो प्रश्न कोस्थगित किया जाये। यह प्रश्न गंभीर है। पुलिस की रिपोर्ट मेज पर न रख कर मामले को दबा रहे हैं। इसलिये दबाया जा रहा है कि बड़े बड़े असिस्टैन्ट इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इसमें इन्वाल्वड हैं। बिजली विभाग का लाखों रुपयों का सामान मध्य प्रदेश, पंजाब में जाकर बिका है। बिजली के तार, गर्डर, किसानों से बरामद हुई है। एक एक लोहे के गर्डर के किसानों ने 450) रु. दिये हैं। इसलिये इसको दबाया जा रहा है। मैं मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वे पुलिस की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): पुलिस की रिपोर्ट आ गई तो भी सदन की मेज पर नहीं रखी जायेगी। जो वास्तविक स्थिति है, वह अभी आपको बता दी गई है। कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में लिखा है कि किस प्रकार से केकड़ी से, राजमहल से बिजली का सामान चोरी गया है। वहां बिजली के असिस्टेन्ट इन्जीनियर श्री माथुर थे। उन्हीं का चोरी के मामले में हाथ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी यह बता दिया गया है कि पुलिस को जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी नहीं है। इसका केस चलाया जा रहा है। कुछ की जमानतें हुई हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा यह निवेदन है। कृपया बताव कि किन किन को गिरफ्तार किया? यह नहीं बताया कि वे लाइनमैन थे, या ऑफिसर। यह मौन रखा जा रहा है। क्या कोई हैड क्लर्क था? जिसका इस चोरी में हाथ था और वह फरार है। उसका क्या हुआ? यह सारा मामला गम्भीर है। इसको दबाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे प्रश्न का क्या रहा?

श्री उपाध्यक्ष : इन्वेस्टीगेशन हो रहा एफ. आर. दे दी है अनुसन्धान स्टेज पर है।

श्री देवीदत्त गाडिया : किस किस कर्मचारी के खिलाफ इन्वेस्टीगेशन चल रहा है उसमें ओवरसियर है, असिस्टेंट इन्जीनियर है या कौन कौन है ?

श्री खेतसिंह : मैं माननीय सदस्य के लिये मैं सात नाम बता देता हूं जिनकी लिस्ट मेरे पास है। श्री अब्दुलहादी, श्री आसानन्द श्री गंगाराम, श्री हरिदेव लक्ष्मण।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये कौन हैं किन पोस्ट्स पर हैं ?

श्री खेतसिंह : ये सातों कौन से पद पर हैं इसकी सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय। प्रश्न संख्या 248।

भूतपूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार की रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति

248. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री हरिनारायण गुप्ता, भूतपूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर को उनके रिटायरमेंट के बाद 10-9-62 को राजस्थान सरकार की राय लेकर सहकारी विभाग ने अलवर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में मैनेजर के पद पर एक साल के लिए लगाया था ?

(2) क्या यह सही है कि इन्हें छः माह बाद ही हटाने के लिये सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के डाईरेक्टर्स का एक शिष्ट-मण्डल जिसकी अध्यक्षता श्री शोभाराम जी कर रहे थे, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों व राजस्थान सरकार से मिलकर इन्हें छः माह बाद ही हटवा दिया ?

(3) क्या यह सही है कि गुप्ता को बाद में राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक के तत्काल अध्यक्ष श्री कुम्भाराम आर्य ने इन्सपेक्टिंग आफिसर के पद पर नियुक्त किया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री आर्य के बाद बैंक के अध्यक्ष श्री शोभाराम बने और उन्होंने श्री हरिनारायण गुप्ता को राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक के उप-नियम की धारा 32 के तहत गलत व गैर कानूनी तरीके से 24-9-63 को बैंक की सेवा से हटा दिया जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था ?

(5) क्या यह सही है कि श्री गुप्ता को श्री शोभाराम उक्त बैंक के अध्यक्ष ने जो गलत तरीके से हटाया था उसके लिए सहकारी अधिनियम के तहत मामला आरबीट्रेशन बोर्ड को भेजा गया था ?

(6) क्या यह सही है कि आरबीट्रेशन बोर्ड ने 1-2-65 को अपना निर्णय दिया कि श्री हरिनारायण गुप्ता को गैर कानूनी तरीके से और मेलाफाइड इन्टेंशन से हटाया था और जो श्री गुप्ता को 24-9-63 के आदेश हैं उसे निरस्त किया गया और उसकी बैंक सर्विस कण्टीन्यू मानी गई और उनको

(श्री गंगासहाय)
समस्त पिछला वेतन अदा करने का फैसला दिया गया ?

(7) क्या यह सही है कि आरबीट्रेशन बोर्ड के उपरोक्त फैसले से पीड़ित होकर बैंक ने उपरोक्त फैसले के विरुद्ध रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के यहां उपरोक्त फैसले को निरस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया ?

(8) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने 20-9-65 को अपना फैसला दिया जिसमें कि उन्होंने बैंक के प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया और आरबीट्रेशन बोर्ड के फैसले को बहाल रखा ?

(9) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार ने उपरोक्त फैसले से पीड़ित होकर बैंक ने इस फैसले के विरुद्ध जोधपुर हाई कोर्ट में रिट पीटिशन पेश की और साथ ही बोर्ड आफ आरबीट्रेशन के फैसले को कार्यान्वित न करने के लिए स्टे एप्लीकेशन पेश की ?

(10) क्या यही सही है कि 6-3-66 को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बैंक स्टे एप्लीकेशन को मिस कन्सीव्ड कहते हुए खारिज कर दी ?

(11) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्टे एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद भी श्री गुप्ता को बोर्ड आफ आरबीट्रेशन के फैसले के अनुसार न तो बढ़े हुए वेतन की रकम ही मांगने पर अदा की और श्री गुप्ता के ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश करने पर भी बैंक में इन्सपेक्टिंग आफिसर के पद पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दी ?

उप मंत्री सहकारी विभाग (श्री रामदेव सिंह) : इस प्रश्न से सम्बन्धित मामले सब-जुडिस हैं। कुछ को-आपरेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, कुछ सिविल जजी में चल रहे हैं इसलिये विधान सभा में उत्तर दिया जाना उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आईदानसिंह।

हायर सेकेन्डरी स्कूल जालोर का भवन

249. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर हायर सेकेण्ड्री स्कूल के भवन निर्माण हेतु 40,000 रु. का जन सहयोग सरकार के पास जमा करा दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अब एक लेबोरेटरी रूम और दो कमरे साइन्स ब्लाक के लिए जन सहयोग से बनाये जावें, वर्ना साइन्स सेक्शन बन्द कर दिया जावेगा।

(3) क्या यह सही है कि स्कूल भवन का हाल बनते समय ही टूट गया था और अभी तक वैसे ही पड़ा है ? अगर हां, तो क्या कारण है ?

उप मंत्री शिक्षा, (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां।

(2) अपर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रधानाध्यापक जालौर को सूचित किया गया है कि वे जन सहयोग से प्रयोग शाला के निर्माण हेतु जनता से सम्पर्क स्थापित करें तथा निर्धारित आकार की प्रयोगशाला बनाई

(श्री धीरसिंह)
जाय अन्यथा विज्ञान विषय उनकी शाला से हटा दिया जायगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार पर नहीं होगी। जालोर हायर सैकण्ड्री स्कूल में प्रयोगशाला नहीं है तथा इसे बोर्ड की शर्तों के अनुसार बनवाना आवश्यक है। अभी इससे जन सहयोग द्वारा बनाने की कोई प्रगति नहीं है।

(3) जी हां। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसकी विभागीय जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है और अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री आईदानसिंह : यह जन सहयोग कब प्राप्त हुआ ?

श्री धीरसिंह : 40 हजार प्राप्त हुए लेकिन तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री आईदानसिंह : साल बता दीजिये !

श्री धीरसिंह : तारीख और साल नहीं है।

श्री आईदानसिंह : सन् 1958 में 20 हजार बाई चैक सन् 1959 में 19 हजार बाई चैक।

श्री धीरसिंह : यह भवन निर्माण का काम कब शुरू हुआ इसकी तारीखों की जानकारी नहीं है। साइन्स ब्लाक का कान्स्ट्रक्शन हुआ या नहीं यह मुझे जहां तक जानकारी है अभी इसमें जन सहयोग द्वारा बनाने की कोई प्रगति नहीं हुई है। बाकी स्कूल भवन के हाल के गिर जाने की उसके बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग जांच कर रहा है। उसके बाद जो भी दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपको यह पता नहीं स्कूल भवन का हाल कब गिरा भवन गिरने के कारण क्या थे यह भी आपको पता नहीं तो आपके अधिकारियों ने आपको क्या सूचना दी है ? उपाध्यक्ष महोदय पूरी सूचना नहीं है। इसे स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। श्री नन्दलाल बैरवा।

सीमेंट का कारखाना

250 श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी से 7 मील दूर पर सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

(2) क्या यह कारखाने के लिये राज्य सरकार किसी उद्योगपति को लाइसेन्स दे चुकी है या देने का इरादा रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सीमेन्ट फेक्टरी को सरकार के द्वारा ही स्थापित करना चाहती है ?

(4) क्या इस सीमेन्ट फेक्टरी को चौथी योजना में लिया जा रहा है ?

उप मन्त्री खनिज (श्री भीमसैन): 1 जी हां।

(2) भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

(3) जी नहीं।

(श्री भीमसेन)

(4) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्याणमल मीणा। प्रश्न संख्या 251

मिडिल स्कूल ईटून्दा के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच

251. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाज पुर सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल ईटून्दा ने विकास पंचायत ईटून्दा के नाम की रसीद बुकें बिना पंचायत की स्वीकृति के छपाई ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक ईटून्दा श्री मोहनलाल ने छात्रों को टी. सी. देते समय उक्त रसीद बुकों से 11) रु. प्रत्येक छात्र से लिये और रसीदें बिना हस्ताक्षर किये हुए दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक ने स्कूल भवन में अपना आवास बना रखा है ? यदि हां तो किस आदेश से और कितना किराया देता है ?

(4) क्या सही है कि छात्रों से जंगल से व्यक्तिगत उपयोग के लिये लकड़ी मंगाई जाती हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस संबंध में विभागीय जांच नहीं की गई है यद्यपि विभाग को सूचना दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री बीरसिंह) उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री जुझारसिंह।

लिफ्ट योजनाओं के लिये बिजली।

252. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग ने लिफ्ट योजनाओं के लिये विद्युत विभाग को फण्ड्स उपलब्ध करवाये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) सिंचाई विभाग से दिया गया लिफ्ट योजना फण्ड कहां कहां कितना कितना मन्जूर व खर्च किया गया है ? कृपया तहसील व जिलेवार बताने का कष्ट करें।

(3) लिफ्ट योजनाओं के लिये फण्ड वितरण करने के लिये क्या योजना या आधार बनाये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की ओर से लिफ्ट योजना के लिये कोटा जिले की सांगोद तहसील में अनेकों डीजल सेट बांटे गये हैं ? यदि हां तो कितने और उनसे कुल कितनी सिंचाई हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि जिला विकास समिति ने सांगोद तहसील में लिफ्ट साधनों को ध्यान में रखते हुए अधिक सिंचाई कर सकने की दृष्टि से विद्युत विभाग को एस. ई. कोटा के मारफत अनेकों स्थानों पर सस्ती

(श्री जुझारसिंह)
बिजली देने की सिफारिश की है ? यदि हां तो सरकार ने इस पर क्या अमल किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह): 1 जी हां । 1,24,000 रु.

(2) बांसवाड़ा जिले के लिये सिंचाई विभाग से विद्युत मंडल को धनराशि दी गई थी और उसी जिले की बांसवाडा, गढ़ी एवं घाटोल तहसील में खर्च की गई। तहसीलवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(3) इस विभाग से संबन्धित नहीं है।

(4) इस विभाग से संबन्धित नहीं है।

(5) जी नहीं। इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : आपने जब इस प्रश्न को ले लिया तो आप दूसरे विभागों से जानकारी प्राप्त करके मुझे देते ।

श्री खेतसिंह : जहां तक विद्युत मण्डल का ताल्लुक था उसका जबाब दे दिया। सिंचाई विभाग से जो जवाब आना चाहिये वह हम कैसे दे सकते थे बिना जानकारी किये बोर्ड को तो जहां खर्च के लिये पैसा मिला वहां खर्च कर दिया ।

श्री जुझारसिंह : बांसवाडा में ही क्यों क्या दूसरी जगह योजना नहीं थी क्या इस 1 लाख 24 हजार से दूसरी जगह के लिये आप प्रोवीजन नहीं कर सकते थे ?

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न सिंचाई विभाग से ताल्लुक रखता है। बोर्ड को तो जिस जिले के लिये खर्च करने के लिये दिया वहां कर दिया ।

श्री जुझारसिंह : माननीय मन्त्री महोदय बांसवाडा के थे उन्होंने अपने इलाके के लिये वह करवा दिया यह तो वह कहावत चरितार्थ हुई 'अन्धा बांटे रेवड़ी घरकों को देय' लिफ्ट योजना के लिये कोटा बून्दी झालावाड में काफी साधन उपलब्ध हैं वहां की जिला परिषद् ने भी सिफारिश की है उसके बाद भी बांसवाडा में देना और दूसरे जिलों की उपेक्षा करना यह साफ बताता है कि मन्त्री महोदय ने अपने इलाके के लिये पक्षपात किया है ?

श्री उपाध्यक्ष इसका जबाब विद्युत मंडल से कैसे मांगा जाय ?

श्री जुझारसिंह मुख्य मन्त्री दे सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जितना भाग उनसे सम्बन्धित नहीं था तो उनको वापस भेज देना चाहिये था या दूसरे विभाग के पास भेजते ।

श्री उपाध्यक्ष : दो विभागों से जुड़ा हुआ मामला था। प्रश्नकर्ता भी डेफीनेट नहीं थे किसको भेजा जाय ।

श्री जुझारसिंह : पहले सिंचाई और विद्युत मन्त्री दोनों एक ही थे।

श्री खेतसिंह : परटीकुलर ग्रीवान्सेज को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाता है वह एक ही विभाग से हो सकता है सभी विभागों से प्रश्न पूछ लिया एक ही प्रश्न में तो उसका जवाब सभी जगह से इकट्ठा

(श्री खेतसिंह)

करना मुश्किल होता है। यह पोसीबल नहीं है कि एक ही प्रश्न को अलग अलग मिनिस्टर जवाब दें।

श्री जुझारसिंह : मुख्य मंत्री तो सब का जवाब दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह।

नागौर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बेंक लि. के अध्यक्ष

253. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय समितियां लाडनू, डीडवाना, मेड़ता व नागौर के इन पिछले दो सालों में अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं ? यदि हां तो कौन कौन व्यक्ति अध्यक्ष चुने गये एवं कितने कितने समय तक उन्होंने अपने पद धारण किये और अब कौन कौन व्यक्ति इन समितियों के अध्यक्ष हैं ?

(2) नागौर सेन्ट्रल कोम्रोपरेटिव बेंक लि. के कौन अध्यक्ष हैं एवं कब चुने गये ?

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां। जो व्यक्ति पिछले दो सालों में अध्यक्ष चुने गये उनके संबन्ध में विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) नागौर सेन्ट्रल कोम्रोपरेटिव बेंक के अध्यक्ष श्री चैनाराम चौधरी हैं जो दिनांक 29-1-68 को चुने गये।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामसिंह : किस सहकारी समिति के सदस्य की हैसियत से बेंक में आये ?

श्री रामदेवसिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है सेन्ट्रल कोम्रोपरेटिव बेंक का चेयरमेन बना कौन सी समिति से, क्रय विक्रय सहकारी समिति से, कहां से आया। यह जवाब दिया जा रहा है क्या यह जवाब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामसिंह : चैनाराम जो सेन्ट्रल कोम्रोपरेटिव बेंक के चेयरमेन बने हैं वे किस समिति से मेम्बर चुनकर आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यही सवाल सीधा सा पूछ लेते तो जवाब आ जाता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने इस भावना से पूछा और वे कह रहे हैं जानकारी नहीं है। सेन्ट्रल कोम्रोपरेटिव बेंक के चेयरमेन बने वे कौन सी क्रय विक्रय समिति से आये। यह जवाब भी नहीं है ? चैनारामजी कौन से क्रय विक्रय संघ से चुनकर आये हैं। सिर्फ यह जानना चाहते हैं। इसमें कोई कानूनी मुद्दा नहीं है।

श्री उपाध्य : यही पूछ लेते तो स्पष्ट जवाब आ जाता।

श्री गोकुलचन्द।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि कोई डिफाल्ट करते हैं तो उनका नोमीनेशन खारिज हो जाता है। अगर वह गलत ढंग से स्वीकार किया गया है या गलत चुनाव हुआ है तो इसका सम्बन्ध चुनाव से है। आप दफा 73 के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री रामसिंह : कानून की जानकारी तो हमें है, इसके लिये आपके बताने की जरूरत नहीं। हम तो यह जानकारी चाहते थे कि डीडवाना क्रय विक्रय समिति का अध्यक्ष 17-1-68 को जो व्यक्ति चुना गया क्या उनका नियमानुसार चुनाव हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री शोभाराम : यह नियमानुसार चुनाव हुआ। अगर आपकी शिकायत है तो इलेक्शन डिस्प्यूट में आप जा सकते हैं।

श्री रामसिंह : नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चुने गये थे। डीडवाना के अध्यक्ष रहते हुए और 17-1-68 को नाथूराम जी को फरजी तौर पर अध्यक्ष चुना गया। क्या नाथूरामजी अध्यक्ष चुने गये? क्या वे नियमानुसार बैठक बुलाकर चुने गये या क्या उनका त्यागपत्र स्वीकार किया गया था?

श्री शोभाराम : सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के डाईरेक्टरों के बारे में सूची सदन को मेज पर रखी गई। अध्यक्ष अब कौन बना इसका नाम बता दिया गया। अब अध्यक्ष गलत बने या चुनाव गलत हुआ इसका राजस्थान सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। हर किसी भी व्यक्ति को अख्तियार है कि कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी ने उत्तर दिया। पर राजनैतिक प्रैशर के कारण सही-बात कहने में हिचक रहे हैं। पर जब अपील करते हैं तो क्या सम्बन्धित विभाग को या रजिस्ट्रार को इन तथ्यों को भी जानकारी नहीं रहती है?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। प्रश्न संख्या 254

श्री गोकुलचन्द।

अलवर जिले के गर्ल्स मिडिल स्कूल

254. श्री गोकुलचन्द (खैरथल सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कितने गर्ल्स मिडिल स्कूल्स हैं? जहां जहां हैं उन गांवों एवं कस्बों की कितनी कितनी आबादी है?

(2) अलवर जिले में सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर "किशनगढ़" की जनसंख्या क्या है? वहां पर गर्ल्स प्राईमरी स्कूल कब खोला गया था? क्या सरकार उपरोक्त स्कूल को अविलम्ब मिडिल स्कूल बना देने का विचार रखती है?

(3) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा? यदि इसमें कोई बाधाऐं हैं तो उन सभी को बताने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 13-9-68 के लिए स्थगित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह ।

खेतड़ी की ताम्बे की खानों पर पानी ले जाने के लिये कुओं का निर्माण

255. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा), : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी की ताम्बे की खानों के लिये पानी ले जाने हेतु चंवरा, मैनपुरा, ककराना, गुढ़ा, बागोली आदि गांवों के पास कुओं का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उन कुओं से पानी निकालने पर पानी की सतह नीची चली जायेगी और वर्तमान में काश्त के लिये बने कुओं में सिंचाई हेतु पानी नहीं उपलब्ध होगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस पानी की सतह को नीची नहीं जाने देने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तथा नहीं कोई योजना ही तजबीज की है ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं, इन नल कूपों को लगाते समय चाही कुओं में पानी कम न हो सके इसकी व्यवस्था कर दी गई है । चाही के कुओं की गहराई से बहुत नीचे हाउस पाइप लगाया गया है । नल कूपों से खींचे जाने वाले पानी की सतह चाही के कुओं के पानी की सतह से बहुत नीचे है ।

श्री शिवनाथसिंह : ऐसी कौनसी व्यवस्था की गई है ?

श्री हरिसिंह : भारत सरकार के जिओलोजिकल विभाग के सर्वे सेक्शन ने सर्वे करके यह स्थान लोकेट किया उसी जगह यह कुए खोदे गये हैं । उसमें भी तीन सतह नीचे पानी उपलब्ध किया जाता है ।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि जहां कुए बनाये गये हैं नदी के पाट का लोअर नहीं है, एक ही सतह है ।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह सारी स्थिति देखकर जिओलोजिकल सर्वे विभाग ने यह स्थान लोकेट किया है, हमने नहीं किया । फिर होम पाइप जो दिया गया है वह बहुत नीचे से दिया गया है । इसलिये पहले तो उससे उन कुओं से लीकेज होने का सवाल नहीं, अगर होता भी होगा तो तीन या चार पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होगा जो नाग्लीजेबल है ।

श्री शिवनाथसिंह : जब यह साइट चुना गया तो क्या सर्वे रिपोर्ट है उनकी किस आधार पर कहते हैं कि कुओं का पानी नीचे नहीं आवेगा । आसपास के कुओं का चार चार फीट पानी टूट गया है ।

श्री हरिसिंह : सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही सर्वे वालों ने रिकमण्ड किया है ।

श्री शिवनाथ सिंह : इन कुओं का पानी नीचे चला जावेगा तो किसानों को क्या आप सेकम्पेन्ट करेंगे ।

श्री हरिसिंह : यह हाईपोथेटिकल प्रश्न है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह हाईपोथेटिकल नहीं है। फैक्ट है। इन कुओं का पानी नीचे चला गया है आसपास के किसानों का। अब उसको डीपनिंग करने का क्या खर्चा सरकार उनको देगी।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : माननीय उपाध्यक्ष, इस बारे में मैं उलट कर वही प्रश्न इनके सामने यों रखना चाहता हूं, कि यह तो सरकार है पर यदि पांच कुए हैं एक लाइन में हों और उनके बीच में किसी ने छठा कुआ खोद लिया तो क्या आप उससे कम्पेन्सेसन क्लेम करेंगे? वह अपना लीगल राइट समझकर बोर करता है और वह भी 250 फीट तक करता है और उसकी वजह से आसपास के कुओं की सतह नीची जाती है तो क्या वे सिविल प्रोसीजर एक्ट के अन्दर वह कोर्ट में जावेंगे। यह कानूनी क्वेश्चन है। इसे छोड़ दीजिए। यह तो गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट आ गया। पर सरकार भी तो एक पार्टी की हैसियत से आती है। फिर भी किसानों को आसपास नुकसान न हो यह देखने की सरकार कोशिश करेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : एक आदमी ट्यूबवेल गहरा करेगा और जो आपने किया है उसमें बड़ा अन्तर है। आपकी पर आवर कैपेसिटी कई लाख गैलन की है जबकि दूसरा पांच छः हजार पर ही रुक जावेगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ता है जब लाखों गैलन पर ओवर कैपेसिटी चलती है। इससे जरूर वाटर लेवल नीचे जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

महाराजा किशनगढ सोमयोग मिल्स लि. किशनगढ़ को बीजली

256. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर एक औद्योगिक बस्ती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई नहीं की जाने से उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि महाराजा किशनगढ़ सोमयोग मिल्स लि. ने एक लम्बे अरसे से बिजली की सप्लाई हेतु मांग कर रखी है ?

(4) यदि हां, तो यह मांग कब से कर रखी है व अभी तक इस कम्पनी को बिजली सप्लाई नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ के अन्य उद्योगों ने भी बिजली सप्लाई की मांग कर रखी है ?

(6) यदि हां, तो इस तरह की कितनी दरख्वास्तें कब से पेन्डिग हैं और उनको अब तक बिजली सप्लाई नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक उनको बिजली सप्लाई कर दी जायेगी ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(श्री खेतसिंह)

(2) जिन उद्योगों को पहले से कनेक्शन दे रखे हैं उन्हें पूरी मात्रा में विद्युत् दी जा रही है अतः उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(3) जी हां। 2–9–66 से।

(4) दिनांक 5–2–68 को इन्हें इस विषय में अधीक्षक अभियन्ता से पत्र व्यवहार करने को लिखा था जिनसे उन्होंने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। साधारण तया उन्हें रात्रि में बिजली देने में कोई कठिनाई नहीं है।

(5) जी हां।

(6) उद्योगों के लिए 55 दरख्वास्तें करीब गत दो वर्षों से विचाराधीन हैं जो ट्रान्सफार्मर की क्षमता में कमी एवं कुछ उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण न करने के कारण पेन्डिंग हैं। इनकी पूर्ति होने पर प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी क्षमता के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(12 मध्याह्न)

श्री सुमेरसिंह : ये बिजली के कनेक्शन कब तक दिये जा सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि प्रश्न 6 के खण्ड में जवाब दिया है कि ये कमियां पूर्ण होने पर कनेक्शन दिये जायेंगे।

श्री सुमेरसिंह : ये कमियां पूर्ण कब तक हो जायगी ?

श्री खेतसिंह : आगामी वर्ष तक आशा करते हैं कि पूर्ण हो जायगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आगामी वर्ष का जो आप आश्वासन दे रहे हैं यह क्या आपका निश्चय है।

श्री खेतसिंह : उसकी चिन्ता आप मत करें।

श्री दिग्विजयसिंह : ट्रान्सफारमर की कमी कब से है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप जिस महकमें में जाते हैं उस में कमी ही कमी होती है।

श्री खेतसिंह : ट्रान्सफारमर की क्षमता ही इतनी है। दूसरा ट्रान्सफारमर की बात है। मैं समझता हूं कि यह तो आपके समझ की कमी है।

श्री विजयसिंह : इसलिए तो आपको डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 257

टिड्डियों से नुकसान

257. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–(1) राजस्थान में कितने क्षेत्र में कहां कहां टिड्डियां अन्डे दे चुकी हैं ?

(2) कहां कहां कितने कितने क्षेत्र में टिड्डियों के बच्चे निकल चुके हैं ?

(3) इन्हें मारने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या टिड्डी दल को मारने का कोई उपाय है ? यदि हां, तो क्या और अब तक उससे कितने टिड्डी दल समाप्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) टिड्डियों ने कितनी फसल को हानि पहुंचाई है ? कितनी फसल को फाका ने हानि पहुंचाई है ?

(6) फसलों की हानि के एवज में किसानों के लिये क्या सहायता अथवा मुआवजा की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) टिड्डी– पक्का, कातरा, भेमल, हाइटगर्ब, तेलिया, खेड़ा, इल्ली, रूखड़ी, आदि से हर वर्ष राजस्थान में कितनी हानी का अनुमान है ? इनसे बचाने की क्या व्यवस्था है ? इस प्रकार से हानि उठाने वाले कृषकों को क्या राहत सरकार की ओर से दी जाती है ?

(8) बाढ़, तूफान, ओला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि झोला (गर्महवा) शीत लहर आदि से कितनी प्रतिशत प्रति वर्ष फसल हानि का अनुमान है ?

(9) इनसे बचाने की क्या व्यवस्था है अथवा कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(10) क्या सरकार को विदित है कि इन प्राकृतिक प्रकोपों से किसान सदा भयभीत रहता है और उसकी माली हालत और फसल पर बहुत बुरा असर होता है ? यदि हां, तो किसान को भय मुक्त करने और उसकी माली हालत पर अनुचित असर न पड़े इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है अथवा क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर के जिलों में टिड्डी दलों के आक्रमण हुये टिड्डियों के दलों ने बाड़मेर जिले के 94 गांव में, जैसलमेर जिले के 23 गांवों में चूरू जिले के 32 गांवों में श्री गंगानगर जिले के 13 गांवों में, बीकानेर जिले के 21 गांवों में, जोधपुर जिले के 62 गांवों में, जालौर जिले के 6 गांवों में अण्डे दिये हैं।

(2) इन जिलों के सभी गांवों में टिड्डियों के बच्चे निकल चुके हैं और लगभग इनसे प्रभावित कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग किलोमीटर है।

(3) कीटनाशक रसायनों और पौध संरक्षण मशीनों को पर्याप्त मात्रा में मुख्य मुख्य स्थानों पर संग्रहित कर दिया था और वायरलैस सेट्स कुछ नई चौकियों की स्थापना भी पहले ही कर दी गई थी। टिड्डियों के बच्चों पर हवाई जहाज और सतह पर से कीटनाशक औषधियां छिड़क कर नियन्त्रण कर लिया गया है।

(4) जी हां, टिड्डी दल को हवाई जहाज और सतह पर से कीटनाशक दवा छिड़क कर नष्ट किया जा सकता है। अब तक तीन टिड्डी दल इस प्रकार नष्ट किये जा चुके हैं। टिड्डी के सभी दलों को नियन्त्रण करना इतना आसान नहीं है अतः

Page No. 30

(श्री हरिसिंह)
सभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही पूर्ण रूप से टिड्डी दल पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

(5) टिड्डी दल अथवा फाका ने फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई है।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(7) टिड्डी, फाका, कातरा आदि कीड़े व व्याधि भिन्न भिन्न वर्ष में जलवायु और दूसरे अन्य कारणों से अलग अलग अनुपात में फसलों पर आक्रमण करते हैं। साधारणतया इनसे 5 से 10 प्रतिशत तक की हानि होती है परन्तु जब कभी इनमें किसी कीट विशेष के आक्रमण के लिये विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो उनसे 30 से 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक हानि होने की सम्भावना रहती है। इनसे बचने हेतु पौध संरक्षण की दवायें काफी मात्रा में जिला एवं पंचायत समितियों में उपलब्ध की जाती हैं तथा दवा छिड़कने के लिए शक्ति चलित मशीनें तथा हस्तचलित मशीनें मौजूद रहती हैं, जो विभाग द्वारा मुहैया की जाती हैं तथा पंचायत समितियों ने भी अपने यन्त्र खरीदे हैं। इस प्रकार से हानि उठाने वाले कृषकों को और किसी प्रकार की राहत वर्तमान में नहीं दी जाती है। उनको चेतावनी दे दी जाती है कि वे अमुक कीड़े व व्याधि के प्रकोप से सावधान रहें।

(8) राजस्थान में जलवायु के लिहाज से अलग अलग क्षेत्रों में कभी बाढ़, ओला, झोला प्रतिवृष्टि आदि का प्रकोप हो जाता है, हर जिले व क्षेत्र में नुकसान भी होता है। नुकसान का अनुमान राजस्व विभाग द्वारा लगाया जाता है। भिन्न भिन्न जिलों में कब कब उपरोक्त प्रकोप हुए व उनसे कितना नुकसान हुआ राजस्व विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(9) बाढ़ से बचने के लिये विशेष कर गंगानगर जिले व भरतपुर जिले में जहां इससे अधिक नुकसान होता है योजना बनाई गई है जो सिंचाई विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। शेष प्रकोपों से बचने के साधन मानवीय से बाहर हैं।

(10) जी हां, इससे बचने का कोई साधन अभी तक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपके प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में कहा कि प्रश्न नहीं उठता। फसलों की जो हानि हो जाती है उससे बचने के लिए कोई योजना नहीं है। इन प्रकोपों से बचने के क्या कोई साधन नहीं हैं? क्या आप इन्श्योरेन्स करने के लिए सरकार कोई इरादा रखती है?

श्री हरिसिंह : लोकस्ट से बहुत कुछ हानि हो जाती है। सरकार इसके नियन्त्रण के लिये काफी प्रभावित तरीके काम में ला रही है। अभी राजस्थान में 15 अगस्त को जो गढरा रोड पर लोकस्ट का जो आक्रमण हुआ उसका नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुआवजा किसानों को देने का कोई विचार नहीं है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया क्योंकि इस प्रकार का नुकसान है उनको नेचुरल केलेमीटोज कहा जाता है। ऐसे केलेमीटीज आ जाती है तो उनको मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है। नियन्त्रण की ओर सरकार का पूरा ध्यान है।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे किसान इन फसलों की हानि से बच सके! जैसा उदाहरण के लिये क्राप इन्श्योरेन्स। क्या इस तरह की कोई योजना नहीं है?

श्री हरिसिंह : ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि राजस्थान सरकार के दो अधिकारियों को क्राप इन्श्योरेन्स की स्टैडी के लिये पिछले वर्ष पंजाब भेजा था?

श्री हरिसिंह : इसकी मुझे सूचना नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे सकता हूं। इस तरह की केलेमीटीज होती हैं उसमें सम्भव होता नहीं है। कभी भूकम्प आ जाय तो कभी···

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि आपको अपने विभाग की नॉलेज नहीं है? इसी सरकार ने इसी सदन में क्राप इन्श्योरेन्स की स्कीम को लागू करने के लिये विचार करने की दृष्टि से घोषणा की थी।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन इस पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार कर रहे हैं। अकेली स्टेट क्राप इन्श्योरेन्स की स्कीम को लागू नहीं कर सकती।

श्री आईदानसिंह (जालौर) : माननीय मन्त्री महोदय प्रश्न के खण्ड दो में क्या यह जाना जा सकता है कि कौनसी पंचायत समिति में टिड्डियों ने अण्डे दिये हैं···

श्री हरिसिंह : क्या सुनाई नहीं दिया!

श्री उपाध्यक्ष : जालौर में कौनसी पंचायत समिति है जहां टिड्डियों ने बच्चे दिये थे।

श्री आईदान सिंह : यह आपके प्रश्न के खण्ड दो में है।

(विराम)

श्री विजय सिंह : पूछ कर आ जावो।

श्री हरि सिंह : जालौर में तिलोना गांव है····

श्री आईदान सिंह : वहां कोई टिड्डियों ने बच्चे नहीं दिये। मैं वहां का रहने वाला हूं।

श्री हरि सिंह : क्या है यह? (पढ़ने में, अस्पष्ट होने के कारण नहीं आया)।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना पर अब तक कुल कितना खर्च कर चुके हैं?

श्री हरि सिंह : खर्चे के लिये आप अलग से पूछें। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अलग सवाल है।

श्री दौलत राम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर चूरू जिले के अन्दर टिड्डियों ने अण्डे दिये हैं 32 गांवों में और वहां जो फसल बोई गई आप स्वयं जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि जहां जहां टिड्डी अन्डे देती है वहां फसल नष्ट कर देती है और आप कहते हैं कि कोई हानि नहीं हुई?

Page No. 32

श्री हरिसिंह : वह स्केटर्ड फार्म्स थे जहां थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसके कन्ट्रोल करने का वहां के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूरा प्रयत्न किया गया।

श्री दौलतराम सारण : मेरा कन्ट्रोल करने से विरोध नहीं है। मैं वहां गया हूं मैंने क्षेत्र के लोगों को तैयार किया है और पंचायत समिति में हमने व्यवस्था की है और अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया है लेकिन आज आप उत्तर दे रहे हैं कि हानि नहीं हुई, मैं आपको कहता हूं यह सही नहीं है। दो फसलें बोई गई थीं और वह नष्ट हो गईं।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलती हो गई है। मैं वहां का रहने वाला हूं, आपके पास गांव का नाम गलत आया होगा। आप चेक कर लें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय टिड्डियां नहीं आईं। 35 हजार का राजस्थान का फाका आया जो बेगूं के ऊपर पड़ गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल है। इसमें सिर्फ मैं यह जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जैसा आपने बताया कि 251 गांवों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके अलावा राजस्थान में किसी और भी जगह टिड्डियों का आक्रमण हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। अगला प्रश्न–श्री ओमदत्त भाटी।

जोधपुर में पत्थर खानों के प्लाट

258. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर नगर में पत्थर खानों के कितने प्लाट लीज पर दिये हुए हैं।

(2) क्या यह सही है कि लीज पर दिये गये पत्थर खानों के करीब पचास प्रतिशत प्लाट लम्बे अर्से से बन्द पड़े हैं?

(3) क्या यह सही है कि माइनिंग विभाग के नियमानुसार बिना पूर्व स्वीकृति के लगातार तीन माह तक लीज पर प्राप्त पत्थर खान को नहीं काटने पर लीज कैंसिल कर दी जाती है? अगर हां, तो उपरोक्त नियम पत्थर खान क्षेत्र जोधपुर में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? गत दो वर्षों में जोधपुर माइनिंग विभाग ने पत्थर खानों के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने व किराया समय पर जमा न कराने के कारण कितनी खानें खालसा घोषित की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार पत्थर खानों के डिफाल्टर लोगों को पुराना किराया अदा कर देने के पश्चात् पुनः उन्हें वही प्लाट लीज पर देने का विचार रखती है?

उप मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (1) करीब 1800 प्लाट पत्थर की खानों के जोधपुर नगर में लीज पर दिये हुए हैं।

(2) निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती है।

(श्री भीमसेन)

(3) जी हां, लीज कैंसिल की जा सकती है पर हमेशा लीज कैंसिल करना जरूरी नहीं होता। खानें बन्द रहने के कई कारण हैं जैसे मजदूरों का न मिलना, चल रही खानों के साथ वाली खानों को भविष्य के लिए रोक रखना, जिससे कि चल रही खानों के पत्थर समाप्त होने पर कार्य बन्द न हो इत्यादि। किराया जमा न कराने के कारण खानें खालसा घोषित की गई। इस विभाग ने पत्थर खोदने हेतु विलम्ब से प्रावेदन पत्र प्रस्तुत करने पर 23 खोदनें व किराया समय पर जमा न कराने के कारण 3 खानें खालसा घोषित की गई।

(4) इस पर अभी विचार नहीं किया गया है। व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर इस पर विचार कर लिया जावेगा।

श्री ओमदत्त भाटी: आपने दूसरी खानों के बारे में कहा कि निश्चित संख्या नहीं दे सकते, कृपया आप एप्रोक्सीमेटली बतायें कि कितनी खानें बन्द हैं ?

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): 200–250 के बीच में हो सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार जिन खानों को जब्त कर लेती है दुबारा लीज पर से जल्दी दी जाये क्या इसके लिए कोई समय का निर्धारण कर रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह तो लीज अवधि होती है।

श्री भैरोंसिंह : आपका प्रश्न यह था कि लीज अवधि के अन्दर अगर वह उसके अन्दर आपरेट नहीं करता है तो उसको खालसा कर लेते हैं तो हमेशा खालसा करना ही नहीं होता है और बाज वक्त अलग अलग कारण होते हैं जब रिन्यूअल होता है तो दी जाती है जो थोड़े समय के लिए होती है। जैसा आपने खान को खालसा कर लिया उसके बाद में दुबारा किसी लीजहोल्डर को लीज पर दी जाये उसमें कोई समय निर्धारण किया गया कि होगी तो इतने दिनों के बाद उसको लीज के ऊपर देनी पड़ेगी या व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस तरह की व्यवस्था है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : एम. सी. आर. के अनुसार एक वर्ष की अवधि है और ज्यादा से ज्यादा दो साल के लिए दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लीज का पीरियड आपने बता दिया। अगर कोई खान आपने जप्त कर ली तो उसके कितने दिन के बाद उस खान को किसी भी लीज होल्डर को दी जावे यह विभागीय व्यवस्था है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : अरलियेस्ट दे दी जानी चाहिए। वैसे इन्सट्रक्शन यह है कि कोई भी खान 3 महीने से ज्यादा नहीं पड़ी रहनी चाहिए अगर खालसा कर दी जाये तो।

श्री भैरोंसिंह : क्या जोधपुर के लिए जांच करेंगे कि वहां कई ऐसी हैं जिनमें काम नहीं होता है और न उनकी लीज कैंसिल होती है और उसमें काफी समय निकलता है।

श्री हरिदेव जोशी ; ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री पृथ्वीसिंह।

मिशन एवं पब्लिक स्कूल्स

259. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राजस्थान में कितने मिशन स्कूल हैं और कितने पब्लिक स्कूल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये स्कूल एक ही लाईन पर चलते हैं परन्तु इन स्कूलों के टीचर्स के ग्रेड में फर्क है ? यदि हां, तो कितना फर्क है ?

(3) क्या यह सही है कि मिशन स्कूलों में ईसाइयों को नौकरी व विशेष सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री धीरसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जहां तक अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है वह अनुदान के नियमानुसार राज्य वेतनमानों से कम नहीं होते हैं। अतः अगर कोई संस्था अपने कर्मचारियों को अधिक देता हैं तो विभाग को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अनुदान केवल राज्य के वेतन श्रृंखला के अनुसार ही दिया जाता है।

(3) इसका राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहला आब्जेक्शन तो यह है कि मुझे सूची नहीं दी गई है आज भी नहीं दी गई और परसों भी नहीं दी गई और जब भी हम सूची मांगते हैं तो सूची हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके अभाव में हम सप्लीमेन्टरी नहीं पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप (धीरसिंह) कृपया नाम पढ़ दें अपनी सूची में से आपके पास हो तो।

श्री पृथ्वीसिंह : हमने तो सूची चाही थी वह बोलकर सुनाने से हमारे दिमाग में नहीं रहेगा।

श्री धीरसिंह : मैं नाम पढ़ देता हूं। भिजवा तो दी थी . . .

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि सूची उनको समय पर नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने बताया कि मिशन स्कूल में ईसाइयों को विशेष सुविधायें दी जाती होंगी तो हमको इसकी जानकारी नहीं है और हमको कोई ऐतराज नहीं है इससे क्या मतलब है ?

श्री धीरसिंह : हमें तो उन्हीं संस्थाओं की जानकारी हैं जिनको ग्रान्ट इन एड दी गई है। इनको ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती है इसलिए वह किस को कितनी सुविधायें देते हैं और कितनी उनको वेतन श्रृंखला है इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी देने से मतलब नहीं है। मेरा यह प्रश्न है कि मिशन स्कूल्स के अन्दर ईसाइयों को

Page No. 35

(श्री पृथ्वीसिंह)
नौकरियों में विशेष सुविधायें दी जाती हैं इसका क्या कारण है।

श्री धीरसिंह : इस बात की जानकारी यहां नहीं दी जा सकती कि उनको विशेष सुविधायें दी जाती हैं या नहीं। सिर्फ ग्रान्ट इन एड जिन स्कूलों को देते हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं। वह तो प्राइवेट स्कूल है वह ईसाइयों को भी रख सकते हैं और दूसरों को भी रख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप किसी को भी नौकर रख सकते हैं इसकी जानकारी राज्य सरकार थोड़े ही देगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या यह स्कूल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

श्री धीरसिंह : नहीं है और न ग्रान्ट इन एड दी जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : जब राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो अनुदान कैसे दिया जाता है ?

श्री धीरसिंह : अनुदान कहां दिया जाता है, नहीं दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राजस्थान का एजूकेशन कोड इन प्राईवेट स्कूलों पर और मिशन स्कूलों पर इसको छोड़ दीजिए कि ग्रान्ट इन एड दी जाती है या नहीं—लागू है या नहीं ?

श्री धीरसिंह : वह एग्जामिनेशन के लिए एफीलियेशन लेते हैं लेकिन इस प्रश्न में जो सर्विस के बारे में पूछा है यह जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो एजूकेशन कोड का प्रश्न है।

श्री धीरसिंह : बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए एफीलियेशन ले लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोड के लिए कह रहा हूँ एजूकेशन के बोर्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ।

श्री धीरसिंह : यहां ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स लागू नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : एजूकेशन कोड के परव्यू में मिशन स्कूल्स आती हैं या नहीं आती हैं ?

श्री धीरसिंह : वह कोड के और नियमों के लिए आती हैं लेकिन ग्रान्ट-इन-एड लागू नहीं है और दूसरे नियम लागू हैं।

श्री पृथ्वी सिंह : प्रश्न मेरा बिलकुल स्पष्ट है कि उनको नौकरियों में विशेष सुविधायें दी जाती हैं। जो कि एक ही स्कूल के अन्दर और इन्सटीट्यूशन के अन्दर रहते हैं जो ईसाई हैं उनको तो चिकित्सा की सुविधायें, मकान की सुविधायें और दूसरी सुविधायें दी जाती हैं, नान-ईसाई हैं उनसे ज्यादा दी जाती हैं।

श्री धीरसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि यह अपनी फाइनेंशियल कन्डीशन पर आधारित है कि वे क्या क्या सुविधाएं देते हैं। उसके लिए राज्य सरकार से जो जवाब पूछ रहे हैं तो राज्य सरकार उसके बारे में कैसे जवाब देगी, क्योंकि वह न तो उनको ग्रान्ट इन एड देती है और न कोई उन पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है। अपने

Page No. 36

(राव श्री धीरसिंह)

स्कूल को जैसा चाहते हैं वैसा चलाते है, क्या क्या सुविधाएं देते हैं और किस जाति वाले को नौकर रखते हैं यह उनका काम है। उन पर इस बारे में कोई कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। ग्रान्ट जिनको देते हैं उन पर कन्ट्रोल किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उनको ग्रान्ट इन एड देने के अलावा रेकरिंग एक्सपेन्डीचर को मीट करने के लिए कभी कभी सहायता के रूप में धनराशि देती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : इन संस्थाओं पर अपनी सारी शर्तें लागू क्यों नहीं कर सकती ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने पहले भी इस सदन में अर्ज किया था कि एडहाक ग्रान्ट दिया जाना गलत है। मैं इसको मानता हूँ। अगर ग्रान्ट देना हो तो रेग्युलर ग्रान्ट हो जिसकी वजह से एज्यूकेशन डिपार्टमेंट उन संस्थाओं पर कुछ कन्ट्रोल कर सके, लेकिन एडहाक ग्रान्ट देते हैं उसकी वजह से कन्ट्रोल नहीं रहता है और एक्सचेकर से रुपया फालतू जाता है। जब तक कोई खास डिफिकल्टी में संस्था न हो तब तक एडहाक ग्रान्ट नहीं देना चाहिए। जिसको ग्रान्ट लेना हो वह रेग्युलर वे में लें और हमारे नियमानुसार लें।

प्रश्न संख्या 260

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

संख्या प्रश्न 261

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 262

श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आसन को यह अधिकार नहीं है कि तारांकित प्रश्न को अतारांकित और अतारांकित प्रश्न को तारांकित प्रश्न कर दे। मैंने एक प्रश्न माननीय मुख्य मंत्रीजी के दामाद के बारे में पूछा है उस प्रश्न को ··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसकी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री विजयसिंह : मेरा निवेदन है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : मैंने माननीय मुख्य मंत्री के दामाद के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति के यहां पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री विजयसिंह : एक तारांकित प्रश्न रखा था उसको अतारांकित कर दिया गया है। मैं फिर इसको तारांकित रख दूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परन्तु इस बात को दबाने के लिए इस तरह से आसन को दबाया जाय····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : यह अन्याय की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियमों का अध्ययन करें।

श्री विजयसिंह : यह तो राजस्थान के मुख्य मंत्री से संबंधित छोटी सी बात है। कल पाकिस्तान हमला कर सकता है। इस प्रकार की उनकी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने दामाद के बारे में प्रश्न आता है कोई सदन में तो उसको आने देना चाहिए· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : आजकल आर. ए. एस. कुछ भी हो मगर सी. ए. एस. यानी करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ऊपर उठाकर माना जाता है· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : इस प्रश्न को अतारांकित लेने से आपको क्या· · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात निगम की आमदनी

233. श्री **परसराम गंगाराम** (सरदारशहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यातायात निगम को वर्ष 1967-68 में आमदनी क्या रही और किस किस मद में कितना कितना व्यय हुआ ?

(2) इस वर्ष मुनाफा या घाटा कितना रहा ?

(3) नये चेयरमैन की नियुक्ति के पश्चात् निगम ने क्या क्या नये सुधार किये हैं ?

(4) नये चेयरमैन की नियुक्ति के पश्चात् कितनी खराब बसों को सुधारा गया है और इस अवधि में कितनी बसें खराब हुई हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1967-68 में निगम को 1,85,01,000 00 रुपये (एक करोड़ पिचासी लाख एक हजार की आमदनी हुई एवं निम्न मदों पर जो खर्चा हुआ वह निम्न प्रकार है:—

1	वेतन एवं भत्ते	47.78 लाख
2.	डीजल, पेट्रोल एवं अन्य चिकनाई	38.82 ,,
3.	पुर्जे एवं अन्य सामान	8.45 ,,
4.	टायर, ट्यूब, बेटरीज	16.44 ,,
5.	गाड़ियों की मरम्मत एवं नवीनीकरण	14.76 ,,
6.	गाड़ियों पर टैक्स	7.20 ,,
7.	विभिन्न खर्चे	7.41 ,,
8.	अन्य प्रोविजन	4.87 ,,

Page No. 38

(श्री यातायात मन्त्री)

9. बीमा इत्यादि	0.47 लाख	
10. घिसावट	34.06	,,
11. ब्याज पूंजी पर	15.64	,,
कुल व्यय:–	1,95,90,000/–	

(2) इस वर्ष 10,80,000/– रुपये का घाटा रहा।

(3) नये चेयरमैन के आने के बाद निम्न सुधार हुये।

1. कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार के लिए कार्ड योजना चालू की गई है।

2. गाड़ियों की खराब होने की स्थिति में सुधार हुआ है।

3. गाड़ियों की मरम्मत की संख्या में वृद्धि हुई है।

4. राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में विकास हुआ और गंगानगर में राष्ट्रीयकरण योजना चालू की गई है।

5. घाटे के अन्दर कमी हुई है।

(4) नये चेयरमैन के बाद 74 गाड़ियों को सुधार कर मार्ग पर चलने योग्य बनाया गया है और 75 गाड़ियां खराब हुई।

झोटवाड़ा में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा का समय

238. श्री लालूराम सुलाणियां (फागी):—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा झोटवाड़ा जो कि जयपुर नगर का एक अंग है और जिसकी आबादी 6–7 हजार के करीब है, उसमें सार्वजनिक टेलीफोन कितने उपलब्ध हैं?

(2) क्या झोटवाड़ा पोस्ट आफिस में टेलीफोन सेवा 24 घन्टे जनता के लिए चालू रहती है?

(3) क्या इस मुख्य कस्बे के लिए जहां औद्योगिक बस्ती आदि स्थित है सार्वजनिक टेलीफोन सेवा बढ़ाये जाने की कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा कि जनता को 24 घन्टे टेलीफोन सेवा उपलब्ध हो सके?

(4) क्या इस विषय में कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) कस्बा झोटवाड़ा में एक सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

गांधी सेवा सदन, राजसमंद

239. श्री सूरजमल (सूरजगढ़ सु.): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या गांधी सेवा सदन, राजसमन्द द्वारा कुछ वर्ष पूर्व खादी ग्रामोद्योग विभाग ने साबुन

(श्री सूरज मल)

बनाने का कुटीर उद्योग चलाने का अनुदान प्राप्त किया गया था ? यदि हां, तो कितना और उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त धन-राशि को गांधी सेवा सदन द्वारा साबुन के उद्योग में खर्च न किया जा कर उसका दुरुपयोग किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनियमितता की जांच खादी ग्रामोद्योग द्वारा की गई ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ? और वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) गांधी सेवा सदन, राजसमन्द के संविधान का कब कब संशोधन किया गया और जब कभी संशोधन किया गया तब उन संशोधनों की सूचना क्या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का चुनाव संविधान के अन्तर्गत एक वर्ष में किया जाना आवश्यक है ? संविधान लागू होने के पश्चात् कब कब इस संस्था का चुनाव हुआ और यदि हुआ तो संविधान के नियम के अनुकूल हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि अभी अभी उक्त संस्था का चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो संविधान के किन प्रावधान के आधार पर ? गत चार सालों के चुनावों के कार्य-विवरण की पुस्तिका सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

(1) जी हां। बोर्ड द्वारा केवल सन् 57—58 में साबुन उद्योग की इकाई (सी युनिट) के लिए। 10,250) रु. ऋण व 6, 150 रु. सहायता दी गई थी।

उक्त धन राशि में से 5,790·27 रु. ऋण व 3,690. 27 पैसे सहायता धन-राशि का नियमानुसार योजना की स्वीकृत पदों में उपयोग किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त संस्था को दी गई रकम की उपयोगिता के सम्बन्ध में जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। सदन की मेज पर रख दी गई है। बोर्ड द्वारा दी गई ऋण व सहायता की मूल राशि में से 4,459.73 रु. ऋण व 2,459.73 रु. सहायता निर्धारित अवधि सीमा में संस्था द्वारा खर्च नहीं किया गया। अतः अनुपयोगी (अनयूटिलाइज्ड)मानकर वसूली की कार्यवाही की गई।

संस्था से अब तक 6,200) रु. वसूली किये जा चुके हैं तथा शेष राशि के लिए संस्था से प्रोमिजरी नोट हस्तगत किया जा चुका है।

(4) संस्था ने यह सूचना बोर्ड को नहीं दी।

(5) संस्था के विधान में संचालक मण्डल का प्रति वर्ष चुनाव होने का प्रावधान है। परन्तु चुनावों को नियमानुसार तथा निर्धारित अवधि में रखने आदि के अन्तर्गत मामलों की जानकारी बोर्ड को नहीं है।

(खादी ग्रामोद्योग मन्त्री)

(6) जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि संस्था एक स्वाभाविक संस्था है। इसलिए उसका रेकार्ड सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हाई स्कूल अकलेरा में हड़ताल

241. (अकलेरा) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकलेरा हाई स्कूल में 24 फरवरी लगायत 29 फरवरी, 1968 तक क्या कोई हुड़दंग हड़ताल हुई थी ?

(2) क्या इस हुल्लडबाजी कराने वालों में स्थानीय शाला के ही अध्यापकों का प्रमुख हाथ था ?

(3) क्या हड़ताल या हुड़दंग के दौरान छात्राओं को क्लासों से पकड़ पकड़ कर बाहर खेंचा गया है और बालिकाओं के साथ धक्का मुक्की की गई है और उन्हें जमीन पर गिराया गया है ?

(4) क्या इस हुल्लड़ में हाई स्कूल का फरनीचर नष्ट भ्रष्ट किया गया है ? यदि हां, तो कितने मूल्य का नुकसान हुआ ?

(5) क्या इस हुल्लड बाजी को रोकने के लिए प्रधानाध्यापक ने कुछ नहीं किया ?

(6) क्या यह सही है कि जो बालक पढ़ना चाहते थे उनको भी एक दो अध्यापकों ने बाहर निकल जाने को उकसाया ?

(7) क्या शाला निरीक्षक, झालावाड़ ने इस काण्ड की जांच की है ? यदि हां तो कौन कौन अध्यापक अपराधी पाये गये हैं एवं उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ?

(8) क्या इस हाई स्कूल में अकलेरा के निवासी ही आधे से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं और वे नित्यप्रति वातावरण बिगाड़ते रहते है ?

(9) क्या पिछले शिक्षा मंत्री महोदय से भी ग्रामवासियों ने उस क्षेत्र के दौरे के समय इस बाबत शिकायतें की थीं और मांग की थी कि स्थानीय अध्यापकों को शीघ्र हटाया जाय ?

उत्तर

( ) यह सही है।

(2) इसकी जांच हो रही है।

(3) जांच होने के बाद ही बताया जा सकता है।

(4) फर्नीचर नष्ट नहीं हुआ केवल मामूली टूट फूट हुई थी।

(5) इसका पता जांच पूर्ण होने पर ही लगेगा।

(6) जांच पूर्ण होने पर ही बताया जा सकता है।

(7) ी रसूल मोहम्मद व प्रधानाध्यापक का अकलेरा से अब स्थानान्तरण कर दिया गया है, अन्य अध्यापकों के खिलाफ जांच पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। जो रिपोर्ट विद्यालय निरीक्षक, झालावाड़ द्वारा भेजी गई है वह संतोषजनक नहीं होने के कारण उप निदेशक उदयपुर को पुनः जांच करने के लिये कहा गया है।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(8) इस शाला में सात अध्यापक अकलेरा के निवासी हैं जिनमें श्री रसूल मोहम्मद का स्थानान्तरण कर दिया गया है। शेष अध्यापकों के खिलाफ अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(9) जी हां।

बिजली की चोरी

260. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि श्री राम विनायल एण्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज कोटा के विरुद्ध विभाग के उच्चाधिकारी ने बिजली की चोरी की रिपोर्ट की थी? अगर हां तो कब? कृपया रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली की दर में रियायत केवल इसी उद्योग को दी है?

(3) क्या यह सही है कि इसी उद्योग पति के अन्य दो कारखाने इसी उद्योग के पास पास स्थापित हैं व इन्हें बिजली की रियायत प्राप्त नहीं हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस उद्योग को नेगोशियेटेड टेरिफ पर बिजली दी जारही है। अन्य किसी से नेगोशियटेड टेरिफ वे नहीं किया गया।

(3) जी हां

इन्हें साधारण टेरिफ पर ही बिजली दी जा रही है।

सोडियम सल्फेट फैक्ट्रीज

261. श्री जयनारायण सालोदिया: (निवाई): क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कहां कहां सोडियम सल्फेट की फैक्ट्री हैं? राज्य सरकार का उनमें कितना कितना शेयर, कर्जा व अनुदान लगा है? इनकी उत्पादन क्षमता क्या है?

(2) यह फैक्ट्रियां घाटे में चल रही है या फायदे में? घाटा या फायदा कितना कितना है?

उत्तर

(1) राजस्थान में एक ही सोडियम सल्फेट की फैक्ट्री डीडवाना में है। यह विभागीय स्तर पर कार्य कर रही है। इसमें राज्य सरकार की कुल पूंजी 39,76,491 रु० लगा हुआ है। यह प्लान्ट 16 टन प्रति दिन की उत्पादन क्षमता रखता है "पाइलेट प्लान्ट" के रूप में लगाया गया है।

(2) डीडवाना में जो प्लान्ट लगाया गया है यह अभी तक पाइलेट प्लान्ट है व कार्मशियल घोषित नहीं किया गया है। इस में जो राजस्व व्यय व आय गत तीन वर्षों में हुई है उसका ब्योरा निम्न है:–

वर्ष	खर्चा	आय
1965-66	5,05,289/-	7,71,971/-
1966-67	6,32,325/-	12,03,472/-
1967-68	7,11,054/-	13,50,433/-

(श्री राजकीय उपक्रम मंत्री)

(सांभर व कुचामन में जो थोडा बहुत सल्फेट पैदा किया जाता है वह सांभर साल्ट्स व व्यक्तिगत क्षेत्र में पैदा होता है जिसकी लाभ/हानि के आंकडे इस विभाग में उपलब्ध नहीं है)।

कस्बा जुरहडा, पहाडी तथा कामां में बिजली

262. श्री जलिस खां (कामां): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा जुरहडा, पहाडी तथा कामां में बिजली सप्लाई हो चुकी है तथा उक्त तीनों कस्बों में पिछड़े हुए वर्गों के वार्डस और मोहल्लों तथा चौकों को बिजली नही दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उन स्थानों पर बिजली सप्लाई करने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। पिछडे वर्ग के कुछ वार्डस और मोहल्लों में बिजली सप्लाई की जा चुकी है। शेष मोहल्लों के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह सब धन प्राप्ति पर निर्भर करता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मुकदमों की संख्या

258. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिलेवार ऐसे कितने मुकदमें हैं जो गत 10 वर्षों से चले आ रहे हैं? इन मुकदमों के फैसले कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार का यह आदेश है कि प्रत्येक मुकदमों को 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगना चाहिए? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(दिनांक 13-9-68 के लिए स्थगित किया गया)

बूंदी की जुडिशियल अदालतें

259. श्री केशरीसिंह हांडा (हिण्डोली): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी की जुडिशियल अदालतें कितनी है और कौन कौन सी?

(2) हर एक अदालत में गत पांच वर्षों में कितने कितने मुकदमें दायर हुए और कितने कितने फैसले हुए? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(दिनांक 13-9-68 के लिए स्थगित किया गया)

सुमेरपुर मन्डी

260. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस सुमेरपुर मंडी में माल की आवक, सिरोही, जालोर बाड़मेर, पाली, कोटा की मंडियों से भी बड़ा

(श्री फूलचन्द बाफणा)
मात्रा में होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त मन्डी यार्ड (सुमेर की मंडी का) शीघ्रातिशीघ्र बनाने की व्यवस्था कर देगी जिससे कि किसानों या व्यापारियों को माल क्रय–विक्रय में कठिनाई नहीं हो ?

(2) क्या सुमेरपुर मंडी समिति में मंडी-यार्ड बनवाने हेतु पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उस कमी की पूर्ति करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर मन्डी में आवक कोटा को छोड़ते हुए अन्य मंडियों से अधिक है। मन्डी यार्ड बनवाने का कार्य कृषि उपज मंडी समिति का है।

(2) हां। इसके अतिरिक्त मन्डी समिति मन्डी यार्ड के विकास हेतु राज्य सरकार से ऋण प्राप्त कर सकती है।

कृषि की जमीन की उत्पादन शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं

261. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) राजस्थान में कृषि की जमीन की उत्पादन शक्ति जानने व किस जमीन में कौनसी फसल अच्छी होगी इसका निर्णय करने के लिए कहाँ कहां प्रयोगशालाएं हैं ? उन पर कुल कितना रुपया सालाना खर्च होता है और उनमें अब तक कितने मिट्टी के परीक्षण के मामले आये ?

(2) परीक्षणों के बाद जो रिपोर्ट प्रयोगशालाओं ने दी, उनमें कितने प्रतिशत सही निकली ?

उत्तर

निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोगशालायें मिट्टी परीक्षण का कार्य करती हैं। (1) दुर्गापुरा (2) जोधपुर (3) कोटा ( ) श्री गंगानगर। जोधपुर प्रयोगशाला का गत वर्ष का खर्चा 68 हजार रुपया था। बाकी की तीन प्रयोगशालाओं का वार्षिक बजट 83 हजार रुपया हैं। इन प्रयोगशालाओं में ?0 हजार मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करके उर्वरकों की सिफारिशें की गयी।

(2) प्रयोगशालाओं ने जो नमूनों के परीक्षण करने के बाद सिफारिश की हैं वह सही होती हैं क्योंकि प्रयोगशाला में प्रशिक्षित एवं अनुभवी अनुसंधान कार्यकर्ता आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण करते हैं।

क्रय-विक्रय समिति, लाडनूं

262. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं में एक क्रय–विक्रय समिति है ? यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ और इसमें कौन कौन सदस्य है व कितना कितना हिस्सा प्रत्येक सदस्य ने खरीदा है तथा सदस्यों ने अपनी हिस्सा राशि कब कब किस किसके द्वारा जमा करवाई थी और सदस्य बनने के लिए प्रार्थना–पत्र कब कब दिये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) इस सहकारी समिति की कुल हिस्सा राशि कितनी है और वह कहां कहां पर लगी हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस समिति के रजिस्ट्रेशन प्रार्थना-पत्र हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कौन कौन हैं और उनकी कितनी कितनी हिस्सा राशि है तथा बाद में कौन कौन से सदस्य किस किस के द्वारा कब कब बनाये गये और उनकी हिस्सा राशि कितनी कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दो लाडनूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० लाडनूं का पंजीयन दिनांक 4-7-67 को क्रमांक 999 एस.पर हुआ था। सहकारी समितियां पंचायत समिति लाडनूं तथा व्यक्तिगत सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य ने कितना कितना हिस्सा खरीदा सदस्यों ने अपनी हिस्सा राशि कब कब किस किस के द्वारा जमा कराई थी और सदस्य बनने के लिए प्रार्थना-पत्र कब कब दिये सूचना (परिशिष्ट अ) में संलग्न है।

(2) इस सहकारी समिति की कुल हिस्सा राशि 3200) रु० है। हिस्सा राशि कहां कहां पर लगी हुई की सूचना परिशिष्ट (ब) में संलग्न है।

(3) इस समिति के रजिस्ट्रेशन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की मय उनके द्वारा खरीदे हिस्सों को सूची (परिशिष्ट (स) संलग्न है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात् समिति में कोई भी सदस्य नहीं बनाया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी हुई)

कृषि सहकारी समितियां

263. श्री जयनारायण सालोदिया (मिवाई): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) यह राजस्थान में कितनी कृषि सहकारी समितियां काम कर रही है और उनके पास अलग अलग कितनी कितनी भूमि है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसमें कौन कौन सी कृषि सहकारी समितियां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की हैं। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विभाग द्वारा इनको कितना ऋण व अनुदान किस किस कार्य के लिए दिया गया है और अब तक कितना उत्पादन हुआ है? आंकडों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कार्य कर रही सहकारी कृषि समितियों की संख्या 438 है, और उनके पास अलग अलग कितनी भूमि है, उसकी सूचना की सूची परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(2) कार्य कर रही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की सह-

(श्री सहकारिता मन्त्री)
कारी कृषि समितियों की संख्या 110 है, जिनकी सूची परिशिष्ट (ब) पर उपलब्ध है।

(3) इन समितियों को जो ऋण व अनुदान विभाग द्वारा दिया गया है तथा ऋण व अनुदान की राशि किस किस कार्य के लिये विभाग द्वारा दी गई है, और कितना उत्पादन हुआ है, इसके आंकड़ों की तालिका की सूची परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झोटवाड़े में आयुर्वेदिक औषधालय

264. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 19–7–66 को तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री श्री अमृतलाल यादव का ग्राम झोटवाड़ा जिला जयपुर में झोटवाड़ा विकास समिति द्वारा अभिनन्दन किया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभिनन्दन का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने उपस्थित ग्राम की जनता के बीच झोटवाड़े ग्राम में एक 'सी' श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा की थी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि मंत्री महोदय की उक्त घोषणा के तत्काल बाद उस समारोह की अध्यक्षता कर रही झोटवाड़ा पंचायत समिति की प्रधान सुश्री शकुन्तला श्री वास्तव ने उक्त औषधालय के लिए मंत्री महोदय द्वारा दर्शायी गयी भवन की समस्या का निराकरण करते हुए यह घोषणा भी की थी कि औषधालय के लिये भवन पंचायत समिति को ओर से ग्राम पंचायत झोटवाड़ा का पंचायत भवन वह देने को तैयार है ?

(4) क्या उपरोक्त औषधालय ग्राम झोटवाड़े में चालू हो गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को इसका लाभ मिल चुका है ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, विचार करने का आश्वासन दिया था।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

गबन के मामलों में निलम्बित कर्मचारी

265. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

रोडवेज में कितने ड्राईवर, इन्सपेक्टर व कन्डक्टर गबन के केस में पकड़े गये हैं और कितने सस्पेन्ड किये गये हैं ?

उत्तर

गबन के मामलों में पकड़े गये ड्राईवरों, इन्स्पैक्टर व कन्डक्टरों की संख्या 26 है, सूची संलग्न है तथा सस्पेन्ड कर्मचारियों की संख्या 110 है, सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

यातायात निगम को बस मार्गों के परमिटों में प्राथमिकता

266. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(1) क्या यह सही है कि राजपथ परिवहन निगम द्वारा बिना राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी परमिट लेकर बस चलाई जाती हैं? यदि हां, तो किन किन मार्गों पर कितनी कितनी बसें चलाई जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बस मार्गों पर चलाने के लिए परमिट देने के मामलों में निगम को प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो किस किस मार्ग पर परमिट देते समय निगम को प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट देने के मामलों में निगम की प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में कोई आदेश राज्य सरकार ने दिये हों तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां, कुछ अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी निगम द्वारा परमिट लेकर बसें चलाई जा रही हैं, जिनकी सूची मय सर्विसों के साथ संलग्न हैं।

2. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर तो अनुज्ञापत्र-प्राप्त करने का अधिकार केवल निगम को ही है। अतः राष्ट्रीकृयत मार्गों पर निगम को अनुज्ञा-पत्र देने में प्राथमिकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने में निगम को प्राथमिकता देने हेतु कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

नियुक्तियों में रिजर्वेशन

267. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1960 में केन्द्रीय सरकार ने स्टेट मिनिस्टर्स की बैठक में यह निर्णय किया था कि सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं सरकार द्वारा ऋण प्राप्त फैक्ट्रीज में काम करने वाले व्यक्तियों में साढे बारह प्रतिशत व्यक्तियों की नियुक्ति पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जन जाति से की जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक उस निर्णय को फैक्ट्रीज पर लागू नहीं किया है। यदि हां, तो क्यों और कब तक लागू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासन सेवा में विभागीय कोटा

268. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लिपिक कर्मचारियों में से राजस्व

(श्री हरजीराम बुरडक)
प्रशासन सेवा हेतु विभागीय कोटे में से विशेष चयन करने का प्रावधान किया है? यदि हां, तो अब तक इस प्रावधान के अनुसार कितने ऐसे चयन कब कब हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार लिपिक वर्ग में से राजस्थान प्रशासन सेवा में चयन करने का जो कोटा रखा गया है वो बहुत ही कम है जिसके कारण उक्त कर्मचारियों को पदोन्नत होने के बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं? यदि हां तो क्या सरकार उक्त कोटे को बढाने का विचार रखती है।

(3) क्या यह भी सही है कि लिपिक वर्ग कर्मचारियों में से प्रशासनिक सेवा में चयन करने का तो प्रावधान है परन्तु तहसीलदार सेवा में इस प्रकार से पदोन्नति करके लिपिक वर्ग में से चयन करने का प्रावधान नहीं है। यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदार सर्विस के चयन में भी उपरोक्त रूप से लिपिक वर्ग में से चयन करने के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत का कोटा कब तक तय कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रशासन सेवा हेतु विशेष चयन का प्रावधान तो है किन्तु वह केवल लिपिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। सन् 1955 से 1962 तक इस प्रावधान के अनुसार लिपिक कर्मचारी वर्ग में से चार व्यक्ति चयन किये गये जिनकी सूची संलग्न है।

(2) चूंकि विशेष चयन का प्रावधान केवल लिपिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है अतः कोटे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा केवल लिपिक कर्मचारियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है और न इस वर्ग के लिए राजस्थान तहसीलदार सेवा में ऐसा कोई प्रावधान है। तहसीलदार सेवा में लिपिक वर्ग में से चयन करने के लिए सरकार कोटा निर्धारित करने का विचार नहीं रखती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

खेडा ग्राम में बिजली

269. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि चम्बल की बिजली का सब-स्टेशन खेड़ा रखा गया है?

(2) यदि हां, तो खेड़ा ग्राम व कुओं को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है?

(3) क्या यह भी सच है कि खेड़ा कावरोली, फलवाड़ा, पटोदा, कटकड़, फैली का पुरा व महावीरजी तथा बादालपुर में बिजली की लाइन पहुंच गई है?

(4) यदि हां, तो वहां के किसानों को बिजली देने में सरकार क्यों विलम्ब कर रही है और उन्हें कब तक बिजली प्रदान कर रही है।

उत्तर

(1) गंगापुर आने वाला 33 के. वी. लाइन पर केडा में एफ. 3311 के. वी. को सब-स्टेशन खेडा पर रखा है।

(मुख्य मन्त्री)

(1) खेड़ा ग्राम के विद्युतिकरण की स्वीकृति किसी भी योजना में नहीं थी।

(2) केवल कावरोली, फलवाल, पटोदा और महावीरजी में बिजली की लाइन पहुँच गई है। खेडा कटकडा, पेलिका पुरा, बादलपुरा में बिजली की लाइन नहीं पहुंची है।

(3) ग्रामों में किसानों को बिजली नियमानुसार धनराशि की उपलब्धि के अनुसार देने में कोई आपत्ति नहीं है। ज्यों ज्यों आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होती जायेगी, दे दिये जायेंगे।

ग्राम धमोरा में कुओं पर बिजली

270. श्री शिवनार्थसिंह (गुढ़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धमोरा में 6 कुओं की सिक्योरिटी जमा हुए एक साल से अधिक का समय हो जाने पर भी उन कुओं को बिजली नहीं दी जा रही है ?

(2) नियमों के अनुसार सिक्योरिटी जमा होने के बाद कितने अर्से में बिजली मिल जानी चाहिए अथवा राज्य सरकार कितना समय उचित समझती है जिसके अन्दर अन्दर सिक्योरिटी जमा होने के बाद बिजली कुओं के लिए मिल जानी चाहिए ?

(3) क्या यह सही है कि इसी ग्राम धमोरा में अन्य कुए हैं जिनको बिजली दी गई है और सिक्योरिटी जमा होने के बाद इतना समय बिजली देने में नहीं लिया गया ? कृपया हर एक कुए के संबंध में सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) धमोरा गांव में अब तक कितने कुओं को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है तथा हर एक ट्रान्सफार्मर से कितने कितने कुओं को बिजली दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं है।

(3) जी हां। सूची संलग्न है।

(4) पांच कुओं को एक 50 के. वी. ए. के ट्रान्सफरमर से तीन कुओं को। दूसरे 25 के वी. ए. के ट्रांसफरमर से एक कुए को और तीसरे 15 के. वी. ए. के ट्रांसफरमर से एक कुए को।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ग्राम ककराना एवं ग्राम खटकड़ में बिजली

271. श्री शिवनार्थसिंह (गुढ़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ककराना तथा ग्राम खटकड़, तहसील उदयपुरवाटी का विद्युतिकरण करीब दो साल से अधिक अर्से पहले हो गया था और ट्रान्सफार्मर रख दिये गये थे, मगर अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों गांवों के लिए बहुत सी दरख्वास्तें कनेक्शन लेते हेतु पैंडिग पड़ी हैं मगर उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

(3) क्या यह माना जाय कि गलत

(श्री शिवनाथसिंह)

प्लानिंग की वजह से ग्राम ककराना में ट्रान्सफार्मर गलत जगह रखा गया जिसकी वजह से कनेक्शन लेने वाले लोगों को कनेक्शन नहीं मिल सके हैं ? यदि हां, तो इस गलत जगह ट्रान्सफार्मर रखने के लिए कौन दोषी है ?

(4) क्या इस गलती को सुधारने की कोई योजना है तथा सही जगह ट्रान्सफार्मर रखा जाकर जिन लोगों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं उनको कनेक्शन देना उचित समझा जा कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी का विद्युतिकरण दिनांक 31-3-66 को और ग्राम खटकड त. उदयपुरवाटी का विद्युतिकरण 9-4-67 को किया गया है। इन ग्रामों में अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है ।

(2) ककराना में 14 अर्जियां कुओं की व एक उद्योग की एवं खटकड़ में एक अर्जी कुये की व एक अर्जी उद्योग की आई है जो अर्जियां ककराना में आई हैं वह ट्रान्सफार्मर से करीब डेढ मील दूर है ।

(3) जी नहीं ट्रान्सफार्मर के पास के कुओं वालों ने अर्जियां नहीं दी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जिन्होंने एप्लाई किया है उनको कहा गया है कि यदि वह मिनिमम गारन्टी का बोन्ड भरने को तैयार हो तो उन्हें कनेक्शन दिये जा सकते हैं ।

गोविन्दगढ़ एवं नौगावां में बिजली

272. श्री गोकुलचन्द (खैरथल सु.): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में तहसील व सब-तहसील कितनी हैं और उनके किन किन हैडक्वार्टर्स पर बिजली दे दी गई है और किन किन में नहीं दी गई है ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि सब-तहसील हैडक्वार्टर गोविन्दगढ़ अलवर जिले में एक अच्छा कस्बा है और वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है ? अब गोविन्दगढ़ कस्बे में कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि अलवर—दिल्ली मार्ग पर राजस्थान की सीमा पर हरियाणा से मिलता हुआ नौगावां एक अच्छा व्यापारिक क्षेत्र है और वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है ? यदि हां, तो कब तक पहुँच जायेगी ? बिजली दिये जाने का क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 9 तहसीलें व 7 सब-तहसीलें हैं जिनके निम्नलिखित हैडक्वार्टर्स पर बिजली देदी गई है। राजगढ़-अलवर, बहरोड, बान्सूर, किशनगढ़, मन्डावरा और तिजारा सब-तहसील हैडक्वार्टर्स रामगढ़, मालाखेडा कठूमर, नोमदाना टपूकडा ।

(2) जी हां। अभी निश्चित् रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

(3) जी हां अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है योजना का लाभ-

Page No. 50

(श्री मुख्य मंत्री)

प्राप्त होने, प्रसारण लाइनों के पास होने, कृषि उत्पादन दृष्टि से अच्छा होने पर यदि यथेष्ठ धनराशि उपलब्ध हुई और तकनीकी दृष्टि से संभव हो तो ग्राम में विद्युत् देने के लिए विचार किया जाता है।

ग्राम बम्बलू में बिजली

273. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सत्य है कि ग्राम बम्बलू, तहसील एवं जिला बीकानेर को राजस्थान विद्युत् मण्डल ने विद्युत् प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो किस तिथि को स्वीकृति दी गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम बम्बलू को विद्युतिकरण की योजना में शामिल करने के उपरान्त भी निश्चित तिथि तक उसमें विद्युतिकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ग्राम बम्बलू में विद्युत् पहुँचाने का पक्का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक पहुंचादी जाएगी तथा वहां कितनी एल. टी. लाइन लगाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम बम्बलू अभी तक बनने वाली किसी भी योजना में शामिल नहीं किया गया।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम झराना का प्राइमरी स्कूल

274. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम झराना पंचायत समिति टोंक जिला टोंक में प्राईमरी स्कूल स्थापित था ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में उस स्कूल को तोड़ दिया गया है और वहां से स्कूल किसी और जगह स्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि झराना की जनसंख्या करीबन पन्द्रह सौ है ? यदि हां, तो स्कूल वहां से हटाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति टोंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब लिया गया ?

उत्तर

(दिनांक 16-9-68 के लिए स्थगित हुआ)

सेकेन्ड्री स्कूल निवाई में परीक्षा केन्द्र की मांग

275. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सेकेण्डरी स्कूल निवाई में पहले परीक्षा केन्द्र था ? यदि हां, तो कितने साल रहा ? क्या अब वहां

(श्री भुवनारायण सालोदिया)
से परीक्षा केन्द्र तोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या सरकार विद्यार्थियों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए वहां परीक्षा केन्द्र के खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सच है कि उप-शिक्षा मंत्री अध्यापक संघ के अधिवेशन में जब निवाई सन् 67-68 में आये थे उस समय उनको दिये गये स्मरण-पत्र में परीक्षा सेन्टर चालू करने की भी मांग की थी जिसके उत्तर में उन्होंने इस मांग को वाजिब बताया था और शीघ्र सेन्टर खोलने का आश्वासन दिया था?

उत्तर

1. सन् 1963 से 1966 तक परीक्षा केन्द्र रहा। सन् 1967 से वहां परीक्षा केन्द्र, 1966 की परीक्षा में छात्रों को नकल करवाने के सम्बन्ध में शिकायत होने से तोड़ दिया गया।

2. फिर से परीक्षा केन्द्र खोलने का मामला सैकेण्डरी बोर्ड की केन्द्र समिति के विचाराधीन है।

3. जी हां।

अलवर जिले में नये स्कूलों की स्वीकृति

276. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967 से अलवर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा नये मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कालेज किस किस स्थान पर किस किस तहसील में खोलने की स्वीकृति दी गई है?

(2) क्या यह सरकार को ज्ञात है कि सन् 1966 में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ग्राम लोयती तहसील बानसूर जिला अलवर में हाई स्कूल की इमारत का शिलान्यास किया और जनता को हाई स्कूल खोलने का आश्वासन दिया? इस आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा हरसोरा तहसील बानसूर में हाई स्कूल खोलने का आश्वासन पिछले आम चुनाव के पहले राजस्थान सरकार के उप माल मंत्री ने दिया था और आश्वासन के अनुसार जनता ने हाई स्कूल की इमारत भी तामीर कर दी है? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

1. अलवर जिले में सन् 67-68 में केवल हरसोली कन्या प्राथमिक शाला को कन्या माध्यमिक शाला क्रमोन्नत किया है।

1967 में निम्न उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत की गई:—

(क) कन्या माध्यमिक विद्यालय, बैरथल, 1967

(ख) उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर, 1968

2. विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(श्री शिक्षा मंत्री)

3. विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

नागौर जिले की पंचायत समितियों में ट्रेन्ड अध्यापक

277. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की पंचायत समितियों में कितने ग्रेजूएट अध्यापक कार्य कर रहे हैं एवं उनमें से कितने अध्यापक बी. एड. ट्रेन्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में एवं नगरपालिका क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशालाओं में अनट्रेन्ड नये अध्यापक इस वर्ष में नियुक्त किये गये थे ?

(3) क्या सरकार पंचायत समितियों की प्राथमिक पाठशालाओं में लगे ग्रेजूएट अध्यापकों को जो ट्रेन्ड हैं या अनट्रेन्ड हैं उनको शिक्षा विभाग की मिडिल एवं हाई स्कूलों में आगामी सत्र से लगाने की व्यवस्था कर इन अनुभवी एवं अधिक पढ़े व्यक्तियों का उचित उपयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की पंचायत समितियों में 70 ग्रेजूएट अध्यापक कार्य कर रहे है–उनमें दस अध्यापक बी. एड. ट्रेण्ड है।

(2) चालू सत्र 68–69 में अब तक किसी भी–अप्रशिक्षित अध्यापक को इस शिक्षणालय के अधीनस्थ चलने वाली शालाओं में नियुक्ति नहीं किया है।

(3) पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में अध्यापकों का स्थानान्तरण योग्यता के अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में वरिष्ठता के आधार पर (पंचायत समिति एवं विभाग के अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियों) पदोन्नत किया जाकर लिया जाता है। इस जिले में उक्त योग्यता रखने वाले अध्यापकों को वरिष्ठता के आधार पर उप निर्देशक–शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा द्वितीय–वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर विभाग में लिया गया है।

ग्राम नाणा में स्कूल भवन का निर्माण

278. श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव नाणा, जिला पाली के स्कूल के भवन का निर्माण किस वर्ष में किया गया था तथा उसमें प्रमुख दानदाता का क्या नाम था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के एक दानदाता सेठ टेकचन्द माणालाल जी को यह वादा दिया था कि स्कूल का नाम उनके नाम से रखा जावेगा परन्तु उनका नाम नहीं रखा गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अब यह स्कूल सेकेन्डरी स्कूल बन गई है, परन्तु दानदाताओं ने अपना नाम नहीं लिखे जाने के कारण आगे दान देने से इन्कार कर दिया है ? अतः भवन निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? अगर हां, तो अब यह कठिनाई

Page No. 53

(श्री पृथ्वीसिंह)
मिटाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

1. नाणा में राजकीय माध्यमिक शाला के लिये भवन सन् 1967 में सैठ टेकचन्द माणालाल ने बनवाया था जिसका दानपत्र जुलाई, 1966 में विभाग के नाम पंजीकृत कराया गया।

2. विद्यालय का नाम रखने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विद्यालय का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया।

3. जी हां। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये अतिरिक्त भवन बनाने के लिये राज्य सरकार ने सूचित कर दिया है यदि दानदाता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये अतिरिक्त कमरे और बनवा देते हैं तो उच्च माध्यमिक विद्यालय उनके नाम से चलेगा।

ग्राम दौलतपुरा में माध्यमिक शाला की मांग

279. श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट-सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि ग्राम दौलतपुरा, तहसील लालसोट के लोगों ने प्रार्थना-पत्र देकर माध्यमिक शाला खोलने के लिए प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उसे स्वीकार नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

अन्य खोले जाने वाले स्कूलों के सा विचार किया गया लेकिन मेरिट में न आने के कारण नहीं खोला जा सका।

उच्च विद्यालय लालसोट का भवन

280. श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उच्च विद्यालय लालसोट का एक कमरा बिना छत के 10 वर्ष से पड़ा है और वहां कमरों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो फिर उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

अधूरा कमरों को पूरा करने के लिये वर्तमान में धनाभाव के कारण आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत से वापिस आये अध्यापक

281. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

2. अक्टूबर, 1959 को जो अध्यापक पंचायत समितियों को सौंपे गये थे उनमें से कितने अध्यापक किन किन आधारों पर वापिस शिक्षा विभाग में लिये गये हैं तथा वे अध्यापक कौन कौन से हैं ? उनकी योग्यता 2 अक्टूबर, 1959, को क्या थी और वापिस शिक्षा विभाग में लेते समय क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

2 अक्टूबर, 1959, को जो अध्यापक पंचायत समितियों को सौंपे गये थे उनमें से

(श्री शिक्षामंत्री)

कौन कौन किस किस आधार पर वापिस लिये गये, उनकी सूची संलग्न है । उनकी योग्यता आदि उनके नाम के आगे अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अध्यापकों का रिवाइज्ड पे स्केल्स

में फिक्सेशन

282. श्री गंगा सहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1956 से जो अध्यापक मिडिल व प्राइमरी शालाओं में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित होने पर उसका फिक्सेशन रिवाइज्ड पे स्केल में नहीं किया गया हैं?

(2) ऐसे अध्यापकों की संख्या राजस्थान में कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1– जी हां कुछ अध्यापकों के नहीं हुये है ?

2– ऐसे अध्यापकों की संख्या 52 हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बी. एड. करने के बाद अग्रिम

वेतन वृद्धि

283. श्री गंगा सहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बी. एस. सी. सेकेण्ड ग्रेड अध्यापकों को बी. एड. करने के बाद दो अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बी. ए. सैकिण्ड ग्रेड अध्यापकों को बी. एड. करने के बाद दो अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भेदभाव पूर्ण व्यवस्था से अध्यापकों में असन्तोष है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. भेदभाव का प्रश्न नहीं है विज्ञान के अध्यापकों को शिक्षा क्षेत्र में आकर्षित करने के लिये ही ऐसा किया गया है। बी. ए. अध्यापक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन विज्ञान अध्यापक नहीं होते थे इसलिये ऐसा करना पड़ा।

अध्यापिकाओं को सलेक्शन ग्रेड

284 श्री गंगा सहाय (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर कि प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं की अध्यापिकाओं को सलेक्शन ग्रेड आज तक नहीं दिया गया है ?

उत्तर

:– जी हां । क्योंकि ये नियमों के अन्तर्गत नहीं आती थी।

कोटा जिले में खनिज उद्योगों को बढ़ावा

285. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले में खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? कृपया जिले की भिन्न भिन्न तहसीलों से खनिज विभाग को क्या आमदनी किन किन खनिज पदार्थों से हो रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा खनिज की दृष्टि से कोटा जिला की सर्वे कराई गई है ? यदि हां, तो किन किन खनिज की कहां कहां मिलने की सम्भावना है और उन्हें डेवलप करने की क्या योजना बनाई है ?

(3) रामगंज मण्डी, कनवास व मंडाना क्षेत्र में सरकार को कच्चे व पक्के पत्थरों के उत्पादन से कितनी कितनी आमदनी होती है ? और यहां से कितना पत्थर निकाला जा रहा है व उनकी लगभग क्या कीमत होती है ?

(4) उपरोक्त क्षेत्र में सड़कें, बिजली, खनिज उत्पादन व निर्यात आदि की पिछले पांच सालों में सरकार ने क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और किन किन स्थानों पर ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) खनिज उत्पादन के ऐसे स्थानों पर जिनमें होकर बिजली की लाइन निकली हुई है बिजली की व्यवस्था करने की सरकार की क्या योजना है, जिससे वे अधिक उत्पादन बढ़ा सकें ?

उत्तर

(1) कोटा जिला में खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिये आवश्यकतानुसार प्रयास किये जाते रहे हैं खनिज विभाग को जो आय सेन्ड स्टोन, लाईम स्टोन व सेन्ड खनिजों से इस वर्ष हुई थी करीब 12 लाख रुपया है। रामगंज मंडी तहसील से करीब 8 लाख रुपये की आय हुई है व अन्य तहसीलों से करीब 4 लाख रुपये की आय हुई है।

(2) जी हां। कोटा खण्ड में जिला बूंदी में मुख्य खनिज सल्फाईड तथा बेराईट्ज के प्रोस्पेक्टिंग के लिये प्रोजेक्टस लिये गये हैं जिले में सर्वे का व ड्रिलिंग का काम जारी है। खनिजों के उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार उन्हें डवलप किये जाने की कार्यवाही की जायगी।

(3) रामगंज मंडी से करीब 8 लाख रुपये प्रति वर्ष, मंडाना से 50 हजार रुपये व कनवास से करीब 2 हजार रुपये की प्रति वर्ष आय होती है। रामगंज मंडी से करीब 21,31,708 एस. एफ. टी. कातला, 10,000 सी. एफ. टी. मुकरसर बलुआ पत्थर 3,18,26,873.0 एस. एफ. टी. कच्चा लाइम स्टोन पत्थर निकलता है मंडाना से करीब 12,33,860 एस. एफ. टी. कातला व 35,796 सी. एफ. टी. बलुआ पत्थर निकलता है कनवास से करीब 5,54,807 एस. एफ. टी. कातला व 24,667–0 एस. एफ. टी. मुकरसर निकलता है। पक्के पत्थर को बेचने की कीमत कातला की 25 रु. से लेकर 50 रु. प्रति 100 एस. एफ. टी. एवं मुकरसर की कीमत रुपया 200-पर सी. एफ. टी, से लेकर 275/-

Page No. 56

(श्री खनिजमंत्री)

पर सी. एफ. टी. का है। साथ ही कच्चे पत्थर लाइम स्टोन की कीमत बिक्री 25/- प्रति 100 एस. एफ. टी. से 35/- प्रति 100 एस. एफ. टी. है।

(4) रामगंज मण्डी में निकलने वाले कच्चे पत्थर की जो पोलिशिंग फैक्ट्री जो ए. एस. आई. कम्पनी है उसको बिजली की सुविधा उपलब्ध की हुई है तथा आवागमन के लिये सड़कों का प्रबन्ध है।

(5) जिन स्थानों से होकर बिजली की लाईनें निकली है उन स्थानों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्था की हुई है और भविष्य में भी की जावेगी।

डाइरेक्टर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की नियुक्ति

286. श्री बिजयसिंह (मकराना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) डाईरेक्टर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कौन है? इनकी नियुक्ति इस पद पर कब से हुई और उनकी सेलेरी शुरूआत में क्या थी और 30 जुलाई, 68 को क्या रही?

(2) उपरोक्त डाईरेक्टर साहब की क्वालीफिकेशन क्या है?

(3) उन्होंने 31 जुलाई तक जब से इनकी नियुक्ति हुई है भारत में किन किन स्थानों का दौरा किन किन कारणों से किया जिस पर कितना कितना खर्चा हुआ तथा विदेश का किन किन स्थानों का किन किन कारणों से दौरा किया जिसका कितना कितना खर्चा हुआ? देश-विदेश की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1–उद्योग विभाग में डाइरेक्टर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का कोई पद नहीं। पद पर किसी की नियुक्ति या वेतन का प्रश्न नहीं उठता।

2–प्रश्न नहीं उठता।

3–प्रश्न नहीं उठता।

दरी उद्योग

287. श्री गंगासहाय (कटूमर-सु.): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1947 से पूर्व दरी उद्योग से हजारों परिवार अपना जीविकोपार्जन करते थे?

(2) क्या यह सही है कि अब दरी उद्योग केवल दो चार परिवारों तक ही सीमित रह गया है?

(3) क्या सरकार ने इस कुटीर उद्योग के ह्रास के कारणों की कभी जांच की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1–जी हां।

2–जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत अनुदानित 732 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं।

3– जी, नहीं। ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

(उद्योग मन्त्री)

4. जी हां। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्माण के बाद इस उद्योग में लगे लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है और जैसे जैसे मांग-पत्र प्राप्त होंगे नियमानुसार स्वीकृति दी जा सकती है।

(12.23 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन–प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी प्राप्त होने पर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिए जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा:–

(1) ग्राम मदड़ा, पंचायत समिति, कोटड़ा, जिला उदयपुर में दिनांक 31–5–68 को मदड़ा तालाब के निर्माण के ठेकेदार द्वारा नर-बली दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री फूलचन्द बाफना द्वारा स्थगन–प्रस्ताव।

(2) दिनांक 1–9–68 की रात को थोई थाना, जिला सीकर के थानेदार व दो सिपाहियों द्वारा गांव के पहरेदार की पिटाई करने व वहां 22 आदमियों को गिरफतार करने के बारे में श्री भैरोंसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, श्री रामसिंह कूद्दो श्री रामाचन्द्र व श्री केदारनाथ द्वार स्थगन–प्रस्ताव।

(3) श्री परसराम हरियाणा, ब्राह्मण निवासी दौसा के 6 वर्षीय पुत्र को कुएं में डालने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के बारे में श्री दिग्विजयसिंह श्री फतहसिंह द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(4) जिला श्री गंगानगर के भाखड़ा नहर क्षेत्र की बची हुई भूमि के रकबे को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाए जाने के बह में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री मेघराज श्री हरजीराम बुरड़क, श्री राजवी रूपसिंह व श्री केदारनाथ द्वारा स्थगन–प्रस्ताव।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन–प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है किन्तु वे अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं होने के कारण उन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(1) जयपुर–बीकानेर मार्ग पर बसों का चलना बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री हरजीराम बुरड़क व श्री चुन्नीलाल इंदालिया द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(2) खेतड़ी क्षेत्र में नल–कूपों के निर्माण से उस क्षेत्र के वर्तमान कुओं के पानी की सतह नीची होने सम्बन्धी श्री शिवनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत स्थगन-प्रस्ताव।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन को पूर्वनिश्चित कार्यवाही को स्थगित को जाकर आज इन पर विचार किया जाय:

(1) आमेर पंचायत समिति में मवेशियों द्वारा खड़ी फसल को भारी हानि

(श्री उपाध्यक्ष)

पहुंचाने पर भी सरपंचों द्वारा कार्यवाही न किये जाने के बारे में श्री गंगासहाय, श्री बृजवल्लभ व श्री कन्हैयालाल द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(2) डी. सी. एम. फैक्ट्री, कोटा का गंदा पानी नालों द्वारा नदी में डाले जाने से रायपुरा, देवली आदि में पेय जल समस्या के बारे में श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री गंगासहाय व श्री हरलालसिंह द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(3) कस्बा लाडनूं के डनलप टायरों के व्यापारियों द्वारा सेल्स टैक्स की चोरी करने के बारे में श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन–प्रस्ताव।

वित्तीय समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्ताव।

सदन में भाषायी संयम पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पोइंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इतने अर्से से कई दफा विचार किया है कि यह पोइंट आफ आर्डर आपके सामने पेश करूं। कई वर्षों से सदन की कार्यवाही के बीच में कई ऐसे डिसकशन्स आ जाते हैं कि मैं ही नहीं और सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी सदन के माननीय सदस्य यह फील करते हैं कि जो भाषा यहां पर बोली जाती है वह अन-पार्लियामेंट्री होती है और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि सदन में नहीं होना चाहिए। कल भी जब माननीय मंत्रीजी अकालग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में यहां फर्मा रहे थे उस वक्त काफी बहस यहां पर हुई उसके बीच में ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ। हो सकता है कि कई माननीय सदस्यों को चोर डाकू कह जायं और वे बर्दाश्त कर लें, हो सकता है कि मंत्रियों को बदमाश कहा जाय और वे बर्दाश्त कर सकते हों, पर कई ऐसे सदस्य भी बैठे हुए हैं जो ऐसी भाषा के आदि नहीं हैं। यदि ऐसी भाषा प्रयोग में आती रहेगी तो शायद दिक्कत पैदा हो सकती है। पहले भी ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पर हुआ है मैं परसों कोटा महारानी साहिबा के पास बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आप सदन में चलें तो उन्होंने फर्माया कि सदन में बैठकर क्या करें वहां तो ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। शायद हमारे पर ऐसी भाषा आने लग जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए सदन में बैठना मुश्किल हो जाय। उसके लिए मैं यह समझता हूं और कई माननीय सदस्यों ने भी निवेदन किया कि यह उनका अधिकार है कि वे गालो काढ़ें। ऐसी चर्चा आपस में होती है। मैं चाहता हूं कि इस पर व्यवस्था राज्य सरकार की होनी चाहिए। मैं ही नहीं बाहर के लोग भी कहते हैं कि पंचों से भी नीचे स्तर गिर गया है सदस्यों के बोलने का। आपको व्यवस्था दी हुई है पर कम से कम भाषा के प्रयोग के बारे में स्पेसिफाई कर दें कि यह भाषा ठीक है या नहीं, अन्यथा 'बदमाश', 'लुच्चा', 'लफंगा' ऐसे शब्द नहीं हैं जिनका कि प्रयोग पार्लियामेंट्री हो। ऐसी सदन की स्थिति हो गई है कि जब आरोप लगाते हैं कर्मचारियों पर उस वक्त बदमाश, लुच्चा, लफंगा, कुछ भी कह सकते हैं, सदन के सदस्यों को भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से नहीं कहा जाय नहीं तो

(श्री मदनसिंह)
इसका बहुत भारी विपरीत असर होगा। इसकी व्यवस्था अगर आसन देने में असमर्थ है तो मैं इसके विरोध के अन्दर असेम्बली मैं आने के लिए असमर्थ रहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ सुझाव दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह पाइंट आफ आर्डर की परिभाषा में तो नहीं आता है, लेकिन यह सुझाव कितना उपयोगी है, इसका अन्दाजा · · ·

श्री मदनसिंह दांता : 298 में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

इसका अन्दाजा माननीय सदस्य खुद लगा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि भाषा का प्रयोग जो यहां पर हो वह बहुत ही सोच समझ कर किया जाय। यहां पर शब्दों की गिनती का महत्व नहीं है, जितना कि उन शब्दों के वजन का महत्व है। इसलिये जो माननीय सदस्य ने कहा कि कभी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें मैं यह चाहूंगा कि जब कभी इस तरह का प्रश्न आये तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय और उसमें आसन का पूरा सहयोग रहेगा। मैं आभारी हूं, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया उसके लिए।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) उपाध्यक्ष जी, कल जिस समय अकाल और बाढ़ के सम्बन्ध में डिबेट हो रही थी सदन में उस वक्त जिस भाषा का मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन के अन्दर श्री मथुरा दास जी माथुर के खिलाफ प्रयोग किया वह अन-पार्लियामेन्ट्री थी और उसे एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज उसी वक्त आपत्ति किये जाने पर किया जा सकता था। लेकिन इसका अन्दाजा ध्यान रखें। इसमें एक और निवेदन कर दूं कि खाली एक्स-पंज करने का प्रावधान ही नहीं है, अगर इस तरह की भाषा का उपयोग कोई माननीय सदस्य करें तो उसमें विशेषाधिकार का भी हनन है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार एतराज किया था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग गलत है। आप प्रोसीडिंग्स में उसका मुलाहिजा फर्मायें। ऐसा प्रोसीडिंग्स में कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): कब कहा ?

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): कब कहा ? पहले की कार्यवाही पर आज एत-राज नहीं उठा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो सकता है कि मैं फिजिकली प्रेजेन्ट नहीं होउं, इसलिए मैंने पूछा कि कब कहा ? जब आप यहां पर थे शारीरिक दृष्टि से थे भले ही मान-सिक दृष्टि से कहीं और थे तो आपने उस वक्त एतराज क्यों नहीं किया।

Page No. 60

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : किया था, यह कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are physically present but you are mentally absent from the house

श्री अमीनुद्दीन : बहुत अच्छा क्या कहने हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल भी जो भाषा का प्रयोग हुआ वह एक तरफ से नहीं हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है। यह मंत्रीगण और सदस्यगण सभी मानेंगे।

श्री मदन सिंह : वेरी ट्रू !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भोम) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषा के प्रयोग की निरन्तर गिरावट होती जा रही है, वह वाकई दुख की बात है। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि सदन में महिलाओं का बैठना मुश्किल हो जाता है। मेरा निवेदन सब पार्टियों के लीडर्स से है कि जब उनकी पार्टी के कोई माननीय सदस्य बोलते हैं और वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो वह रोकें इससे ज्यादा मदद मिल सकती है। सब के सहयोग से ऐसी बात रोकी जा सकती है। मैंने इसके विपरीत कई बार देखा है कि उनको बढ़ावा दिया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय गाडिया ने हमारे सदन के नेता महोदय के प्रति · ·

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, अब इस मामले को बन्द करें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर अब नव बन्द की जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसी भाषा के प्रयोग पर पाबन्दी रखी जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को यहां पर प्रस्तुत करूं उसके पहले मेरा निवेदन है कि मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ अन्त में जाते जाते यह कहा कि मेरे दामाद से सम्बन्धित किसी प्रश्न को तारांकित से अतारांकित कर दिया गया है। पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि स्टार्ड, अनस्टार्ड क्वेश्चन के बारे में फैसला मेरी तरफ से नहीं किया जाता है। यह सदन के अध्यक्ष के जरिये इस बारे में फैसला होता है। मेरा इसमें प्रश्न नहीं है लेकिन जिस प्रकार से यह बात यहां कही, तो कौनसा प्रश्न उठाया था वह बता दें। यह भ्रांति मैं नहीं चाहता कि रहे, चाहे प्रश्न नियमित था या नहीं था लेकिन एक बात को उठा कर छोड़ दिया जाय–यह मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं, रूल्स में न आते हुए भी उसको स्पष्ट करा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रश्न को तारांकित या अतारांकित करने का प्रश्न स्पीकर के विवेक का है और उसके सम्बन्ध में प्रश्न इस विधान सभा में नहीं उठाया जा सकता। मकराना

(श्री रामनारायण चौधरी)
से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि स्पीकर के अधिकारों को उन्होंने चुनौती दी है। मैं चाहूंगा कि उनको यह चेतावनी दे दी जाय कि इस प्रकार का प्रश्न भविष्य में वह न उठायें और मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया है इसको उठा कर उन्होंने स्पीकर की शक्ति को चुनौती दी है। इसलिए वह अपने शब्दों को वापिस लें और आगे के लिए ध्यान रखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा निवेदन है कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए यह एक बात है। लेकिन जब उठा दिया गया है तो वह रिकार्ड पर रह जाय और स्पष्ट नहीं हो—यह मैं पसन्द नहीं करता।

श्री रामनारायण चौधरी : यह ठीक है लेकिन इस तरह यह परम्परा बन जायगी और माननीय सदस्य इस तरह के प्रश्न उठाये जायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आसन की तरह से व्यवस्था दी जाय और जो कहा गया है उसको एक्सपंज किया जाय। आसन की ओर से आगे के लिए व्यवस्था दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्नोत्तर काल में माननीय मुख्य मंत्री जी के दामाद के सम्बन्ध में किये गये किसी अतारांकित प्रश्न को लेकर कोई प्रश्न खड़ा किया, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और नियमों को रिलेक्स करके उस प्रश्न को यहां पूछने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि उसका यहां पर स्पष्टीकरण हो सके। उनके बाद में श्री रामनारायण जी ने उनकी बात का समर्थन किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस का नियम बना हुआ है उसके अनुसार सदन को लिस्ट आफ बिजनेस में एन्टर हो चुका है। क्वेश्चन आवर खत्म हो चुका है, उसके बाद में एडजोर्नमेंट मोशन पर आसन द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है और उसके बाद में समितियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव करने के लिए मुख्य मंत्री जी को कोल अपोन किया जा चुका है, इसके बाद में एक नई चीज को माननीय मुख्य मंत्री जी उठाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को उठाना था तो पहले उचित अवसर पर उठाया जा सकता था। वैसा न करके यहां जो बात कही उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अब रियलाइज किया और अब यह समझे कि इससे सदन में और सदन के बाहर भ्रांतियां पैदा होगी. ऐसा समझते हैं सदन के नेता महोदय, तो मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं, व्हिप हैं और सेक्रेटरी हैं, उनको इस सदन के प्रोसीजर और रूल्स आफ प्रोसीजर की जानकारी होनी चाहिए। वह इस पाइन्ट को तब उठा सकते थे, आपकी मदद के लिए तब उठ सकते थे जब इस बारे में कहा था • • •

श्री हरिदेव जोशी : तुरन्त उठाया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय नहीं उठाया। सदन जब लिस्ट आफ बिजनेस में एन्टर अपोन हो चुका, क्वेश्चन आवर के बाद में आसन ने एडजोर्नमेंट मोशन्स को रिजेक्ट किया है, उनके बारे में व्यवस्था की गई है जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उसके बारे में और उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी को काल अपोन किया समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करने को। इतना आगे बढ़ने के बाद में तारांकित अतारांकित के प्रश्न पर जाना क्योंकि आपके दामाद के सम्बन्ध में यह बात सदन के सामने आ गई है, रिकार्ड पर आ गई है, अखबारों में यह चली गई है, इसलिए यदि इसकी सफाई नहीं हुई तो उचित नहीं होगा-यह आपके दिमाग में परेशानी है। मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के चीफ ह्विप को और माननीय सदस्यों को रूल्स का ज्ञान करायें ताकि ऐसा पाइन्ट आने पर वह पाइन्ट आफ आर्डर रेज करें, ताकि जब भी सुखाड़िया जी के ऊपर आफत आती है तो वह सुखाड़िया जी की मदद करें, यहां बैठ कर केवल तमाशा न देखें। सुखाड़िया जी के ऊपर आरोप लगाये जायं और वह चुपचाप बैठे रहें-यह पोजीशन न रहे। लेकिन इस स्टेज पर, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को री-ओपन नहीं किया जा सकता।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे सदन में कोई भी ऐसा सवाल उठाया जाय तो फौरन . . .

श्री सतीशचन्द अगवाल : आप बोल रहे हैं तो रूल्स की किताब भी खोल लें। आज इसी पर बहस कर लें।

श्री बरकतुल्ला खां : तो उस पर फौरन जवाब देना चाहिए। लेकिन अपने यहां अक्सर ऐसा हुआ है कि चेयर जब एडजोर्नमेंट मोशन पर अपना निर्णय देती है तो बहुत से माननीय सदस्य दूसरे दूसरे सवाल उठाते हैं। इसलिए यह कहना कि सदन के नेता महोदय ने पहली बार ऐसी बात कही है, ऐसी बात नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य भी कई दफा ऐसी बात कह चुके हैं। एक हद तक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे काफी काबिल दोस्त बैठे हैं, सतीशचन्द्र जी, उनको याद होगा कि कभी कभी वक्त बेवक्त जब स्पीकर महोदय बोलते होते हैं तो वह प्रश्न उठाते हैं।

श्री सतीशचन्द अगवाल : वक्त बेवक्त, मौके बेमौके इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप लोग शोप और गोट की तरह डीफ एण्ड डम्ब की तरह बैठे रहते हैं। जो वक्त बेवक्त, मौके बे मौके पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं वह आपकी अज्ञानता पर उठाते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : रूल का ज्ञान बेवक्त, से लेने के लिए ही यहां बैठे हैं, आप लायक वकील हैं। हम भी वकील हैं लेकिन न तो हमें अपनी नालेज दिखानी है और न नालेज का सर्टीफिकेट लेना है। सवाल यह है कि पाइन्ट आफ आर्डर तब उठाना चाहिए जब उसको उठाने की जरूरत हो। हर मिनिट पर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करके अपनी काबलियत दिखा सकते हैं। लेकिन सदन की मर्यादा नहीं रखी जा सकती। मेरा निवेदन है कि काबलियत का आधार यह नहीं हैं कि हमने इतने पाइन्ट आफ आर्डर उठा लिये तब ही हम में काबलियत है। मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ वह यह है कि चीफ मिनिस्टर, सदन के नेता महोदय के लिए यह कहा जाय कि उनके दामाद का प्रश्न था इसलिए उनको स्टार्ड से अन-स्टार्ड कर दिया गया-मैं समझता हूँ कि

(श्री बरकतुल्ला खां)
यह चेअर के ऊपर रिफलेक्शन कास्ट, किया गया है, चेयर के अधिकार के ऊपर रिफ्लेक्शन था । उसके बाद सदन के नेता के सामने कोई आल्टरनेटिव नही था सिवाय इसके चेयर को री-ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते । मैं यह निवेदन करता हूं कि वह प्रश्न सदन के सामने आ जाय और उस पर क्लेरीफिकेशन हो जाय . . .

श्री फतह सिंह (ब्यावर) : यह प्रश्न उसी वक्त रेज क्यों नहीं किया ?

श्री बरकतुल्ला खां : और इसलिए ही चोफ मिनिस्टर इस बात के लिए तैयार हो गये कि इनडाइरेक्ट तरिके से उस क्वेश्चन को लेकर उसको डिस्कुस कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : किसी प्रश्न को तारांकित करना या अतारांकित रखना यह अध्यक्ष महोदय के अधिकार में है । अध्यक्ष महोदय जो कोई निर्णय लें उस बारे में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती । माननीय सदस्य मकराना से आने वालों ने, आसन से रोके जाने के बाद भी यह बात कही । इसके बाद प्रश्न आया कि इसे कार्यवाही से हटा दिया जाय दूसरा यह भी आया कि इसमें कुछ शंका उत्पन्न हो गई इसलिये इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाय । यह एक्सपन्ज तो हो नहीं सकता, कुछ शर्तों पर ही रिमार्क्स एक्सपन्ज हो सकते हैं किन्तु आसन के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गईं, इसलिये इसे अखबारों में या अन्य तरीके से सदन के बाहर प्रकाशित नहीं किया जाय ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैंने शासन के बारे में नहीं कहा, शासन से न्याय मांगने की अपील की थी ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ । जो आसन की आज्ञा के बगैर कहा जाय उसको तो एक्सपंज करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलोनियां : (फागी) : व्यवस्था का प्रश्न हे उपाध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से आदेश होते हैं उनका हम मानते हैं, सारा सदन मानता है . . .

उपाध्यक्ष : कई दफा नहीं मानते, कभी कभी मान लेते हैं।

श्री लादूराय सुलानियां : आप किसी चीज को प्रोसीडिंग्स से निकाल सकते हैं, यह आपके अधिकार की बात है कि आप कह दें 'इसे निकाल दिया जाय' । सदस्य के लिये ऐसी बात कहे कि . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर . .

श्री लादूराम सुलानियां : आसन की अवहेलना करें तो पुनः निवेदन कर सकते हैं और आसन से इजाजत चाहते हैं, तो यह कोई ऐसी बात नहीं कि प्रोसीडिंग्स से हटा दी जाय । प्रश्न इस बात का था कि माननीय मुख्य मंत्री केवल अपने मुख्य मंत्रित्व की हैसियत से उस तारांकित प्रश्न को अतारांकित करवायें, आसन को दबाया जाय . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य . . .

Page No. 64

श्री लादूराम सुलानियां : यह हम नहीं चाहते। आसन को दबाया नहीं जाना चाहिये, केवल इतनी सी मांग थी। उस बात को लेकर सदन में इस प्रकार की बात पैदा हो, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं ....

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, आसन के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फिर आपसे निवेदन करूंगा कि यह बात जिस प्रकार से उठाई गई थी, ज्यों की त्यों रहे, आसन से व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कब कहा कि नहीं रहेगा। वह कार्यवाही में रहेगा, यही तो कहा है।

मुख्य मंत्री।

प्राक्कलन एवं रा. उपक्रम समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्ताव।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, प्राक्लन समिति, 1968–69 की सदस्यता से श्री रामनारायण चौधरी द्वारा दिये गये त्याग–पत्र के कारण हुए एक रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य का निर्वाचन किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी. (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, राजकीय उपक्रम समिति, 1968-69 की सदस्यता से श्री हरिप्रसाद शर्मा द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के कारण हुए एक रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य का निर्वाचन किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजकीय उपक्रम समिति में जो एक स्थान रिक्त है, उसके लिये चुनाव किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात की जानकारी मुख्य मंत्री जी से करूं, वैसे कोई एड्जर्नमेंट मोशन नहीं है पर राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ का लोन फ्लॉट किया था, उसका अन्तिम दिन निकल चुका है पर न तो समाचार पत्रों में इसके बारे में कोई समाचार निकला है और न राज्य सरकार की ओर से ही कुछ निकला है। तो जो लोन फ्लॉट करना चाहा था वह मिल गया या नहीं, किस प्रकार की स्थिति है, इसके बारे में सदन में भी और जनता में भी चिन्ता है, तो इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उत्सुकता के लिये इतनी जानकारी दे दूं कि उसका समय पूरा नहीं हुआ है, कल खत्म होगा। आज 3 बजे क्लोज हो जायगा क्योंकि सन्स्क्राइब हो चुका है लोन।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनको समझा दिया जाय, फ्लोट का मतलब कुछ और समझ गये।

श्री उपाध्यक्ष : महाराजा कालेज आदि के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

(1) महाराजा कालेज एवं अन्य कालेज के छात्रों को हड़ताल संबन्धी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री बरकतुल्लाखां (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार भी यही चाहती है कि कोई अच्छे तरीके से जल्दी फैसला हो जाय और हमारे सब बच्चे वापिस पढ़ने में दिल लगायें....

श्री भैरोंसिंह : आपके तो कोई बच्चा है नहीं।

श्री बरकतुल्लाखां : अपने सब बच्चे हैं, खास तौर से जब से शिक्षा मेरे पास है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सब लेवल पर....

एक माननीय सदस्य : सब को बच्चे बनाते हो, कोई दावा कर देगा ...

श्री केशरीसिंह : किसी को गोद ले लो।

श्री बरकतुल्लाखां : भैरोंसिंहजी के हिसाब से कितने ही साल बाकी हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस हड़ताल के मामले को लेकर न तो गवर्नमेंट कोई अपना प्रेस्टिज का इश्यू बनाना चाहती है, न इसे ऐसा इश्यू करना चाहती है कि कभी छात्रों से बैठ कर बातचीत न कर सके, बल्कि हमारी शुरू से कोशिश रही और आज भी यही कोशिश है कि सबसे मिल कर आपस में बात करें, और कोई रास्ता निकालें। इसलिये जब उनका डेपुटेशन मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में आया था तो मैं भी था, हम दोनों बैठे थे और उनसे बातचीत की। मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी मुख्य मुख्य डिमाण्ड्स इस प्रकार थी।

एक उनकी डिमाण्ड यह थी कि मेडिकल कोलेजेज में रीजनवाइज सीट्स रिजर्व हो जानी चाहिये। यह रीजनवाइज डिमाण्ड थी, जोधपुर में जोधपुर यूनिवर्सिटी के, उदयपुर में उदयपुर यूनिवर्सिटी के और बाकी के अन्दर राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स बाकी तीन कालेजेज में दाखिला ले सकें। मैं अपनी तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान की 22 रियासतों को एक जगह जमा कर के एक बड़ा राजस्थान बनाया गया था, इस भावना से बनाया था कि अलग अलग रियासतें, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग राज्य न रह कर हो राजस्थान का एक एडमिनिस्ट्रेशन हो और राजस्थान

(श्री बरकतुल्ला खां)

में लोगों को टैलेन्ट का मौका मिले और राजस्थान के सब लोग मिल कर राजस्थान के विकास में हिस्सा लें और जो पुराने जमाने को गलत परम्पराएं पड़ी थीं उनसे ऊपर उठ कर राजस्थान के लोग एक हों। अब अगर फिर रीजनलिज्म की तरफ जायेंगे तो राजस्थान को बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि आज मेडिकल का सवाल है, कल नौकरियों का सवाल आयेगा, परसों दूसरे सवाल आयेंगे। इसलिये मैं आपके जरिये सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि रीजनल बेसिस पर करने से खतरा बढ़ता है, घटता नहीं है।

पर जहां विद्यार्थियों को यह डर है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में मार्क्स लिबरली दिये जाते हैं और कुछ में बड़ी सख्ती से मार्क्स दिये जाते हैं और इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज के लोगों को इसका फायदा पहुँच सकता है, इस शंका को भी सामने रखना चाहिये। इस शंका को सामने रखते हुए राज्य सरकार ने तय किया कि अगले साल से मेडिकल कालेजेज में दाखिला होगा वह इम्तिहान के जरिये होगा सभी इम्तिहान में बैठेंगे और जो लोग काबिल होंगे उनको एड्मिशन दे दिया जायगा। इसके विस्तार में हैल्थ मिनिस्टर जायेंगे पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परम्परा दूसरी जगहों पर भी हैं, आगरा कालेज में, यू. पी. में और दूसरी जगह मौजूद है।

मैं समझता हूँ चूंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लड़कों यह शंका है कि जो मार्क्स जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को मिलते हैं, उससे उनका डिविजन पूरा हो जाता है, इस शंका को दूर करने के लिये यह फैसला राज्य सरकार ने कर लिया कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और काबिलयत के आधार पर एड्मिशन्स होंगे।

श्री भैरोंसिह : यूनिवर्सिटी लेवल पर?

श्री बरकतुल्लाखां : यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जामिनेशन होगा और यूनिवर्सिटी उसकी एग्जामिनिंग बॉडी होगी।

दूसरा यह उठाया कि जयपुर में जियोलोजी की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज होनी चाहिये। जियोलोजी की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलने में 30 लाख का खर्चा आता है। अभी राजस्थान में उदयपुर में जियोलोजी की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलीं। इन क्लासेज में यह माना जाता है, बहुत सी हमसे बड़ी स्टेट्स हैं, हमसे मालदार स्टेट्स हैं उनके अन्दर भी एक से ज्यादा जियोलोजी की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज नहीं हैं। जैसे पंजाब जैसे मध्यप्रदेश जहां भी जियोलोजी का बहुत ज्यादा काम है जैसे बंगलोर, वहां पर एक ही जगह यह क्लासेज रखी हैं लेकिन पूरे राज्य के अंदर इस चीज को नहीं बढ़ाया है। तो सर्वे करने के बाद जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसको मानते हुए उदयपुर के अंदर यह किया गया क्योंकि वहां खनिज पदार्थ बहुत हैं इसलिए वही उपयुक्त स्थान बताया गया और वहां से यहां हटाने में दिक्कत पैदा होती है। कोर्सेज तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही है।

तीसरी बात थी कि बायो-केमिस्ट्री और फार्मेसी के क्लासेज होने चाहिए। बायो-केमिस्ट्री की अभी राजस्थान मेडीकल कालेजेज के अंदर व्यवस्था है खास तौर से एस. एम. एस. मेडीकल कालेज जयपुर के अंदर व्यवस्था

(श्री बरकतुल्ला खां)

है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का यह फैसला है कि बायो-केमिस्ट्री के क्लासेज हिन्दुस्तान में केवल 10 स्थानों पर खोले जाने चाहिए। इसी तरह से फार्मेसी पिलानी के अंदर मौजूद है। हमारे मेडीकल कालेजेज के अंदर वे क्लासेज होती हैं इसलिए यह कहना कि पूरे राजस्थान में सभी जगह चाहे जरूरत हो या न हो, कोर्सेज खोल दिए जायं, यह राजस्थान के लिए काफी संकट पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोनिक्स का कोर्स सिर्फ पिलानी के अन्दर है। इलैक्ट्रोनिक्स आने वाले जमाने की जरूरत है, पूरे हिन्दुस्तान में नहीं खोले जा सकते। इसी तरह राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जियोलोजी के क्लासेज उदयपुर में खोले गए। फार्मेसी और बायो-केमिस्ट्री मेडीकल कालेजेज में एडवान्स स्टडीज के अन्दर की गई।

इसी तरह से उनकी मांग थी लैबोरेटरी फीस के बारे में। दो मीटिंग्स हुई थीं जिनमें वाइस-चांसलर्स मौजूद थे, उसके अन्दर चीफ सैक्रेटरी चेयरमेन थे, दूसरी में हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और उनके अन्दर यह फैसला हुआ कि राजस्थान में फीस बराबर की लेविल पर लायें और इसी को सामने रखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर कुछ फीस बढ़ाई गई, क्योंकि जोधपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटीज के बीच डिस्पैरिटी थी। इस तरह-सरकार के जो कालेजेज चल रहे हैं और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से एफीलियेटेड हैं उनके अन्दर नान-टैक्स पेयर के लड़कों से भी 2 रुपया महीना लेबोरेटरी फीस ली जाती थी और वही 2 रुपये लैबोरेटरी फीस के राजस्थान विश्वविद्यालय में रख दिए गिए। यह इसलिए किया गया है कि राजस्थान में अब भी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज कुछ अलग हैं लेकिन कम से कम फीस तो युनीफाइड हो तो अच्छा है।

इसी तरह से एक मांग थी कि एन. सी. सी. के अंदर आर्मर और आर्टिलरी कोर्सेज हैं वे बने रहने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है। सरकार लिख रही है कि जो दूसरे यूनिट्स हैं उनके बदले आर्मर और आर्टिलरी यूनिट्स एन. सी. सी. के अंदर राजस्थान में रहने चाहिए।

एक मांग थी कि अटेन्डेन्स 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी जाय। यह तो यूनिवर्सिटीज के सोचने की बात है कि 75 से घटाकर 50 किया जाय या 25 किया जाय या यूनिवर्सिटीज को कोरेस्पोन्डिंग कालेजेज के तरीके से रखा जाय लेकिन जो टैक्स पेयर इतना रुपया खर्च करता है और जो राजस्थान के लोग और भारत के लोग इस इन्सटीट्यूशन पर इतना रुपया लगाते हैं, इसके बारे में सब चाहते है कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसे कदम उठायें जिससे हमारे विश्वविद्यालयों का शिक्षा का स्तर सुधरे। अगर लड़कों की मांग पर यह कदम उठाया गया कि 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया तो आखिर एक स्टेज वह आने वाली है कि हमारी यूनिवर्सिटीज कोरेस्पोन्डिंग स्कूल्स और और कालेजेज ही रह जायेंगे और टीचिंग संस्थायें नहीं रहेंगी। दूसरे देशों और हमारे देश के बीच फर्क है, जो चीज यूरोप और अमरीका में ठीक हो सकती है वह जरूरी नहीं कि राजस्थान और भारत में भी ठीक हो। उनके अपने तरीके के कोर्सेज हैं जहां अटेन्डेन्स जरूरी नहीं हैं।

(श्री बरकतुल्लाखां)

बाहर के अंदर भी किसी जमाने में होता था। लेकिन वहां भी उन्होंने देखा कि परीक्षा इतनी कमजोर हो गई है और वापस उन्होंने फैसला किया कि फुल अटेंण्डेंस होनी चाहिए और फुल पेपर्स होने चाहिए। जिन जिन देशों ने यह सिस्टम अपनाया था वे भी हट रहे हैं। तो अटेन्डेन्स कम हो या न हो मैं यूनिवर्सिटीज पर छोड़ता हूँ, वे ही डिसाइड करेंगे।

यह कहा गया कि स्टेडी टूर्स में सारा खर्चा सेंट परसेंट यूनिवर्सिटी दे। इसका मतलब यह निकलता है कि सेंट परसेंट यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, राज्य सरकार दे। मैं जब एम. ए. में पढ़ता था तो हम स्टडी टूर्स पर जाया करते थे, हमारा कम्पलसरी पेपर था और सारा खर्चा खुद बर्दाश्त करते थे। हम पर एक एहसान था कि प्रोफेसर चल कर समझाता था। यहां पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत खर्चा तो बरदाश्त करती है, वे चाहते हैं कि 100 प्रतिशत खर्चा यूनिवर्सिटी बरदाश्त करे। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूं कि क्या कहूं। सारे सवाल को एग्जेमिन करवा रहे हैं, फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स भी एग्जेमिन करवा रहे हैं। उसके बाद बता सकता हूं कि राज्य सरकार कितना एक्सट्रा ग्रांट यूनिवर्सिटी को दे सकती है।

एक बात है कि लाइब्रेरी के अन्दर दो कमरे और बनने चाहिए। मैं समझता हूं कि यह मांग वाजिब है और मुझे सुनकर तकलीफ हुई। मैंने जब चैक करवाया तो पता लगा कि राज्य सरकाने जो जो ग्रांट का रुपया था वह यूनिवर्सिटी को दे दिया और कभी भी राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना तय किया था उसमें कमी नहीं की लेकिन मैं समझता हूं कि ये दो कमरे बनने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा किसी तरह से भी कोई ग्रांट निकालकर इन दो कमरों को बनवाया जाय।

जहां तक रोडवेज के अंदर रेल्वे की तरह सुविधाओं और रियायतें देने का प्रश्न है उसके लिए मैंने स्टेट रोडवेज के चेयरमैन से बात की है और वह भी अपने बोर्ड के सामने इस प्रश्न को रखेंगे और उनका जवाब आने पर कुछ कह सकता हूं। चेयरमैन साहब का रुख काफी फेवरेबुल लगता था लेकिन मेरे लिए बोर्ड के डिसीशन को एन्टीसिपेट करना मुश्किल होगा हालांकि उनका रुख हमदर्दाना और दोस्ताना था। मैं समझता हूं, शायद इस पोइंट पर भी हमारा कोई फैसला हो जाय।

विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिए कुछ नौजवान गुंडे उनके साथ लग रहे हैं। मैं जानता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थी इतने गिरे हुए नहीं हैं लेकिन उनको इस बात का खयाल रखना चाहिये कि जब वे अपनी हड़ताल करें, जलूस निकालें तो गलत लोग उनके जलूस में शरीक न हों। जो नौजवान कालेज में या यूनिवर्सिटी में न पढ़ते हों वे लोगों से चंदा मांगते हैं। इस तरह की घटनायें मेरे सामने आई हैं। मुझे यकीन है कि वे हमारी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज के लड़के नहीं हैं लेकिन दूसरे एलीमेंट्स उनके साथ खड़े होकर लोगों से चंदा लेते हैं और विद्यार्थियों को बदनाम करवाने की कोशिश करते हैं....

श्री भैरोंसिंह : ऐसी शिकायत नहीं आई होंगी। आई हैं तो भड़काने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

आई हैं। या तो सूचना देने वाले बदनाम कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं है। जिन्होंने सूचना दी है वे शायद विद्यार्थियों के बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं।

(1 म. प.)

श्री बरकतुल्ला खां : अगर राजस्थान के लोग होते तो मैं फर्दर स्क्रूटिनी कराता। वे बाहर के लोग थे। कुछ लोग थे जलूस के पीछे। मालूम नहीं था कि वे स्टुडेन्ट्स थे या नहीं। मैंने कहा कि स्टुडेन्ट्स नहीं थे। राजस्थान के स्टुडेन्ट्स को मैं जानता हूं। सचेत उनको रहना चाहिये।

स्ट्राइक का मैं दुश्मन नहीं हूं। आजाद हिन्दुस्तान में स्ट्राइक करने का अधिकार है। इसको एक्सरसाइज करने के लिये यह ध्यान रखना चाहिये कि नुकसान किसका हो रहा है। विद्यार्थियों का ही नुकसान हो रहा है। आखिर में विद्यार्थियों का ही नुकसान होगा और किसका होगा हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। इसको प्रेस्टिज का इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं। कालेज में जाकर पढ़ें और एक रीजनल वे में सेटलमेंट हो। डेमोक्रेसी में रीजनल वे में बैठकर ही सेटलमेंट होता है। इसका यही आधार है। यदि डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। तो फिर यह नहीं हो सकता कि आई एम आलवेज राइट एण्ड यू आर आलवेज रोंग, एण्ड यू आर आलवेज रोंग एण्ड. आई एम आलवेज राइट। इसमें मैं गलत हो सकता हूं और राइट हो सकता हूं। डेमोक्रेसीमें यह है कि अपनी गलती मानें। बैठकर कोई भी रास्ता निकालें। आज टाइम खराब हो रहा है उससे आगे जाकर उन्हीं को तकलीफ होने वाली है।

अन्त में मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और स्टुडेन्ट्स से अपील करूंगा कि वे इस स्ट्राइक को वापिस ले लें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : मैं मेडीकल का जवाब दे दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलग अलग हो हो जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं समझता हूं कि केवल विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की चेष्टा की है। इस प्रकार की सहानुभूति का एक वक्तव्य विश्व विद्यालयों की ओर से समाचार पत्रों में छपा है। ऐसा लगता है सहानभूति की कमी न सरकार और न ही विश्व विद्यालय के पास है। जिस प्रकार आश्वासन दिये जाते हैं उनका पालन किस हद तक हुआ उसके बारे में न विश्व विद्यालय का विश्वास किया जा सकता है और न ही सरकार का। आज विद्यार्थियों को आह्वान करते हुए अपील की इस प्रश्न को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ नहीं है। मंत्री महोदय ने विश्व विद्यालय की विज्ञप्ति को पढा होगा। उसमें यह लिखा है कि जब तक छात्र आन्दोलन वापिस नहीं लेंगे तब तक मांगों को माना नहीं जायेगा। यह तो इसको विश्व विद्यालय को धमकी कह दीजिये या इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ कह लीजिये। आपने कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि विश्व विद्यालय के अधिकारी या सरकार 31 तारीख से लेकर आज तक 6 तारीख तक निश्चित निर्णय बैठ कर नहीं कर सके।

(श्री भैरोंसिंह)

अब प्रश्न यह आता है कि आन्दोलन विद्यार्थी कर रहे हैं, विश्व विद्यालय और सरकार चिन्तित है और आन्दोलन उग्र रूप धारण न कर ले इसके लिये जन मानस भी चिन्तित है। इसको किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है उसके लिये माननीय मंत्री महोदय ने एक नया शिगूफा आज सदन में छोड़ा है। मैं मंत्री महोदय का दोष नहीं मानता। यह तो साथ में बैठने वाले व्यक्ति लगातार पन्द्रह वर्षों से कहते आये हैं। कोई आन्दोलन हो उसमें भेद किस प्रकार पैदा किया जाय यह सरकार की नीति होती है। उसको लेकर आन्दोलनकारी नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि कुछ ऐसे तत्व अराजकीय तत्व उसमें घुस गये हैं और वह अनियमित कार्यवाहियां कर रहे हैं। वही नारा मंत्री महोदय ने लगा दिया। जयपुर में हम लोग भी रहते हैं। सम्पर्क भी है और जलूस निकले हैं वह देखे भी हैं। किसी विद्यार्थी को किसी की टैक्सी को रोक कर कम से कम पांच दिनों में चन्दा उगाते हम ने नहीं देखा है। सरकार की यह दलील है कि आन्दोलन इस रूप में उग्र रूप धारण कर रहा है इसलिये उसको किस प्रकार दबाया जाय। उसी रूप में आपने यह बात कही है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। पुलिस विभाग ने भी आपको इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी होगी कि विद्यार्थी चन्दा उगाने के लिये इस प्रकार कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों के प्रति उपेक्षा का भाव क्यों है? विद्यार्थियों के प्रतिनिधि उप कुलपति के पास गये तो कहा कि उनसे इस समय बात नहीं हो सकती। पी. ए. से मिलिये और उप कुलपति से मिलने के लिये समय निश्चित कराइये। यह हो नहीं सकता कि उप कुलपति को उस समय इस सब की जानकारी नहीं थी कि विद्यार्थी मांग-पत्र लेकर उनके घर गये हैं और उसके स्वीकार न होने पर वे आन्दोलन का निर्णय कर चुके हैं। यदि इतनी सी जानकारी उप कुलपति को न हो तो यह विश्व विद्यालय का दुर्भाग्य है। जानकारी होने पर मांग पत्र लेकर गये तो कहा गया कि वे जरूरी काम से जाने वाले हैं इसलिये इस समय मिल नहीं सकते हैं इसलिये पी. ए. से उनके मिलने का समय ले लेना चाहिये। उप कुलपति यह करते हैं व्यवहार तो समझ में आता है। लेकिन जब छात्र मांग लेकर मुख्य मंत्री के पास गये तो वे भी मिलने के लिये तैयार नहीं थे। यदि राजस्थान के उप कुलपति और मुख्य मन्त्री मिले नहीं तो लड़के अपनी मांगों को लेकर किस व्यक्ति के सामने जाकर याचना करेंगे। दोनों सुनने के लिये तैयार नहीं। आज आप उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। यदि आरम्भ में ही छात्रों के सामने यह प्रकट की जाती तो कोई समस्या पैदा नहीं होती। मैं प्रत्यक्ष में बताना चाहूंगा कि महाराजा कालेज के स्टुडेन्ट्स प्रतिनिधि मेरे पास आये। संयोग से कार्पोरेशन के चैयरमैन श्री ज्वाला प्रसाद जी उपस्थित थे। दोनों की बातचीत हुई। उन्होंने मांग-पत्र देखा। मैंने सब से पहले देखा कि मांग पत्र दिया है उसमें बीस-पच्चीस मांगें रख दीं हैं। उनमें कई ऐसी मांगें हैं कि जैसे कालेज की लायब्रेरी में दो रूम की और आवश्यकता है। यह तो किसी समय आकर कहे तो भी व्यवस्था करायी जा सकती है। इसके लिये उप कुलपति और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री को कहने की आवश्य-

(श्री भैरोसिंह)

कता नहीं है। 22 मांगें उनकी थी जिनमें से विद्यार्थियों ने स्वीकार कर लिया कि 6 मांगें ही उनकी स्वीकार कर ली जाय। जैसे भू-गर्भ विभाग खोला जाय, बायोकेमिस्ट्री के लिये कहा। मूल मुद्दा यह है। विद्यार्थियों पर भार बढ़ता जा रहा है।

(1.01 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

उस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि आज से पांच साल पहले जो पुस्तक चार रुपये में खरीदने को मिलती थीं आज उसी पुस्तक के 20) 25) है। युनिवर्सिटी की किताबों की हालत यह है कोर्सेज निर्धारित करने की हालत यहां तक चली गयी है कि गरीब स्टुडेन्ट्स हमारे पीछे पड़ते हैं और कहते है कि विधान सभा की लायेब्रेरी और दूसरी लायेब्रेरी से हमको ये पुस्तकें दिलवा दीजिये। मध्यम श्रेणी का विद्यार्थी इन पुस्तकों को खरीद नहीं सकता। दुनिया भर की महगी हैं। मंहगाई को कन्ट्रोल करने के लिये कानून है, डी. आई. आर. में गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन विश्व विद्यालय ने और सरकार ने जो कोर्सेज की किताबें प्रेस्क्राइब की हैं वे इतनी मंहगी मिलती हैं कि उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं। राजस्थान सरकार तो कुछ इसलिये नहीं कहती है कि उसके स्वयम् की टेक्स्ट्स की बुक्स जो नेशनेलाइज की हुई हैं, उसने स्वयम् ने इतनी कीमतें बढा दी हैं पहले से कि गरीबों को बहुत मंहगी हैं, उन्होंने भी लूटने का तरीका उन को निकाला है फिर क्या उनसे अपेक्षा करें कि सरकार विश्व विद्यालय स्तर पर किताबों की जो कीमतें हैं उनको कम करा दे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में पुस्तकों का व्यवसाय करने वालों की एक यूनिट है, वे उनके अन्दर हिन्दुस्तान के लड़कों को लूटने की एक प्रक्रिया बन गयी है। वे पांच रुपये की पुस्तक को 25) रु. में बेचते हैं। वे सरकार से और विश्व विद्यालय से इनको मंजूर करवा लेते हैं। विद्यार्थी जब पुस्तकें खरीदने जाते हैं तब यह प्रश्न उनके सामने आता है। वे किस प्रकार इन पुस्तकों को खरीदें। सरकार और विश्व विद्यालय इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये एक कमीशन नियुक्त कर इस बात की जांच कराये। विद्यार्थी के सामने इसी प्रकार फीस का सवाल आता है। फीस बढ़ा दी जाती है। कारण यह बताया जाता है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक-सी फीस रहे। इसलिये जोधपुर में जो फीस लेते हैं, वह जयपुर मे भी लगा दी। या जयपुर में जो फीस थी, वह जोधपुर मे लगा दी। सवाल यह नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के पास आय का और कोई साधन नहीं है? राजस्थान सरकार ने तालियां बजवाई थी इस सदन मे यह कह कर कि हमने अमुक फीस कम कर दी है। राजस्थान की सरकार का, राजस्थान की हुकूमत का ऐसा लगता है, जब तक विश्व विद्यालयों की फीस न बढ़ावे तब तक सरकार का काम नहीं चलता है। विश्व विद्यालय की फीस से होने वाली आय से, ज्यादा आय के लिये मैं राजस्थान के मन्त्री महोदय को, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को मैं एक-दो ऐसे स्केन्डल

(श्री भैरोंसिंह)

बता देता हूँ, जिस को अगर ईमानदारी से जांच की जाय तो फीस से होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा आमदनी सरकार को उससे हो सकती है।

सभापतिजी, मैं निवदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों की मांगों के सम्बन्ध में विश्व विद्यालय ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें एक समिति के निर्माण के लिये कहा है। विश्व विद्यालय ने किसी भी मांग को अनुचित नहीं ठहराया है। सिवाय इस बात के 75 से 50 प्रतिशत अटेन्डेन्स की जाय। लड़कों की मांग अनुचित होती तो विश्व-विद्यालय यह नहीं कहता कि हम इसके लिये समिति का निर्माण करेंगे। अफसोस इस बात का है कि सरकार और विश्व-विद्यालय दोनों विद्यार्थियों की मांगों से सहानुभूति रखते हैं किन्तु उनको स्वीकार नहीं करते। जब आप उनसे सहानुभूति रखते हैं तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, उसमें ढिले क्यों कर रहे हैं ? क्यों नहीं आश्वासन दे देते है कि जो मांगें उचित हैं, उनका फैसला 15 दिन में हो जायेगा, दूसरी प्रकार की मांगों का बीस दिन में, तीसरी तरह की मांग का एक हफ्ते में फैसला हो जायेगा। इस चीज को तो आप नहीं करते हैं। हमारे लोकतंत्र में इस सरकार की आदत हो गयी है कि वह कोई चीज आन्दोलन के बिना नहीं मानती है। किसी इम्पार्टेन्ट–इश्यु को उठाने की कोशिश की जाय तो यहां उसको ढकने की कोशिश की जाती है। उसको अवोइड करने की, उसमें ढिले करने की कोशिश करते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार एक बात को लेकर किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं है। वह चाहती है कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार की बात लेकर उनके सामने नहीं आवे। इस सदन में तीन दिन से विभिन्न कालेजों के विद्यार्थी, स्टूडेन्ट्स के डेपूटेशन आ रहे हैं। उन्होंने मन्त्री महोदय को सूचना दे दी। हम मिलना चाहते हैं। लेकिन सूचना देने के बाद भी, विद्यार्थियों से मिलने को नहीं आते हैं, उनसे आदरपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। यदि सरकार ध्यान पूर्वक उनकी मांगों को सुनती और उसके हल के लिये समय ले लेती 15 दिन का समय लेकर विश्वविद्यालय के साथ बैठकर उनकी मांगों को हल कर देती तो आज स्ट्राइक का मौका नहीं आता। सरकार के सामने यह हालत नहीं आती। यह सरकार चिट्ठी से नहीं समझती है, रजिस्टरी और तार से भी नहीं समझती है। इस सरकार को समझाना हो तो आन्दोलन करो। सुखाड़िया हाय हाय के नारे लगाओ, तब यह सरकार समझती है। आश्वासन देती है। विद्यार्थी शिक्षा जगत से हटकर आन्दोलन जैसी प्रवृत्ति में भाग लें, यह हम नहीं चाहते। किन्तु जब इस प्रकार की मजबूरियां होती हैं, तो उनके कारण विद्यार्थी वर्ग आन्दोलित होते हैं। वे आन्दो-लन करने के लिये मजबूर हो जाते हैं। अमे-रिका में जो विद्यार्थी अध्ययन करता है, वह कारखाने में काम करता है। इसलिये वहां के विद्यार्थी को फाइनेंस की जरूरत नहीं होती। हमारे यहां के विद्यार्थी को घर और कारखाने में, दोनों जगह काम नहीं है। काम है तो यह है कालेज में जाकर अटेन्डे-न्स करा कर वापस घर चले जाना। उसके पास कोई सबसटीट्यूट नहीं है। काम नहीं

(भैंरोसिंह)

है। इससे उसके सामने आर्थिक संकट पैदा होता है। समय का उपयोग वह किस प्रकार करे, यह उसके सामने प्रश्न है।

मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में, चूंकि मंत्री महोदय ने थोड़ा रेफरेन्स कर दिया है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अक्ल और दूरदर्शिता से काम नहीं करती। हमारी सरकार की अक्ल आगे नहीं है। उसकी अक्ल पीछे है। जब कोई बात पैदा होती है तब सरकार उस पर सोचने के लिये, अमल करने के लिये तैयार होती है। प्री-मेडिकल टैस्ट का सवाल आया, सैक्शनल टैस्ट मार्क्स का सवाल आया, तब सरकार ने इस समस्या पर विचार करना शुरू किया। इस सदन में पिछले दो-तीन बार प्री-मेडिकल टैस्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय प्रास्पेक्टस् के अन्दर क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? उस समय आपने नहीं की। सवाल पैदा हो गया। प्री-मेडिकल टैस्ट का जो हाल हुआ, वह मैं यहां नहीं कहना चाहता। लेकिन मंत्री महोदय से पूछूंगा। पिछली बार आपने कहा था कि तीनों यूनिवर्सिटीज के मार्किंग सिस्टम में, उनको एट-पार लाने की कोशिश की जायेगी। यह सदन की प्रोसिडिंग्स में है, जिसमें आपने स्वीकार किया है कि जोधपुर, उदयपुर युनिवर्सिटीज ने 10 प्रतिशत सैक्शनल मार्क्स दिये, जिनके कारण जयपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को हानि होती है। इसको मिटाने के लिये विश्वविद्यालयों को एट-पार लाने के लिये आप इस वर्ष प्रबन्ध करेंगे। मंत्री महोदय चाहे तो प्रोसिडिंग्स को पढ लें। मैं पूछता हूं आज तक इसके सम्बन्ध में आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? आपकी यह गलती है और उससे बचने के लिये आप छात्रों को बदनाम करते हैं। इसी कारण छात्र आन्दोलित होते हैं। वे आन्दोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परन्तु उनको बदनाम करने की चेष्टा सरकार की ओर से हर बार की जाती है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। कहां से करेंगे। यह प्रश्न, कॉलेज के स्टुडेन्टस का प्रश्न नहीं उठाया था? कालेज के स्टुडेन्ट्स को एस्योरेन्स नहीं दिया, विश्वविद्यालय ने एस्योरेन्स नहीं दिया। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब कहते हैं हम इस प्रश्न की जांच करेंगे। आपका विश्वास कौन करेगा? कौन आपको छात्रों पर आन्दोलन वापिस लेगा? कोई ऐसा नहीं करेगा। आप इस सदन में आश्वासन देकर चले जाते हैं। वे आश्वासन आपको याद नहीं रहते। उनकी तामिल करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। सरकार और विश्वविद्यालय इस बात का आश्वासन देते आये है फिर भी जांच नहीं होती। विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो क्या अनुचित है?

श्री सभापति : मेडिकल कालेज की समस्या भी आप साथ में उठा रहे है?

श्री भैंरोसिंह : एक रेफरेंस का जवाब दिया है। मैंने मन्त्री महोदय को पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी कहा है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को यह मालूम करना चाहिये कि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण क्या है? विद्यार्थियों के साथ बात करनी चाहिए, विश्वविद्यालय

(श्री भैरोंसिंह)
के अधिकारियों को भी चाहिए कि वे विद्यार्थियों को अपने फेवर में करें।

आज विद्यार्थियों के बारे में यह जाना नहीं जा सकता कि विश्वविद्यालय का रुख उनकी तरफ किस प्रकार का है। विश्वविद्यालय के उप कुलपति को चाहिए कि वे तमाम हैड्स आफ डिपार्टमेन्ट, कालेज के प्रिन्सिपल्स, स्कूलों के हैड मास्टर और विद्यार्थियों की यूनियन के प्रतिनिधियों को साथ लेकर उनके अभाव अभियोगों के बारे में विचार करें। विश्वविद्यालय के उपकुलपति छात्रों से सम्बन्ध स्थापित करें उनको कोन्फीडेन्स में लें। इस तरह से अगर आप चलें तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय छात्रों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते है। आपको इसमें शर्म अनुभव नहीं करनी चाहिये। आप खुद उनकी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, जो अब तक नहीं की गई आपको विद्यार्थियों की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति को जब नोटिस मिल गया कि हम दो तारीख से हड़ताल करेंगे और जब आपने उस नोटिस पर अपना कोई रुख प्रदर्शित नहीं किया तो दो तारीख से हड़ताल शुरू हो गई। आपको चाहिये तो यह था कि आप यूनियन के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करते। आपको यह अनुभव नहीं करना चाहिये कि हम जाकर छात्रों से क्या मिलें कहीं वे हमारी बेइज्जती न कर दें। यह जो भ्रम है वह निराभ्रामक है आप यदि विद्यार्थियों की इज्जत करते हैं तो मैं समझता हूं कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार का ढीट नहीं होगा जो आपकी बेइज्जती करे।

अन्त में सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विश्वविद्यालय की ओटोनोमी के नाम पर सरकार की अकर्मण्यता से विद्यार्थियों को यदि उनकी मांगों के सम्बन्ध में आश्वासन नहीं दिया जायगा तो मैं समझता हूं विद्यार्थियों में जो असन्तोष है वह दूर नहीं हो पायगा। विद्यार्थी कभी भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को परेशान नहीं करना चाहते और न सरकार को ही परेशान करना चाहते हैं। विद्यार्थियों से आप बातचीत करिये विद्यार्थी आपसे तू तड़ाक करने वाले नहीं, उनको तो आपसे ही काम होता है, आपसे नौकरियां लेनी हैं आप उनको सम्मान दीजिए वे आपको सम्मान देंगे। आप जब उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो विद्यार्थी जबरन आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, वह आन्दोलन करेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा विद्यार्थियों ने जो आपको ज्ञापन दिया है उसके लिए सरकार कटेगोरिकली आप आश्वासन देंगे और विश्वविद्यालय भी उनकी मांगों पर अन्तिम निर्णय दे देंगे। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा झूठे आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा इससे आपका विश्वास उनसे उठ रहा है वे समझते हैं ये तो केवल समय निकालने की बातें है।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय को कुछ निवेदन करना चाहती हूं। महारानी कालेज में फर्स्ट ईयर में कम्पलसरी एलोमेन्टरी मेथेमेटिक्स का नया विषय खोला गया है। वहां अभी तक इस विषय का लेक-

(श्रीमती मदनकौर)

चरार अपोइन्ट नहीं हुआ है। यह विषय ऐसा है कि जिसको रेगुलर पढ़ाना पड़ता है। आप इस बात का आश्वासन दीजिए कि एलीमेन्टरी मैथेमेटिक्स की लेक्चरार भेज दी जायगी। महारानी कालेज की लड़कियां डिसीप्लीन्ड हैं अतः वे स्ट्राइक पर नहीं है अतः उनमें जो असन्तोष है उसको मिटाया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदय, महाराजा कालेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार छात्रों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक हमेशा विचार करती रही हैं। लेकिन जिस प्रकार का स्टेटमेन्ट शिक्षा मंत्री का है उससे समस्याओं का हल करने में योग नहीं मिलेगा।

मेडिकल कालेज में भी जहां तक एडमिशन्स का सवाल है वह निश्चित तरीके से हो। अधिकांश छात्र यह चाहते हैं कि प्री-मेडिकल टेस्ट होना चाहिए ··

श्री सभापति : महाराजा कालेज से हड़ताल से सम्बन्धित विषय चल रहा है।

श्री शिवनाथसिंह : मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ उनकी मांगे पूर्ण होनी चाहिये। अगले साल से प्री–मेडिकल टेस्ट होगा इस साल भी आपने तय किया था लेकिन हाई कोर्ट में रिट हो जाने के कारण और कई कारणों से वह नहीं हो सका इससे भी छात्रों में असन्तोष है। उनको अभी तक विश्वास नहीं है कि अगली साल भी प्री–मेडिकल टेस्ट हो जायेंगे।

इसके अलावा छात्रों ने जो अपनी मांगे पेश की है उनमें यह भी है कि एक तरफ तो सात हजार विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के इम्तिहान में बैठे और 1500 छात्र उदयपुर विश्वविद्यालय में और 1200 जोधपुर विश्वविद्यालय के इम्तिहान में बैठे। मेडिकल कालेज में उदयपुर और जोधपुर के छात्रों का एडमिशन ज्यादा हो गया इससे भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों में असन्तोष है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री वक्तव्य देंगे तभी मैं और बातें रखूंगा।

दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं उसमें आपने एक तरीका निकाला है जिसमें हाइएस्ट मार्क्स जिसके होंगे उसके अनुसार लिया जायगा यह उनकी मांग वाजिब है। पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वह मार्क्स के आधार पर हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि छात्रों की मांगों का जब तक निराकरण नहीं होगा यह आन्दोलन चलता ही रहेगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें रीजनल तरीके से नहीं सोचना चाहिए यह मेरी भी मान्यता है। लेकिन जिस तरह का मार्किंग एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में भिन्न है तो हमें इस बारे में कोई उपाय निकालना होगा। आज जिस प्रकार से एडमिशन्स हो रहे हैं उस बारे भी शिक्षा मंत्री ध्यान दें। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में एडमिशन का तरीका निकालें और उसके साथ साथ प्री-मेडिकल का टेस्ट भी होल्ड करें।

छात्रों की जो मांगे हैं मैं समझता हूं उसके लिए आन्दोलन करना पड़े यह उचित नहीं है। छात्रों की जो मांगे हैं उसके बारे में शिक्षा मंत्री स्पष्टी-

(श्री शिवनाथसिंह)

करण दें ताकी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुपात के हिसाब से एडमीशन मिलना चाहिये। यदि आप इस तरह का आश्वासन दे देते हैं तो छात्रों में असन्तोष व्याप्त है वह दूर हो सकता है और वे अपना आन्दोलन वापिस ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, महाराजा कालेज के छात्रों की हड़ताल के संबन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री ने अभी सदन में जो वक्तव्य दिया है और विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति प्रकट की है। साथ में यह भी बात कही है कि विद्यार्थियों के साथ कुछ असामाजिक तत्त्व मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। यह उनका तर्क ऐसा है जैसा अगर मैं यह कहूं कि माननीय मन्त्री महोदय के बारे में वे सदस्य जो शिक्षा विभाग का पोर्टफोलियो लेने के उत्सुक थे वे शिक्षा मन्त्री महोदय की बदनामी करते थे यह भी तर्क उसी प्रकार का है। आपके तर्क में तो फिर भी वजन नहीं लेकिन मेरे तर्क में पूरा वजन है। मुझे पता है कि एक वरिष्ठ मन्त्री ने यह धमकी भी दी थी भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के त्याग-पत्र के बाद यदि शिक्षा विभाग बरकत साहब को दिया जायगा तो यह उनकी बड़ी भारी तोहीन होगी। बरकत साहब यह पोर्ट फोलियो लेने में कामयाब हुए....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप बात को कहां से कहां ले गये आप विषय पर बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य कितनी ही चूं चूं करें उनका नम्बर तो मिनिस्टरी में आने वाला नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप विषय पर बात करिये। विषयान्तर हो जाने से हमें रात को 9 बजे तक बैठना पड़ता हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इंगलेण्ड में तो रात-रात भर तक सदन चलता हैं। आप तो 21 रु. घर बैठे लेना चाहते हैं वे तो मिल नहीं सकते।

सभापति : प्लीज टू दी पोइन्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : मैं निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति : प्लीज टू दी पोइन्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है आपको तो उनका समर्थन करना है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति की आज्ञा मानिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न.... जिसका पक्ष आप लेंगे वह जावेगा....

(1.30 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

डाकन किसी को तरफ देखती है तो छोरा ही मर जाता है जब कभी कृषि विद्यार्थियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और कृषि मन्त्री ने वक्तव्य दिया तो कुछ बातें कही थीं। विद्यार्थियों की एज्युकेशन के सम्बन्ध में चर्चा आई थी तो महत्वपूर्ण बात राजस्थान के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी एज्युकेशन के सम्बन्ध में और राजस्थान की एज्युकेशन पालिसी के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की हड़ताल और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में निरा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करण और समाधान के लिये सुझाव रक्खे थे पर दुख है कि सरकार प्रभावकारी कदम नहीं उठा पाई। न निर्णय ले पाई।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज देश का भविष्य तरुणाई नौजवान समाज की सारी इनर्जी और ताकत हड़तालों में नष्ट हो रही है और इसके मूल कारणों में जाने की सरकार चेष्टा नहीं करती। एडमिशन का मामला, फ्री शिप का, स्कालरशिप का मामला, उसकी व्यवस्था अध्यापकों की नियुक्ति समय पर सारी चीजें करने के सम्बन्ध में, पैसों के सम्बन्ध में एम्बेजलमेंट के सम्बन्ध में ओवर आल ये और इनसे मिलती जुलती जितनी विद्यार्थी जगत् की समस्याएं है उनके निराकरण के सम्बन्ध में स्थायी हल निराकरण की स्थिति आज तक यह सरकार नहीं ढूंढ पाई है।

इस सदन में बोलने वाले, बैठने वाले ईमानदार व्यक्ति, विद्यार्थियों के अभि भावक यह कभी नहीं चाहते न बर्दाश्त कर सकते है कि उनके लाड़ले विद्यार्थी कालेजों और स्कूलों को छोड़कर आम सड़कों पर हड़ताल करते फिरें, धरना देते रहें, भूख हड़ताल करते फिरें। पर इनके भी कारण हैं, इन कारणों को ढूंढना होगा। उदाहरण के लिये कहना चाहूंगा कि गरीब विद्यार्थी को जो बुद्धि में बहुत तीव्र है, फ्री शिप और स्कालरशिप आपके राज्य में नहीं मिलती वह जो उनको मिलती हैं, आपके बड़े बड़े मिनिस्टरों के लड़कों को, अपने चाहेतों के लड़कों को और इसकी बात जब उन गरीब विद्यार्थियों को मालूम पड़ती है कि तेरा बाप कर्जे में हैं, खाने पीने को पूरा नहीं पड़ रहा है, तुझे स्कालरशिप मिलती नहीं है अमृतलालजी यादव को 2200) की स्कालरशिप मिल जाती है। इसको जलन होती है। पास में बैठे मन्त्रीजी को स्कालरशिप फ्री शिप मिल जावे मेयो कालेज, सेन्ट जेवियर स्कूल, मिलिटरी कालेज आबू में पढने चला जावे। फ्री शिप भी उनको दे दी, किताबों का पैसा दे दिया। सरकारी गाड़ी में बैठकर स्कूल जावे। पर गरीब मेधावी को न फ्री शिप मिले न स्कालरशिप मिले यह कारण है उनमें जलन पैदा होती है। एडमिसन का मामला होता है। मैडिकल कालेज के एडमिसन के बारे में नहीं कहना चाहता। उस पर बाद में आऊंगा। जुलाई में प्रवेश की समस्या आती है। विद्यार्थी मारा मारा फिरता है। एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। छठी से लेकर सातवीं आठवीं क्लास तक के लड़कों को आप कहते हैं शिड्यूल कास्ट का सर्टीफिकेट लाओ। जो सर्टीफिकेट वह छठी में ले आया वही सातवीं में मांगते है, आठवीं में मांगते हैं आप और वही नवमी में और दसवीं में मांगते चले जाते हैं उसी स्कूल में मांगते चले जाते हैं इसके बिना आप उसको ऊपर की क्लास में जाने नहीं देते। बडी मजाक है यह। नतीजा यह होता है बंगलों पर सौ सौ विद्यार्थी क्यू में खड़े हैं। आप यही नहीं और भी कई तरह के सर्टीफिकेट मांगते हैं यह किस वर्ण का है इसका बाप क्या कमाता है? कहां रहता है? अब कोई कहां से आता है कोई डिस्ट्रिक्ट से आता है कोई गोविन्दगढ़ से आता है, सामोद से, बस्सी से, सिकराय से, जमवा रामगढ से आता है। कहते हैं हमसे आकर, आप सर्टीफाई कर दीजिये कि इसके बाप की आमदनी इतनी है। यह इन्कम टैक्स नहीं

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

देता है। आप नहीं देंगे तो मेरी फीस कम नहीं होगी। माफी नहीं मिलेगी। मेरे को फ्री शिप नहीं मिलेगी। एम.एल.ए. सोचता है यह दूर का रहने वाला है, किराया मांगेगा इसके आठ रुपये खर्च हो जावेंगे आने जाने में। एडमिशन की लास्ट डेट आ गई है। बिना वेरीफिकेशन के वह तस्दीक करता है और करना पड़ता है मजबूरी में। पर पूछना चाहता हूं एडमिशन्स के फार्म आपके गलत सर्टीफिकेट गलत मांगते हैं। आप लड़कों से कैरेक्टर सर्टीफिकेट मंगाते हैं आपने यह जितने फार्मों की व्यवस्था की है शिड्यूल कास्ट के सर्टीफिकेट मांगते हैं सारे प्रकार के हिसाब मांगते हैं तेरे कितने भाई कितनी बहनें क्या खर्च। लड़कों को अधिकांश में वे फार्म भरने नहीं आते। कहते हैं दस्तखत अपने बाप के तस्दीक कराकर लाओ। अगर वह नहीं लाया तो कहते हैं जाओ तस्दीक कराकर लाओ कहता है लड़का पिताजी अहमदाबाद चले गये नौकरी पर। हम उसको तस्दीक करते नहीं। लड़का मारा मारा फिरता है। इसलिये विद्यार्थी परेशान हो जाता है उसकी यह परेशानी उसकी यह जलन जुलाई से शुरू होती है और अगस्त सितम्बर के आते आते वह भड़क उठती है। और इसलिये अगर राजस्थान की सरकार और राजस्थान के शिक्षा मन्त्री महोदय, चाहते हैं कि सही माने में समस्याओं का समाधान हो तो इन सारे प्रश्नों के बारे में भी विचार करें। सारे इन फार्मों को बदलें पुराने तौर तरीके बदलें। ये पच्चीस साल पुराने चले आ रहे हैं। इनमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। उसी स्कूल में फिर से एडमिशन लेने के लिये फिर नये सिरे से उसे वही सारे सर्टीफिकेट देने पड़ें यह कितनी हास्यास्पद बात है। अफसोस तो इस बात का है। कालेज में एडमिशन के लिये इन्टरव्यू हुआ। 66 परसेन्ट मार्क्स वाला रह जाता है। 58 वाले को एडमिशन मिल जाता है। कहते हैं मार्क शीट क्यों नहीं भेजी? कहता है और तो फार्म मैंने समय पर भेज दिया मार्क शीट यूनीवर्सिटी से आया नहीं। पर एजुकेशन विभाग सुनता नहीं। वह तो लेक्चरार शिप पर 58 परसेन्ट वाले को ले लेगा और उसके 66 परसेन्ट होने पर भी 66 पर्सेन्ट वाले को छोड़ देगा। यह 58 पर्सेन्ट वाले को लेने का वह रास्ता निकालते हैं। आप अगर मैरिट पर ही लेना पसन्द करते हैं और ईमानदार हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको एप्लीकेशन मांगने की और कुछ करने की। यूनिवर्सिटी से सीधे आप रिजल्ट मंगाइये और जिसके सबसे अधिक मार्क्स आये हों जो मैरिट में सबसे ऊपर हो उसे सीधा घर पर अपोइन्टमेन्ट लेटर भेज दीजिये कि चूंकि आप मैरिट पर हैं इसलिए आपको लेक्चरार शिप के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पर राजस्थान सरकार के तौर तरीके बड़े विचित्र हैं। बाकी मामलों में भले ही दूसरे देशों की वह नकल करने का ढोंग रचे, पर इन मामलों में वह दूसरे मुल्कों की नकल कभी नहीं करेगी। वह तो 58 परसेन्ट वाले को 66 परसेन्ट वाले पर किस तरह से तरजीह दी जा सकती है इसके लिये रास्ते ढूंढेगी। इसमें वह बडी कुशल है। यह भी एक बडे डिसकन्टेन्टमेन्ट का कारण है।

एग्रीकल्चर के स्नातकों ने हड़ताल की। वह वेतन के सम्बन्ध में भी है। आज वेतन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का सवाल नहीं है। शिक्षामन्त्री जी से इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन सारे मसालों पर गम्भीरता से विचार करें।

एजूकेशन पर 30 करोड़ का बजट है। सारी आय का 20.5 पर्सेन्ट है। इतना बड़ा विभाग आपको मिला है आप पर भारी जिम्मेदारी है। पर आपने इन सारे मसलों पर विचार नहीं किया। इन्फोर्मल कन्सल्टेटिव कमेटी नहीं बनाई। राजस्थान भर में हड़ताल। महाराजा कालेज में ही नहीं, मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज में भी है। जयपुर के कालेजों में हड़ताल, जोधपुर की इन्जी. फेकल्टी में हड़ताल, सांगरिया कालेज में, जोबनेर, उदयपुर के कालेजों में हड़ताल, बीकानेर में हड़ताल, हर जिले के कालेजों में हड़ताल।

श्री भैरोंसिंह : सोसायटी के सभी सैक्शनों में हड़ताल हो रही है। एक सैक्शन में नहीं होती। इन मंत्रियों के सैक्शन में नहीं होती हड़ताल करने के लिये भी हिम्मत चाहिये और कलेजा चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो सब दास बैठे है। ये हड़ताल करेंगे।

तो इस सारे मसले पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अमेरिका में सिविल डिसआॅर्डर हुआ, उपद्रव, अशान्ति और अराजकता हुई और जानसन ने नेशनल कमीशन बिठाया उनके पीछे क्या है। इसी तरह आप भी इन समस्त समस्याओं का कारण ढूंढने के लिये प्रयत्न करें। एक इस प्रकार की समिति की स्थापना की जाय जिसमें एक्सपर्टस हों जो शिक्षा के बारे में अच्छी तरह समझते हों। वह समिति यह देखे कि स्टूडेन्ट्स अन-रेस्ट के रोजन्स क्या है, उनको भली प्रकार एग्जामिन करें। उसके बाद राजस्थान सरकार उसकी पूर्ण सिफारिशों को माने ताकि हमेशा हमेशा के लिये इस समस्या का समाधान हो जाय। कोई भी नहीं चाहते आज इस सदन में बैठने वालों कि हमारी आने वाली भावी संताने या हमारे भारत के छात्र आज सड़कों पर या चौराहों पर खड़े होकर नारे लगाकर अपनी शक्ति का अपव्यय करें।

फीस आपने बढ़ाई है। किताबों के बारे में श्री भैरोंसिंह जी ने कहा श्रीमान् उपाध्यक्ष जो आज किताबें मिलती नहीं है। किताबों के पुलिन्दे के पुलिन्दे बढ़ गये हैं। कुछ लोगों ने इसको धन्धा बना लिया है, परचेज कमेटी के मेम्बर बने हुये हैं। आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, मेरे पास चिट्ठी आई है। मैं फोटोएस्टेट कॉपी आपको दूंगा वे परचेज कमेटी के मेम्बर है और पब्लिशर से मिलकर उनसे छपवा कर, कभी किसी पब्लिशिंग हाऊस से मिलते हैं, कभी दूसरे पब्लिशिंग हाऊस से मिलते हैं तो कभी तीसरे पब्लिशिंग हाऊस से मिलते है और उनसे रायल्टी लेते है उनको जो प्रॉफिट हुआ उसमें से ये फायदा उठाते हैं। मैं फोटोएस्टेट कॉपी आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसर से सांठ-गांठ करके फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान के बाहर के पब्लिशरों से उनकी सांठ-गांठ है। अब नेशनेलाईजेशन टैक्स्ट बोर्ड म परचेज का सवाल आता है, एप्रूवल का सवाल आता है, छपाने का सवाल आता है उपाध्यक्ष महोदय बड़ा भारी स्केन्डल है। एक्सप्लाईटेशन हो रहा है इसको रोकने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिये जब तक यह कदम नहीं उठायेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

महाराजा कालेज में दो कमरे बना देने से डेढ दो खिड़कियां निकलवा देने से समस्या नहीं सुलझने वाली है। केवल दो कमरे बनाने का आश्वासन देकर माननीय शिक्षा मंत्रीजी काम नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मानवीय दृष्टि कोण रख कर राजस्थान सरकार सही मायने में हल अपनाये। बरकतुल्ला साहब यह नहीं सोचें कि यह पोर्टफोलियो मेरे पास नहीं रहेगा। परमानेन्ट पोर्ट फोलियो नहीं, यह तो शिफ्ट होने वाला है। यह मैं भी मानता हूँ कि यह पोर्ट फोलिया आपके पास रहने वाला नहीं है मुताबिक जो के जो मरजी पात्र होंगे उनके पास जायगा लेकिन जब तक यह पोर्ट फोलियो आपके पास है, आप ऐसा विचार न करते हुये ईमानदारी से पूरी प्रमाणिकता के साथ विद्यार्थियों को सहानुभूति को प्राप्त करें तो कम से कम आपको मंत्री महोदय रहने का निश्चित अवसर मिलेगा नहीं तो बरकतुल्ला साहब विद्यार्थियों की हाय बुरी होती है। सिर मुडाते ही ओले पड़े—आपको शिक्षा विभाग मिला और इधर हड़ताल हो गई। इसी आशय के साथ मैंने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार को सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं सरकार इस पर ओपिन माईन्ड से विचार करेगी। राजस्थान के छात्रों की जागृति आज इस लेवल पर होनी चाहिये चाहे वह यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चाहे हायर सेकेन्डरी का छात्र हो, चाहे किसी जगह का छात्र हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार बनाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कौन्सिल बनाने के लिये हम मेम्बरों ने भी मूव किया था कि युनिवर्सिटी लेवल पर और हायर सेकेन्डरी लेवल पर एक कौन्सिल बन जाय तो जो काफी झगड़े है वे समाप्त हो जायं। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यदि आप इसको चाहते है तो एक्ट में तबदीली कीजिये, कुछ पावर्स का इस्तेमाल कीजिये और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात करें जिसमें स्टूडेन्ट्स के भी नुमाइन्दे हों। मैं समझता हूँ इससे हल निकल जायगा। यही निवेदन करना चाहता हूं। आज स्टूडेन्ट्स अनरेस्ट हमारा हो विषय नहीं है। सवाल सारे एज्यूकेशन सिस्टम का है फाईनेन्स का सवाल है। यह सारे देश में एक माहौल हो गया है। बड़े ओपिन माइन्ड से एक्सपर्ट्स से राय लें और इस समस्या का निराकरण करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम जी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन के सामने है यह केवल हड़ताल और मांगों का नहीं है इससे भी अधिक गहराई पर हमें जाना पड़ेगा। यह मांग और हड़ताल तो केवल सामयिक असन्तोष को प्रकट करने की है। असली बात तो यह है कि छात्रों में, भावी नागरिकों में अपने जीवन के लिये सुधार नजर नहीं आता है। उस अनिश्चितता और उस निराशा जनक स्थिति को देखकर उनके दिलों में असन्तोष है और उस असन्तोष को दूर करना चाहते है चूंकि आप शासन

(श्री दौलतराम सारण)

जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और जीवन का हर क्षेत्र शासन से प्रभावित है इसलिये छात्र भी चाहते हैं कि उनके भविष्य की सुरक्षा की जाय। सबसे बड़ी निराशा जो उनके जीवन में नजर आती है वह है शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नही है। इस समय की शिक्षा पद्धति का कोई उपयोग नहीं है, कोई सार्थकता नही है। इस असन्तोष का समाधान करना है तो निश्चित रूप से हमें इस शिक्षा पद्धति को जीवन के अनुरूप ढालने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा जो आज हम देते हैं, उसको हम देते है, उनको हम दूसरे तरीके से अपनाये हुये है जिनको आज का समाज पसन्द नहीं करता इसलिये उनमें असन्तोष है। ला कालेज में अंग्रेजी का अनिवार्य पेपर रहेगा फिर वह फेल नहीं होगा तो क्या होगा एम. ए. में वह हिन्दी का छात्र रहा है। इतना समय मेरे पास नहीं है कि उनकी हर समस्या पर विस्तार से जाऊं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इन सब बातों को तरफ हमें देखना चाहिये। इसके अलावा जब छात्र अपने प्रवेश के लिये जाते है–किसी भी कक्षा में, वह चाहें स्नातक स्तर की हो, चाहे स्नातकोत्तर स्तर की हो और चाहे वह माध्यमिक या मिडिल स्तर की हो। हर जगह बडो परेशानी हैं और दिक्कतें हैं। उस तरफ से भी उनका असन्तोष आता है, उनको बडे चक्कर लगाने पड़ते है छात्रों को सारे प्रमाण-पत्र देने पड़ते हैं।

फीस आये दिन किसी न किसी नाम से बढ़ाई जाती है। अगर आज हम फीस को गिनती करें तो वह असम्भव है। इतनी फीस हर साल लगाई जाती है कि वह साधारण छात्र के लिए बड़ी भारी पड़ती है। आर्थिक दृष्टि से आज भारत का जन जीवन कितना पीड़ित है, यह सब जानते हैं। साधारण स्थिति के विद्यार्थी उस फीस के बोझ को बर्दास्त नहीं कर सकते हैं तो उनके मानस में असन्तोष की लहर उठती है। बहुत से ऐसे प्रगतिशील विद्यार्थी आज इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फीस के बाद सवाल आता है छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति प्राप्त करना इस सरकार में असम्भव है। झूठे प्रमाण-पत्र पेश नहीं करें तब तक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसका तरीका सही नहीं है। एक धनवान व्यक्ति का लड़का एक बड़े नेता का लड़का है, वह तो छात्रवृत्ति पा जाता है और जो एक प्रगतिशील विद्यार्थी है जिसके पीछे कोई सिफारिश नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई अप्रोच नहीं–वह छात्रवृत्ति प्राप्त नही कर सकता है। यह भी उनके मानस में असन्तोष का कारण है। स्टडी लोन का जो वजन है वह भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की स्थिति बड़ी भयंकर है। आये दिन पुस्तकें बदल दी जाती हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो उनमें सही भाषा नहीं, उनके अन्दर सही मेटर नहीं चाहे वह ग्रेजुएट स्तर की पुस्तक हो और चाहे वह पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की हो सबका यही हाल है। पाठ्यक्रम में बड़े भारी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अधिकारियों का एक व्यापार का साधन बन गया है इससे बचने की आवश्यकता है।

(श्री दौलतराम सारण)

यह मैं खास तौर से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ। पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूलों और युनिवर्सिटी लेवल पर पुस्तकालयों की समुचित सुविधा होनी चाहिये। इसको विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है उससे, भी—छात्रों में असन्तोष रहता है।

इसके अलावा एक जो विशेष बात है वह है व्यवहार की। युनिवर्सिटी या कालेजेज के जो शिक्षक हैं वह छात्रों के साथ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं जैसे वह उनके आफिसर हों। वह गुरु और शिष्य की दृष्टि से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। या तो वह सिनेमा के एक्टर की तरह से उनके साथ बरताव करते हैं या फिर पुलिस आफिसर की तरह बरताव करते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हल्की हंसी मजाक चलती है या फिर बहुत ही ज्यादा नाराजगी का रुख चलता है। मैं ऐसे कई प्रोफेसर्स को जानता हूँ लेकिन यहां मुझे उनके नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो चार प्रोफेसर्स का सवाल नहीं है यह साधारण समस्या है और सर्व व्यापक है। यह मिडिल स्कूल से लेकर यूनीवर्सिटी तक है। इसलिए शिक्षकों का व्यवहार छात्रों के साथ मनो वैज्ञानिक ढंग का होना चाहिए, उनके अन्दर स्फूर्ति पैदा करने वाले हों न कि भय, आतंक या निराशा पैदा करने वाले हों या दुर्व्यवहार पैदा करने वाले हो। यह मोटे मोटे कुछ कारण हैं जो कि विद्यार्थियों में असन्तोष पैदा करते है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो विद्यार्थियों की मौजूदा हड़ताल है इसी को आप आधार मानकर न चलें बल्कि आप इसकी तह में जायें कि हड़ताल क्यों होती है। यह तो केवल नाराजगी प्रकट करने का माध्यम है और आपको यह विचार करना चाहिए कि मजबूरी में छात्र हड़ताल पर आये हैं, और समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कालेज एजूकेशन की गलत प्रणाली और पाठ्यक्रम का गलत निर्धारण आदि अनेक मुद्दे इनके सामने हैं इसलिए आप इसकी बड़ी गहराई में जायें। आप उनकी कठिनाइयों को जानकर उनका निराकरण करवाइये और उनका अध्ययन करवाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको अवसर मिला है छात्रों को समझने का। मुझे उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि आज कोई भी मांग उनकी तब तक नहीं सुनी जाती जब तक कि उसके लिए आन्दोलन नहीं किया जाये। उसके लिए प्रदर्शन, हड़ताल, या छेड़छाड़ नहीं की जाये। यह रवैया बहुत गलत है। शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि मैं खुले दिल से छात्रों के लिए तैयार हूँ। अगर आप खुले दिल से तैयार होते तो छात्रों को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं होती। आप उनसे मिलते और उनके दिल की बात को समझकर उनके साथ उपयुक्त व्यवहार करते तो छात्र कभी हड़ताल के लिए तैयार नहीं होते। मेरे पास भी उपाध्यक्ष महोदय, छात्र आये थे और कई कालेजेज के आये थे और उन्होंने बताया कि वे कुछ मंत्रियों के पास भी मिलने के लिए गये और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें दुर्व्यवहार सहना पड़ा। एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के छात्र मुख्य मंत्री महोदय से मिलने के लिए गये और उन्होंने उनको दुत्कारा और यहां तक कि मिलने के लिए इन्कार कर दिया और यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया। ऐसी स्थिति हुई तब तो इससे लड़कों को रोष आया और दूसरे दिन

(श्री दौलतराम सारण)

उन्होंने हड़ताल कर दी। मैं कहता हूं जुबान के अन्दर गर्मी होती है इसलिए आपको बर्फ की तरह ठंडे बनकर उनकी समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन आप गर्मी को और गर्मी दे देंगे तो वह और ज्यादा प्रज्वलित हो जायगी। इसलिए दुखी, परेशान और असंतुष्ट और भावी जीवन के प्रति निराश छात्रों का जो आज मानस बना हुआ है उसको आप मनोवैज्ञानिक ढंग से टेकल कीजिए ताकि छात्र अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और आपकी भी भावनाओं को समझ सकें। वह आपका सहयोग चाहते हैं और आपके सहयोग से समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वह आपके आश्वासन नहीं चाहते हैं। अगर आप केवल आश्वासन देंगे और आप केवल घोषणायें करेंगे तो वह कोई इससे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आपकी किस घोषणा का विश्वास करें। आप अनेक घोषणाओं से मुकर गये। आप घोषणायें तो रोज करते है और रोज बदलते हैं। रोज हुक्म निकालते हैं और उनको बदलते हैं। राज्यपाल महोदय के मुहं से घोषणायें कराई हुई आप उनसे मुकर गये। वित्त मंत्रीजी से कराई गई घोषणाओं से मुकर गये इस बात को सब लोग जानते हैं और सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं और सारा राजस्थान जानता है। इसलिए आप अपने शासन के प्रति आदर चाहते हैं तो आप खुद उस पर टिकिये। और आप आश्वासनों के वजन को तोलना चाहते हैं तो दिये हुए आश्वासनों को पूरा कीजिए। जनता आप में विश्वास खो चुकी है उसको आपकी साख पर सन्देह है आपके ऊपर जो विश्वास है वह हिल गया है, डगमगा गया है। इसलिए आपको अपना आत्मा विवेचन करने की आवश्यकता है और सारी शिक्षा जगत की समस्याओं के ऊपर उनकी तह में जाना चाहिए और तह में जा कर उनका निराकरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो विद्यार्थियों की समस्यायें हैं उनके बारे में पुनः सहानुभूति के साथ गौर करके निराकरण के लिए निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल है कि छात्रों की हड़तालें मनोवैज्ञानिक हैं। छात्रों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार है और जो प्रिन्सिपल का, वाइस चान्सलर का बरताव है उसमें कमी है। उदाहरण के तौर पर महाराजा कॉलेज के छात्रों ने जो मांगें वाइस चान्सलर के सामने रखीं वह आज मैंने अखबार में देखीं और वाइस चान्सलर का स्पष्टीकरण भी देखा। वह बहुत साधारण सी बात है कि यूनियन के प्रतनिधि कॉलेज के चुने हुए छात्र वाइस चान्सलर से मिलने के लिए जायें और वाइस चान्सलर बहुत लाइटली और हलके तरीके से एक इतनी बड़ी यूनियन के प्रतिनिधि से यह कह कर चले जायें कि मेरे सेक्रेटरी से मिलकर तय कर लीजिए कि कौन सा टाइम सूट करेगा मुझे जहां तक समझ में आया है वह विवाद उसी जगह से शुरू हुआ है। यदि इस जगह वाइस चान्सलर बहुत धैर्य से और अपने को पिता तुल्य समझकर उनसे दस पन्द्रह मिनट बात करते तो मैं समझता हूं कि यह बात आगे नहीं बढ़ती।

उसके बाद में आगे चलकर जो उनकी मांगें हैं उनको मैंने देखा है। हमारे वाइस

(श्री रामनारायण चौधरी)

चान्सलर हैं, हमारे कालेज के प्रिन्सिपल्स हैं प्राफेसर्स हैं और हमारे दूसरे लोग जिनकी गार्जियनशिप में हमारे छात्र हैं उन्हें अपने जीवन से उन छात्रों को प्रभावित करना पड़ेगा, रहन सहन के जीवन का असर उनके ऊपर डालना पड़ेगा।' सिम्पल एण्ड हाईथिंकिंग' का प्रिन्सिपल लडकों के ऊपर लागू करना पड़ेगा और यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं मानकर चलता हूं कि हम छात्रों को सेटिस्फाई नहीं करके चल सकेंगे। अगर वाइस चान्सलर अपने दफ्तर में पौधे लगवाते हैं, रेफ्रीजरेटर लगवाते हैं। तो लडकों के दिल में उसका क्या प्रभाव पडता होगा। लडके स्वयं अपने पेरेन्ट्स के रहन सहन को जानते हैं जिस तरह से एक लडके के पास अपने घर का खाका होता है। उसी प्रकार से यूनीवर्सिटी का सारा खाका यूनियन के सामने होना चाहिए। हमने डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश की है लेकिन जो वहां के काम करने वाले हैं उन लोगों का दिमाग डेमोक्रेटिक नहीं है, उनका थिंकिंग डेमोक्रेटिक नहीं है, उनका फंक्शन डेमोक्रेटिक नहीं हैं। इसलिये यह होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छात्र और प्राफिसर्स जिनके हाथ में सत्ता है वे उलझ जाते हैं वर्ना कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें आपस में कोई विवाद हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(2.म.प.)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये राजनीति के अन्दर कूडा जो उछालने वाले लोग हैं महरबानी करके वे छात्र संसार से दूर रहें और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं और शिक्षा में विश्वास रखते हैं, जिनको बच्चों से प्रेम है वे ही उनसे सम्बन्धित रहें इस प्रकार से राजनीति में काम करने वाले लोग बडी बडी शिक्षा और उपदेश जो देते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात से दूर रहते हैं कि नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में आटोनामस इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके बारे में निम्न राजनैतिक दृष्टि से प्रश्न असेम्बली में उठाना चाहते हैं उनका यह फर्ज होता है कि वे पहले जाकर उनके चान्सलर और वाईस चान्सलर से मिलें और मिलने के बाद जो समस्याएं हैं उनको हटाना चाहते हैं और छात्रों के हित में बात करना चाहते हैं तो उनका फर्ज हो जाता है कि वे उनसे मिलकर बात करें। मैं चाहता हूं कि जो छात्रों से बात करना चाहते हैं उनका पहला कर्तव्य हो जाता है कि वह वहां के कुलपति या वाईस चान्सलर से जाकर मिलें और उनसे बात पूछकर छात्रों से बातें करें। वे बात करना नहीं चाहते हैं और अखबारों में हैंड लाइन्स छापने के लिए इस प्रककार की बातें यहां सदन में करते हैं तो ये बातें फायदेमन्द नहीं होती हैं, और छात्र-संसार को उससे फायदा नहीं पहुँचता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने दोनों बातें कही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि छात्रों से दूर रहें और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनसे जाकर बातें करें।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार का भाषण यहां देने से फायदा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न तो आप छात्रों से मिले और न अखबार आपने पढ़ा और सदन में यह सब सोचकर खड़े हो गये कि अखबारों में छपाने के लिए कुछ न कुछ बोलें।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : ये दो मुंही भाषा में बोलते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, अभी हम जैसी बहस कर रहे थे वह महाराजा कालेज छात्रों की स्ट्राइक के बारे में बात थी, और मुजे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने शिक्षा की जनरल पालिसी के ऊपर रोशनी डाली!...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिवाय मूलचन्द जी डागा के।

श्री बरकतुल्ला खां : हमें भी खुशी है कि उन्होंने सुझाव दिये। अब मैं इस मौके को गनीमत समझता हूं कि मैं अपने आपको इस स्ट्राइक तक ही सीमित रखूं, क्योंकि सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं, वर्ना, माननीय उपाध्यक्षजी, आप भी जानते हैं कि जिस तरह के चेलेन्ज मुझको मिले, सोशियल, इकोनामिक, एन्वार्यनमेंटल प्राब्लम्स जो लोगों के सामने आयी हैं उनके चेलेन्जज को मीट करना एक दिन के अन्दर नहीं हो सकता है। इसलिए इसके अन्दर नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं विद्यार्थियों से बराबर मिलता रहा हूँ जब भी उन्होंने मिलना चाहा मिला रात को मिलना चाहा तो रात को मिला और दिन को मिलना चाहा तो दिन को मिला··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिन में 10 बजे के बाद।

श्री बरकतुल्ला खां: इलेक्शन के वक्त तक ले लें। इलेक्शन के ठीक पहले मत कहना। 7 बजे टेलीफोन कर लिया तो आप सोते हुए मिलेंगे।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टूडेन्ट्स से मिलने के लिए हर वक्त तैयार हूं। मेरा वक्त उनके लिए है। लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि सदन के अन्दर एक भ्रम डाला गया है। एक माननीय सदस्य ने बात कही वह बात यह कहीं थी कि कुछ लोग—मेरी प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिये मैंने स्टूडेन्ट्स पर कभी कोई लान्छन नहीं लगाया। मेरे लांछन उन पर हैं जो उनके नाम पर एक्स्प्लायट करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूँ कि लोगों को अख्त्यार है स्ट्राइक पर जाने का। एज ए डेमोक्रेट मैं इसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन जब उनके नाम पर दूसरे लोग एक्स्प्लायट क्यों करते हैं तो सदन के फ्लोर को क्लियर करना चाहता हूँ और उसको मैं मैन्टेन कर रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पुलिस रेग्युलेशन पढ़ लें : उसमें लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार से स्ट्राइक को प्रोत्साहित करते हैं उनको बन्द करके अन्दर रख लेना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस बात को क्लियर कर रहा था।

मैं एक चीज, माननीय उपाध्यक्ष, और बताना चाहता हूँ कि कोई लड़कों को मजबूर करने या लालच देने की बात नहीं है। उन्होंने जो मांगें रखी है उनको मानते हुए

Page No. 86

(श्री बरकतुल्ला खां)

मैंने यह कहा है कि कोआपरेशन का हाथ मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। न तो मैं उनको लालच देना चाहता हूँ और न थ्रेट देना चाहता हूँ इक्वल लेवल पर बैठकर बात करना चाहता हूं और एक रीजनेबल तरीके से जो उनकी डिमाण्ड मेरे में सही आती है उनको मैंने मानने से इन्कार नहीं किया है। दो कमरे लाइब्रेरी में दे रहा हूँ तो मैं कोई अहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे बाप का पैसा नहीं है जो अहसान करके दे रहा हूं। मैं समझता हूँ कि यह उनकी जायज मांग है उनको कमरे मिलने चाहिए और कमरे मिल रहे हैं। यह एक डिमाण्ड है जिसको मैं जायज समझता हूँ।

दूसरी एक एम0 सी0 सी0 की डिमांड उन्होंने रखी है उसके लिए आलरेडी जो पहले. चेन्ज हुआ डाइरेक्टर जनरल, एन0 सी0 सी0 के कहने से सही उनकी मर्जी से सही, उनको वापिस की है, आर्टीलरी और आर्म्डविंग्ज के लिए जो डिमाण्ड हैं उसको वापिस कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह : यह जो डिमाण्ड आर्टीलरी और आर्म्स की है यह आज नहीं आई है गवर्नमेंट के पास। बहुत पहले से विश्वविद्यालय ने आपको लिखा है तो आपने अब तक क्या किया है?

श्री केदारनाथ : लांग ओवरड्यू है।

श्री बरकतुल्ला खां : देर शायद दुरुस्त शायद कहें चाहें लेकिन उसको ठीक कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की तरफ से यह गैरजिम्मेदारी है कि युनिवर्सिटी ने बहुत पहले से ही लिखा था और यदि उनकी यह मांग जायज थी तो सम्बन्धित अधिकारी से मिलकर इसका निर्णय कराना चाहिए था। आप उसका निर्णय नहीं कर रहे हैं इसलिए लड़के मांग कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : यह ऐसी बात नहीं हैं। जैसे ही 3 तारीख को स्टूडेन्ट्स का डेपुटेशन चीफ मिनिस्टर सहाब से मिला तो मैं भी वहां पर मोजूद था तो मैंने कहा कि यह डिमाण्ड उनकी जायज लगती है तो फौरन उसी वक्त मन्जूर किया है...

श्री भैरों सिंह : आपने पहले क्या किया है? आपके कहने का मतलब यह है कि 3 तारीख से पहले स्टूडेन्ट्स की इस प्रकार की कोई मांग नहीं थी?

श्री बरकतुल्ला खां : यह मैंने कब कहा?

श्री भैरों सिंह गवर्नमेंट ने आज तक इस विभाग के सम्बन्ध में क्या किया?

श्री बरकतुल्ला खां : उस पर ध्यान आकर्षित हो रहा है। वह अन्डर कन्सीडिरेशन था अब नतीजे पर पहुँचो हैं जिसको मैं काम्युनिकेट कर रहा हूं। एक व्यू पर डेलिबेशन्स और डिसकशन्स तो करने ही पड़ते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त विश्वविद्यालय ने सरकार को लिखा और सरकार स्वयं उसको स्वीकार करती है और स्वीकार करने के बाद उसका इम्प्लीमेन्टेशन अभी तक नहीं हुआ है उसकी शिकायत है।

श्री बरकतुल्ला खां : इसका तरीका है ।

श्री भैरोंसिंह : यह एक तरीका है जिस तरीके से लड़के आन्दोलन करते हैं । इसमें लड़कों का दोष नहीं है ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कब कह रहा हूं कि लड़कों का दोष है और कब कहा कि हम बेवकूफ हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि हम सब मांगें मन्जूर कर रहे थे मगर वे जबरदस्ती स्ट्राइक कर रहे हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह मैंने नहीं कहा है । यह मेरी जबान से मत बुलाइये । हम दोनों यहां 10 साल से बैठे हैं । यह आप भी नहीं कहना चाहते हैं और यह मैं भी नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो यह कह दें कि लड़कों का आन्दोलन वाजिब है ?

श्री बरकतुल्ला खां : आप भी ऐसा सवाल करते हैं जैसे कि अंग्रेजी में एक सवाल किया जाता है "आर यू मैरिड टू युवर वाइफ" यानी क्या आपकी धर्मपत्नि से आपकी शादी हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : शादी की बात तो बाद में करेंगे । आप इसका उत्तर दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : यही तो मैं कांट्रडिक्शन बता रहा हूं जिस बात का आप जिक्र करना चाहते हैं उसका ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा मानस होता है वैसा ही सवाल पैदा होता है ।

श्री बरकतुल्ला खां : आप यह कहना चाहते हैं कि या तो सब मांगें जायज हैं या स्ट्राइक जायज है या कुछ भी जायज नहीं है...

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने यह पूछा है कि क्या आपकी धर्मपत्नी से शादी हुई है तो क्या आप यह इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि वे धर्मपत्नी को भगाकर लाये हैं ? उससे उनकी प्रतिष्ठा गिरती है ।

श्री भैरोंसिंह : यही सवाल मैं उनसे पूछता हूं ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सदस्य, उन्होंने ही सवाल किया है, मैं नहीं कर रहा हूं । उसके ऊपर मेरा जवाब था कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे है जैसे कि कोई किसी से पूछ सकता है कि आर यू मैरिड टू युवर वाइफ । इस तरह का सवाल कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता । जो उनकी जायज मांगें हैं उनका कन्सीडिरेशन कर रहे हैं । बात करने का सवाल है तो बात करने को तैयार हैं...

श्री भैरोंसिंह : जो गवर्नमेंट के हाथ में है यह तो बता दें कि सिन्डीकेट के अन्दर उनके रिप्रेजेन्टेशन के बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है ?

श्री बरकतुल्ला खां : पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है कि सिन्डीकेट के अन्दर यूनियन का प्रतिनिधि हो ।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हम यह कह रहे हैं कि पूरे हिन्दुस्तान के पैटर्न को समझते हुए भारतवर्ष के साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि आप अपनी अक्ल से काम नहीं लेना चाहते हैं दूसरों की नकल करना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : न तो हम दूसरे प्रदेशों की नकल करना चाहते हैं और नकल में भी अकल चाहिए। हिन्दुस्तान से अलग रह कर नहीं चलना चाहते हैं।

यह अलग आवाज लगाने वाला कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। जो पूरे हिन्दुस्तान के लिए पैटर्न होगा, जो मेरे देश को सूगट करेगा उस पैटर्न को राजस्थान को भी सूट करना पड़ेगा। उससे अलग हम नहीं हो सकते। कौआ हंस की चाल चलेगा तो दोनों चाल भूल जायगा। मैं यह कह सकता हूं कि जो मसले हैं, उन पर डिटेल के अन्दर विचार करने का मौका आयेगा तब करूंगा, लेकिन अभी जो छात्रों की प्राबलम हैं—जैसे फार्म्स की प्राबलम हैं, जो सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा उसकी प्राबलम है—इन फार्म के अन्दर किस तरह की चीजें होनी चाहिए इसका मैं रेन्डर अकाउन्ट अगले सैशन में करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री जी फिर नाराज होंगे। फार्म की बात पर पिछले सत्र में आश्वासन दिया था, वह मैं समझता हूँ आपको याद होगा।

श्री दौलतराम सारण : यह बीच में रहे नहीं। आप क्या बात करते हैं। यह स्थिति इनके बस की नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया एक विभाग के चार विभाग कर देते हैं, एक मंत्री के पोर्टफोलियो को चार पोर्टफोलियों में बांट देते हैं, एक गद्दी पर रखते नहीं है—यह झगड़ा है।

श्री बरकतुल्ला खां : एक बड़ा सीरियस सवाल आया था, मैं उसको बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि लड़कियों को गुड कन्डक्ट का सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है . . .

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): किसको ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सवाल उठाया कि एडमीशन के वक्त जिस प्रकार लड़कों को गुड कन्डक्ट का सर्टीफिकेट लेना पड़ता है, वैसे ही लड़कियों को क्यों लेना पड़ता है। मैं समझता हूं कि लड़कों और लड़कियों में हमें डिस्क्रिमिनेट करके नहीं चलना चाहिए और न यही मान कर चलना चाहिए कि लड़के तो सब बदमाश हैं और लड़कियां सब को सब अच्छी हैं। लड़के भी अच्छे हैं और लड़कियां भी अच्छी हैं, लेकिन जब एक को सर्टीफिकेट देना पड़ता है तो दूसरे को भी देना पड़ेगा। लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेट करके चलना और यह मानना कि लड़के सब बदमाश हैं और लड़कियां सब अच्छी हैं—यह अच्छी व्यवस्था नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में तो आपके विचार से डिस्क्रिमिनेशन का सवाल खड़ा होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रास्पेक्टस में लड़कियों के लिए सीट रिजर्व कर दी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बस के अन्दर उनकी सीट रिजर्व है तो वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। रेल्वे में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
महिलाओं के लिए अलग डिब्बा होता है तो वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ।

श्री बरकतुल्ला खां : वह स्पेशल इन्ट्रेस्ट है, यह स्पेशल इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is no argument. That is no discrimination.

श्री दौलतराम सारण : इस चीज को आप एक्जामिन कराइये। इससे कितनी परेशानी होती है। जहां पढ़ते हैं उस शिक्षण संस्था का जब सर्टीफिकेट जाता है तो फिर दूसरे सर्टीफिकेट की जरूरत क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकता कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन आज दुनियां के किस कोने में नहीं होता। आप लायर हैं, आप यह कहते हैं कि लड़कियों के लिए करेक्टर सर्टीफिकेट इसलिए रखते हैं कि अगर नहीं रखें तो लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन हो जावेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कहता हूं कि लड़कों को और लड़कियों को अलग क्यों करें इस सर्टीफिकेट के मामले में···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूं कि वह किसी के लिए नहीं होना चाहिए हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति का करेक्टर अच्छा है। until and unless it is otherwise proved.

श्री बरकतुल्ला खां : यह कहें तो इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। यह रीजनेबल है। इसको मैं मानता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बस तो फिर ठीक है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह कह रहा था कि इस बहस के बाद में लड़कों का दिमाग साफ हो जाना चाहिए कि···

श्री भैरोंसिंह : फार्म के बारे में क्या कहा। जिस सर्टीफिकेट को एडमिशन के लिए लेने की जरूरत पड़ती है उसके बारे में ?

श्री बरकतुल्ला खां : फार्म्स के बारे में यह कहा कि जो स्कूल में से प्रमोट होता है उसको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है···

श्री केदारनाथ : है।

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और !

श्री बरकतुल्ला खां : दूसरी बात उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है। उनके फार्म को नहीं रोकें इसलिए सिम्पल करके रखा है। रिमोट पासीबल उसको···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक लड़का एक स्कूल को छोड़ कर जाता है और फिर एडमिशन लेता है तो वह फीस माफ कराये, या कम कराये, उसके लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स का सर्टीफिकेट पेश कर दे तो हो सकती है। टी. सी. का जो फार्म है उसके बेसिस पर नहीं हो सकता, तो आप टी. सी. में ही इस प्रकार का कालम रख दें।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

That this boy belongs to this category, or caste.

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपका सुझाव मंजूर करता हूँ, यह टी. सी. में इन कोरपोरेट कर लिया जाय कि यह लड़का शिड्यूल्ड कास्ट्स का या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है। यह मंजूर करता हूँ बात।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कहीं कहीं पर ऐसा लिख दिया गया है कि सर्टीफिकेट बाई द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और वह लोग हाथ नहीं रखने देते हैं। इस सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुभव है कि आठ आठ रोज लड़के पड़े रहते हैं, कलेक्टर हैं, ए. डी. एम. हैं वह कहते हैं कि हमारे पास बेगार के लिए टाइम नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : इस प्रकार की समस्या भी है····

श्री भैरोंसिंह : यह फार्म्स का प्रश्न उठाया, यह सही है लेकिन मूल प्रश्न हड़ताल का है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हड़ताल के सम्बन्ध में, विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जिस प्रकार का गवर्नमेंट का रवैय्या रहता है उपेक्षा करने का उस प्रकार ही इस बार भी उपेक्षा की है। मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि जिन मांगों के प्रति विश्वविद्यालय ने सहानुभूति प्रकट की है, जिन मांगों को मंजूर करने का आश्वासन दिया है, जिन मांगों के प्रति सरकार ने भी सहानुभूति प्रकट की है और मंजूर करने का आश्वासन दिया है तो क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कोई समय निर्धारित करके बता दे कि इन मांगों के सम्बन्ध में उस समय तक निर्णय ले लिया जायगा, इन मांगों के सम्बन्ध में समिति का गठन किया जायगा और मांगों के सम्बन्ध में समिति की राय आने पर इन पर चर्चा की जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की तरफ से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और जो मंत्री महोदय का स्टेटमेंट सदन में हुआ है इन दोनों को देखने से लगता है कि विद्यार्थियों की मांगों को, जो शत प्रतिशत रूप से वाजिब हैं, मंजूर करने में सरकार संकोच कर रही है, उनको मंजूर करने में विश्वविद्यालय संकोच कर रहा है और केवल दिखाने के लिए सरकार कहती है कि इसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। मैं आपको वह विज्ञप्ति पढ़ कर सुनाना चाहूँगा जिसमें विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि अगर यह मांगें लड़के मंजूर करवाना चाहते हैं तो पहले हड़ताल बन्द करें। अगर पहले हड़ताल बन्द नहीं की तो उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जायगा। इस विज्ञप्ति में यह लिखा गया है और इसमें यह कहा जाय कि जब तक हड़ताल चलती है तब तक उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, कोई भी केटेगोरीकल एश्योरेन्स देने को तैयार नहीं है—यह उचित नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि हड़ताल करने वाले छात्रों के प्रतिनिधियों को बुला लें, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बुला लें और बुला कर एक टेबल पर बैठें और सारी समस्याओं पर विचार करके उनका निराकरण किया जाय। ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार विद्यार्थियों की मांगों को मंजूर नहीं कर रही है लेकिन उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके उनको अप्रत्यक्ष रूप से उकसा रही

(श्री भैरोंसिंह)

है कि तुम अपना आन्दोलन उग्र बनाओगे तब ही विश्वविद्यालय और सरकार तुम्हारी मुख्य मुख्य प्रार्थना तथा मांगों के बारे में निर्णय लेगी। मैं निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों से अपील करने के स्थान पर सरकार को अपना मानस बनाना चाहिए और मानस बना कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तुरन्त किसी प्रकार का स्टेप लिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप कोई घोषणा करें।

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका ताल्लुक है, स्टूडेंट से बातचीत का, मैं कहता हूं कि जब तक स्टूडेंट्स स्ट्राइक बन्द नहीं करें, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं बात करने को तैयार हूं। मेरे गुड् आफिसेज उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ डिमाण्ड पर मैं कन्सीड नहीं कर सकता मैं साफ कहता हूं कि कुछ मांगों पर मैं कन्सीड नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी ?

श्री बरकतुल्ला खां : डिमाण्ड नम्बर 1.

मैं इस मांग को मंजूर नहीं करता हूं। ज्योलोजी की पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज जयपुर में खोली जायं–इस मांग को मैं मन्जूर नहीं करता हूं···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बायो केमिस्ट्री?

श्री बरकतुल्ला खां : बायो–केमिस्ट्री के बारे में अर्ज है कि फोर्थ प्लान के अन्दर इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसके सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से फैसला होगा तब हम कुछ फैसला कर सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यूनिवर्सिटी ने अपनी योजना में इसको शामिल किया है, अब केवल सरकार के स्वीकार करने की बात है।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार के स्वीकार करने की बात नहीं है, इसके साथ में फंड्स की अवेलेबिलिटी का सवाल है। यूनिवर्सिटी के सामने आलरेडी जो कमीटेड एक्सपेंडीचर है उसको पूरा करते हुए एक्सपेंशन का प्रोग्राम हो सकता है या नहीं इसको भी सामने रखना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यूनिवर्सिटी ने अपनी योजना में इसको शामिल रखा है तो यह कैसे नहीं मान सकते हैं कि फाइनेंसियल आस्पेक्ट को सामने रखते हुए यह शामिल नहीं किया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जो आर्गेनाइजेशन होता है वह आर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आर्गेनाइजेशन के इन्ट्रेस्ट को सामने रख कर चलता है। उसके सामने जो पिक्चर होती है वह सिर्फ आर्गेनाइजेशन की होती है। लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पूरे स्टेट के इंट्रेस्ट को सामने रखते हुए कोई चीज मंजूर करनी पड़ती है, उन चीजों को देखना पड़ता है। इसके बारे में मैं प्रोफ हैंड कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं। मैं ज्योलोजी के बारे में कन्सीड नहीं कर सकता। यह हाउस के सामने मैं कह रहा हूं कि बाकी मांगों के अन्दर से

(श्री बरकतुल्ला खां)
जैसा मैंने बताया मैं तीन मांगों पर कन्सीड नहीं कर सकता, बाकी विद्यार्थियों की मांगें वाजिब है···

श्री भैरोंसिंह : आप टर्न बाई टर्न बताते जाइये।

एक माननीय सदस्य : अब तक क्या किया ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको गिना रहा हूं। यह लेबोरेट्री की फीस दो रुपयें बढ़ी है तो उसको बढ़ाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं कहा था।

यह बात यूनीवर्सिटी के हाथ में है उसको वह कम करदे या बढ़ा दे।

एन.सी.सी. के लिए आलरेडी कह दिया कि हम इस सब्जेक्ट के अन्दर मूव-कर रहे हैं।

जहां तक प्रश्न रह गया अटेंडेंस के बारे में तो यह प्योरली एकेडेमिक क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

स्टडी टूर के बारे में अर्ज है कि इसके बारे में एक्जामिन करके बताया जा सकता है। पचास पर्सेन्ट तो आज तक दे रहे हैं···

श्री भैरोंसिंह : कब तक बताया जा सकता है क्या कोई समय या अवधि नहीं है···

श्री बरकतुल्ला खां : इस सम्बन्ध में अवधि है 15 दिन के अन्दर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खूब मारा टोला। पन्द्रह दिन के बाद में हाउस एडजोर्न हो जायगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं फिर भी हाउस के सामने रहूंगा मैं हाउस से बच कर कहीं नहीं जा सकता। दुनिया की हर किसी चीज से बच सकता हूं लेकिन हाउस से बच कर नहीं जा सकता··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हाउस या वह हाउस ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सदन।

यह जो कन्शेशन आफ फेअर्स का है, इसमें भी महीना भर करीब लगेगा, निगम से बातचीत करने के बाद जो फैसला होगा, उसके अनुसार तय किया जायगा।

मैं समझता हूं इन सब बातों को सुनने के बाद आप सेटिस्फाई होंगे मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वे अपनी स्ट्राइक को काल ऑफ कर लें।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप, सरकार के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सब साथ में बैठ कर फैसला कर लें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विद्यार्थियों के साथ अपने गवर्नमेंट आफिसियल्स के साथ बैठ कर बात करने को तैयार हूं। यूनीवर्सिटी के लिये नहीं कह सकता। यूनीवर्सिटी से मैं बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री शिवनाथसिंह : एक बात आपने नहीं बताई, राजस्थान यूनीवर्सिटी के छात्र अधिक होते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे यह जानकारी मिली है कि राजस्थान यूनीवर्सिटी के 80 प्रतिशत स्टुडेन्ट्स पोस्ट ग्रेज्युएट्स से एडमिट हुए हैं और 20 पर्सेंट बाहर के हैं।

यूनीवर्सिटी इसके लिए कोई फोर्मूला एडोप्ट करना चाहे तो मुझे एतराज नहीं है, पर मैं किसी यूनीवर्सिटी में रीजनल बेसिस नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य : हनुमानगढ़ के लिए आपने कुछ नहीं कहा।

श्री बरकतुल्लाखां : हनुमानगढ़ के बारे में मुझे जानकारी दी गई है कि वह तो हम से ग्रान्ट-इन-एड, मदद नहीं लेती, डायरेक्टली यूनीवर्सिटी से सम्बन्धित है। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है मैं गृह मंत्रीजी के नोटिस में ले आया हूं।

श्री दौलतराम सारण : विद्यार्थियों पर डंडे बरसाने में तो आप शरीक हैं?

श्री बरकतुल्लाखां : बिल्कुल नहीं।

श्री दौलतराम सारण : उन पर डंडे बरसाये जायं, उस बारे में तो आप सम्बन्धित हों, बाकी के मामलों में नहीं।

श्री श्रवणलाल : मैं एक जानकारी चाहूंगा,····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज.!!

श्री श्रवणलाल(हिन्डौन): कई छात्र यूनीवर्सिटी या एक दूसरे कालेजेज में जाते हैं तो उनको टी.सी. को एक ही जगह एटेस्ट करते हैं, एक जगह उन्होंने टी सी. दे दी और जब वे देखते हैं कि उनका एडमिशन वहां पर नहीं होने वाला है तो वे बेचारे दूसरी जगह पर भागते हैं। दूसरी टी.सी. लेने जाते हैं तो पहले कोर्ट में हल्फनामा पेश करना पड़ता है··

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है··

श्री श्रवणलाल : हल्फनामा पेश करते हैं, ऐफेडेविट देते हैं तब जाकर उनको मिलता है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत समितियों के लिये उनके क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब खुदवाने के लिए एक समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाता रहा है। हर साल उस धनराशि से पंचायत समितियां अपने यहां छोटे छोटे तालाब बनाती हैं, या मरम्मत कराती हैं। जो बड़े बड़े तालाब हैं वे तो इरिगेशन के नीचे हैं पर जिन तालाबों की 20 हजार से नीचे तक लागत होती है, वे पंचायत समितियों द्वारा बनाये जाते हैं हर वर्ष इस प्रकार की रकम पचायत समितियों को दी जाती रही है। पर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस साल पंचायत समितियों को देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रखा है, यह हमारी उन पंचायत समितियों के लिए एक जटिल प्रश्न बन गया है। अगर यह धनराशि नहीं दी जायगी तो कैसे नये तालाब बनायेंगे और पुराने तालाबों में जो टूट-फूट हो रही है, उनको कैसे ठीक करवायेंगे। हमारे यहां दो तीन इलाके तो ऐसे हैं कि जहां का सारा जन-जीवन तालाबों पर ही निर्भर करता है। मेरा क्षेत्र देवगढ़ पंचायत समिति भी उसमें आता है। . प्रकार के तालाब इसमें आते हैं। एक तो वे तालाब जो अकाल के समय में बनाये गये थे और अधूरे रह गये, ऐसे तालाबों को पूरा करने के लिए 31 हजार की धनराशि मांगी गई है, ऐसे तालाबों पर काफी धनराशि लग चुकी है, 66-67 के अकाल में वे पूरे नहीं हुए, 31 हजार की धनराशि मिलती है तो पूरे होते हैं वर्ना जो धनराशि उन पर खर्च हुई है वह यों ही बेकार बर्बाद होती है।

इसी तरह से जो दूसरे तालाब आते हैं जो अधूरे रह गये हैं। पिछले वर्षों में राज्य सरकार से ऐसे तालाबों के लिए अनुदान मिलता रहा था उससे छोटे छोटे तालाब पंचायत समितियों ने बनाये, उन तालाबों पर भी काफी धनराशि खर्च हो चुकी है पर पूरे नहीं हुए हैं। किसी की केवल चादर बननी बाकी है, किसी की मोरी बननी बाकी है, किसी पर और थोड़ा बहुत काम बाकी रहा है, ऐसे तालाबों पर यथेष्ट धनराशि लग चुकी है, ऐसे तालाबों को भी जो कि अधूरे पड़े हैं जिन पर काफी धनराशि व्यय हो चुकी है, उनके लिए देवगढ़ पंचायत समिति ने 56 हजार की मांग यहां पेश की थी।

तीसरी श्रेणी में वे तालाब आते हैं, जो वर्षों पुराने हैं और टूट गये हैं, या जो पुराने तालाब टूटे नहीं हैं तो बिलकुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, मरम्मत नहीं होने के कारण टूटने ही वाले हैं। ऐसे तालाब अगर टूटते हैं तो जान माल का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे तालाबों की मरम्मत के लिये, ठीक कराने के लिये लगभग 60, 70 हजार की मांग देवगढ़ पंचायत समिति द्वारा डेवेलपमेन्ट विभाग के पास की गई है, पर इनकी मरम्मत के लिये कोई रकम नहीं रखी गई है। इससे एक बडा गम्भीर प्रश्न पैदा होता है, अगर तालाबों का बनाना बन्द हो जाता है, जो अधूरे रह गये हैं उन तालाबों को पूरा नहीं करवाया जाता है, जो बहुत पुराने तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उन तालाबों की मरम्मत नहीं करवाई जाती है, तो यह हमारे यहां की जनता के लिये तो जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि हमारे यहां पहाड़ी इलाका है, कुओं के नैजे का पानी ऊंचा उठाने के लिये यही एक मात्र तरीका रह जाता है कि छोटे छोटे तालाबों को दस-दस, पांच-पांच हजार की लागत से बनवाया जाय। राजस्थान के जो दूसरे इलाके हैं उनमें ट्यूब-वेल बनाये जा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में जोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि वहां पर ट्यूब वेल्स नहीं बन सकते।

सबसे बड़ी मुश्किल मेरी पंचायत समिति में यह आती है कि बड़े बड़े इरिगेशन के तालाब, मासींद और मेजा में, हमारे क्षेत्र से नीचे के इलाकों में बड़े बड़े तालाब बना दिये और हमारे इलाके को उन बड़े बड़े तालाबों केचमेंट एरिया बना दिया, इससे हमारे इलाके वालों का पानी हमारे इलाके के लोगों को नहीं मिलता है, यह हमारे इलाके के लोगों के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
जन्म सिद्ध अधिकार को छीना गया है, हमारे इलाके के लोग हैं उनकी जड़ काटी गई है, नीचे के इतने बड़े बड़े तालाब बना कर। राजस्थान सरकार ने इन तालाबों को बनाते समय यह नहीं सोचा कि वे लोग कोई तालाब नहीं बना सकेंगे, यह विकट समस्या हमारे क्षेत्र के सामने है।

इसलिये पंचायत मंत्रीजी से मैं अर्ज करूंगी कि जो तालाब अधूरे हैं, और जो तालाब जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, उन्हें पूरा करने के लिये, उनकी मरम्मत करने के लिये धनराशि दें। उनका क्या जवाब मिलेगा, यह भी मैं जानती हूं। उनका यही जवाब होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, प्लानिंग मिनिस्टर से कहा गया है।

यह मेरा फर्ज नहीं है, मंत्री महोदय का फर्ज हो जाता है कि इस तरह का प्रावधान हमारे यहां दिलायें, चाहे प्लानिंग से लें, चाहे इरिगेशन से लें, किसी भी तरह से 60-70 हजार रुपया इस कार्य के लिये मेरी पंचायत समिति को दिया जाय तो इससे लोगों के कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर इस मौके पर मेरी इस पंचायत समिति को रकम नहीं मिली तो उसका मतलब होगा कि 10 साल से जो राशि इन तालाबों पर लगाई गई हैं, वह व्यर्थ हो जायगी, उसको कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, जितना पैसा लगाया गया है वह सब बेकार, बेमानी, बेमकसद होगा, क्योंकि ये सारे तालाब अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिये किसी तरह से हो इस पंचायत समिति के लिये इतनी छोटी सी रकम जो सिंचाई महकमे और प्लानिंग महकमे को देखते हुए बहुत ही छोटी राशि है। अतः यह रकम देवगढ़ पंचायत समिति को दिलाने की कार्यवाही करें।

श्री परसराम मदेरना (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्षजी, देवगढ़ में आने वाली माननीय सदस्या ने जो छोटे छोटे तालाब लघु सिंचाई के अन्दर आते हैं और पंचायत समितियों को या तो हस्तांतरित कर दिए गए हैं या उन्होंने खुद ने बनाए हैं, उनकी एक समस्या उनके निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत समितियों में है। जैसे माननीय सदस्या ने बताया, इस प्रकार के छोटे तालाब जो अकाल में प्रारम्भ किए गए थे और अपूर्ण रहे, उनको पूरा किया जाना आवश्यक है और उसके लिए धनराशि नहीं है। कुछ तालाब उन्होंने शुरू किए लेकिन अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए 46,000) की धनराशि आवश्यक है। मैं मानता हूं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने 3,40,00,000) रु. की धनराशि ऐसे तालाबों को बनवाने के लिए, बंधे बनवाने के लिए और एनीकट्स बनाने के लिए अलग अलग पंचायत समितियों को दी है लेकिन पिछले दो तीन सालों से जो धनराशि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए और खास तौर से तालाबों, और बांधों और एनीकट्स के लिए दी जा रही है, उसमें कुछ कमी होती जा रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब ब्लाक स्टेट पर होते हैं तो उसमें ज्यादा रकम का प्रावधान होता है, सैकिंड स्टेज पर आते हैं तो उसका प्रावधान कम होता चला जाता है और उसके बाद में प्रावधान बहुत कम रह जाता है। भारत सरकार के पैटर्न के अनुसार जो धनराशि हमें मिलती है वह कम होती जाती है।

मैं माननीय सदस्या की भावनाओं को समझता हूं लेकिन तालाब जो टूटने पर हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है और जिनकी मरम्मत की जानी चाहिए उनके लिए धनराशि उपलब्ध की जाय। लेकिन माननीय सदस्या का कहना कि इस साल के बजट में लघु सिंचाई के कार्य का कोई प्रावधान नहीं है या कोई धनराशि उसके लिए आवंटित नहीं की गई है, सही नहीं है। इस साल बजट में सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए 3 लाख और लघु सिंचाई के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए गए है। कुल मिलाकर 8 लाख रुपये की राशि है। इस राशि का आवंटन अलग अलग पंचायत समितियों को निकट भविष्य में ही किया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ध्यान मैं एक मुख्य बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये तालाब अपूर्ण क्यों रहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो साइट प्रिफर किया जाता है वह गलत किया जाता है। उसके साथ ही साथ तालाब को तीन साल में बनाते हैं तो तीन के बजाय एक साल में ही खर्च कर देते हैं तो दूसरे साल पूरी धनराशि आवंटित नहीं होती और कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। शिकायतें आई और जांच भी करवाई है कि एक तालाब का अगर 25,000 से ऊपर एस्टीमेट होता है तो पंचायत समिति उस काम को नहीं कर सकती। नतीजा यह होता है कि उसका पहले लोअर एस्टीमेट बनाते है और जब वह काम अधूरा रह जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि यह अधूरा रह गया। अगर 25 हजार से काम नहीं बनने वाला हो तो उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए, सिंचाई विभाग उसको करता।

इसी प्रकार यह भी देखने में आया है कि हमने इस प्रकार के निर्देश सभी पंचायत समितियों को दे रखे हैं कि जिन तालाबों की सिंचाई की क्षमता 50 एकड़ या उससे कम है तो उनसे वाटर रेट्स चार्ज करने चाहिए लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंचायत समितियों ने इस पर कोई कार्य नहीं किया है और इसलिए उस आमदनी को जो रिपेयर्स में खर्च कर सकते थे, उसका उत्तर-दायित्व निभाने में वे असफल रहे हैं। हमने पंचायत समितियों को अपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए बार बार हिदायतें दी हैं कि जो फंड्स इस मुद्दे पर एलान करते हैं उनका उपयोग इसके लिए करना चाहिये लेकिन पंचायत समितियों की स्टैंडिंग कमेटियों के पास एस्टीमेट्स बने रहते हैं इसलिए दूसरे नए काम शुरू कर देते हैं। यही कारण है जिनकी वजह से पंचायत समितियों में काफी तालाब अधूरे पड़े रहते हैं। मैं मानता हूँ कि उदयपुर जिले और माननीय सदस्य के क्षेत्र के तालाबों का बड़ा महत्व है खेती के उत्पादन में; लेकिन ऐसे तालाब जिनके मरम्मत की आवश्यकता हैं, ऐसे तालाब जो अपूर्ण हैं, उनको पूर्ण किया जा रहा है। उसके लिये पूरे राजस्थान में 90 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता है और हमने राजस्थान के विकास विभाग को प्रोपोजल्स भेजे हैं और निवेदन किया है कि चौथी योजना में 90 लाख का प्रावधान किया जाय। मैं नहीं कह सकता कि विकास विभाग प्राथमिकता के आधार पर इस मांग को कौन से स्थान पर रखेगा?

जो तालाब टूट रहे हैं, उनके लिये हमने रिलीफ विभाग से 10 लाख रुपये अलग अलग जिलों को दिये हैं और जिन तालाबों की अभी टूटने की सूरत है उनके एस्टीमेट्स भी 10 लाख के आसपास आये हैं, रिलीफ विभाग ने वित्त विभाग को लिखा है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत बरसात आने पर टूट सकते हैं। यह मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे तालाबों की लिस्ट भी पंचायत समितियों से आई है। 10 लाख का प्रावधान था, उसको हमने आवंटित किया है और 10 लाख की और मांग की है।

आज 8 लाख का प्रावधान इस साल के बजट में है और जिसका ब्रेक-अप निकट भविष्य में अलग अलग पंचायत समितियों को ऐलाकेशन करने जा रहे है। उस समय माननीय सदस्या की पंचायत समिति का भी ध्यान विभाग के द्वारा रखा जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि कई तालाब गलत साइट पर बना दिये जाते हैं यह गलत है। कम से कम मेरे क्षेत्र की मैं कह सकती हूं। कारण यह है कि पंचायत अपने मन से नहीं बना रही है, उसकी टैक्नीकल सैंक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेनी पड़ती है। दूसरी बात आपने बताया कि जो 25 हजार से ज्यादा की लागत के तालाब होते है उनका एस्टीमेट कम कर लेते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसी शिकायत नहीं है। कोई तालाब ऐसा नहीं बनाया गया जिसकी लागत 20 हजार के ऊपर जाती है।

तीसरी बात आपने फरमाया कि बजट में प्रावधान रखा गया है और मैंने गलत बात कही। यदि बजट में प्रावधान रखा गया है तो मुझे खुशी है मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं कि टूटे हुये तालाबों के लिये, अधूरे तालाबों के लिये उनको बनाने जितनी रकम देने का मुझे आश्वासन दे दें...

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि 8 लाख का प्रावधान था।

श्री रामकिशन: 4 लाख हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 8 लाख।

श्री रामकिशन : पिछले सालों में 25 लाख से शुरू हुआ जो घटकर 8 लाख हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं। 1963-64 में सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए 52 लाख रुपए, लघु सिंचाई के लिए 33 लाख अगले साल 55 लाख, 1965-66 में 39,25,000), सिंचाई विभाग के अन्दर 32,30 000), 1966-67 में 9,02,000 लघु सिंचाई 5,52,000। इस साल 5 लाख और तीन लाख जैसा मैंने बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन : ये सब टूटे पड़े हुए हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 127 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने राजस्थान के मेडीकल कालेज में एडमिशन को लेकर उसमें जो अनियमिततायें बरती गई और जो सरकार की अनिश्चित नीति रही उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मेडीकल कालेज की सीट्स को लेकर राजस्थान सरकार ने यह निश्चय लिया था कि सीट्स में कमी की जाय। विधान सभा में इसकी काफी

Page No. 98

(श्री भैरोंसिंह)

चर्चा भी हुई थी। मेडीकल कालेज की सीट्स बढायी जायं इस सम्बन्ध में सरकार ने अपनी ओर से कुछ कठिनाइयां प्रकट कीं और अन्त में यह निर्णय हुआ कि सीट्स में कमी करने का निर्णय है वह लागू न किया जाय। प्रयत्न यह किया जाय कि सीट्स ज्यादा से ज्यादा बढें। इस समय राजस्थान के विभिन्न मेडीकल कालेजेज में 640 सीट्स हैं। आवश्यकता तो यह थी कि सरकार अपने आश्वासन के अनुसार 700 सीट्स निर्धारित करती। वह अब क्यों नहीं कर पायी वह तो माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर के समय बतायेंगे। लेकिन यह प्रश्न सरकार के मेडीकल कालेज में एडमिशन्स को लेकर जो सरकार की अनिश्चितता है वह बड़ा भयंकर है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस सेशन के बाद जिस समय मेडीकल कालेज में एडमिशन का सवाल हुआ तो प्रि-मेडीकल टेस्ट की घोषणा कर दी। विद्यार्थियों ने कई प्रश्नों पर विरोध किया। उन की एक मांग यह थी कि सरकार यदि प्रि-मेडीकल टेस्ट का विचार करती थी तो उसको सेशन के प्रारम्भ होते ही इसकी घोषणा करनी चाहिये थी। यह घोषणा न करने के कारण राजस्थान में खास कर जयपुर क्षेत्र और जयपुर डिवीजन के विद्यार्थी किसी प्रकार अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते थे वे उदयपुर और जोधपुर में चले गये। उदयपुर और जोधपुर में 10 सेक्शनल मार्क्स का प्रलोभन था उससे डिविजन इम्प्रूव कर सकते थे और जनरल एडमीशन में उनका सिलेक्शन हो सकता था। वह एट्रेक्शन था। इसी कारण अन्य स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये चले गये वहां विद्यार्थियों के समक्ष यह कठिनाइयां पैदा हुई कि प्रोस्पेक्टस में पहले ही सरकार घोषणा कर देती कि प्रि-मेडीकल टेस्ट के बगैर छात्रों का एडमिशन होने दिया जायगा, जिन स्थानों पर यह शिक्षा उपलब्ध है वे वहां शिक्षा प्राप्त कर लेते। सरकार ने माना नहीं। हमने भी चिट्ठी लिखी सरकार को लेकिन सरकार ने उत्तर ही नहीं दिया, मानने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट मे जाकर रिट पेश की। सरकार यह समझती थी कि इसका निर्णय क्या होगा विलम्ब जरूर हो सकता है इसलिये सरकार ने प्रि-मेडीकल टेस्ट की व्यवस्था वापिस ले ली। सरकार की यही अनिश्चितता है। यह विद्यार्थियों म कई प्रकार के संदेह पैदा करती है। भविष्य उनका अनिश्चित रहता है। सरकार की अनिश्चितता विद्यार्थियों के भविष्य में बाधा उपस्थित करती है। मेडीकल कालेज हो या दूसरे कालेज हों सरकार अपनी नीतियों में बाद में हेर फेर करने के बजाय सेशन प्रारम्भ होता है उस वक्त घोषणा करें। जो विद्यार्थी अन्य कालेज में एडमिशन लेते हैं वह सोच समझ कर लेंगे। उनके सामने अतिरिक्त कोई कठिनाइयां नहीं आवेंगी।

मेडीकल कालेज में अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था है। मैं इसको फ्रॉड की संज्ञा देता हूं। इसका ह्यूमन लाइफ से सम्बन्ध आता है। डॉक्टर का प्रोफेशन बड़ा इम्पॉर्टेन्ट प्रोफेशन है। उसके साथ रिजर्वेशन की पद्धति का अध्ययन करें तो दिमाग में यह गुन्जाइश पैदा होती है कि यह रिजर्वेशन को प्रक्रिया चलते चलते ऐसी हालत में आ जाय कि इन्टेलीजेन्ट स्टूडेन्ट का एडमिशन न हो और जो विद्यार्थी किसी प्रकार योग्य न हो

(श्री भैरोंसिह)

रिजर्वेशन लेकर डॉक्टर बन जाय और उसका ह्यूमन लाइफ से खेल प्रारम्भ हो जाय। आज की परिस्थितियां ऐसी ही हैं। इकोनॉमिक बेसिस ही उसका कारण है। जो खाई इकोनॉमिक बेसिस पर पैदा हो गई है उसके कारण यह भी सही है कि गरीब विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो साधन मुहैया होने चाहिये वे उनको उपलब्ध नहीं होते। इस कारण जनरल आर्डर में वे एडमिशन नहीं ले पाते। उस कन्डीशन में यह रिजर्वेशन की पद्धति चालू हुई। राजस्थान के मेडीकल कालेजेज में जो व्यवस्था है एडमीशन में वह मैं सदन में बताना चाहता हूं। गर्ल्स में रिजर्वेशन 20 परसेन्ट 120 गर्ल्स स्टूडेन्टस एडमिशन पा सकेंगी। डिफेन्स के पर्सोनल्स के बच्चों के लिए 30 सीट्स, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइबस के लिये 30 सीट्स, पोलिटिकल सफरर्स के बच्चों के लिए 15 सीट्स, बरमीज के लिए 15 सीट्स, एम.एल.एज. और एम.पीज. के बच्चों के लिए 5 सीट्स, डॉक्टर्स के लिये 10 सीट्स और गवर्नमेन्ट ने अपने डिस्क्रीशन पर 3 सीटें रखी हैं। और बाहर से जो स्टुडेन्ट्स आ जायं उनके लिये 6 सीट्स रखी हैं। 640 में से 228 सीटस पर रिजर्वेशन पर सलेक्शन होता है। यह सरकार ने तय कर दिया। सरकार से कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के बारे में कि जब एडमिशन होता है तो रिजर्वेशन न करें। सेशन के प्रारम्भ होने से पहले इस साल जो रिजर्वेशन प्रेस्क्राइब करें उनको नेक्स्ट इयर से इम्पलीमेन्ट करते तो सरकार के ऊपर जो यह चार्ज लगाया जाता है सरकार का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो गया है और उनको ओब्लाइज करने के लिये वह कर रही है, चाहे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट न हो, यह बात नहीं रहती। सरकार तत्काल रिजर्वेशन करती है तो भ्रम पैदा होगा कि किन्हीं को ओब्लाइज करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। 640 सीट्स में से 228 रिजर्वेशन को चली गयीं। 432 रहती हैं। उसमें आॅर्डर आफ प्रॉयोरिटी में जो स्टुडेन्ट्स आ जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। राजस्थान में इस सम्बन्ध में दो प्रकार की धांधलियां हुई हैं। एक दिन पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइबस कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी उस समय प्रश्न पैदा हुआ कि किन्हीं विद्यार्थियों ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के यहां गोद जाकर उनके पुत्र होने का सर्टिफिकेट लेकर एडमिशन ले लिया। मेडीकल कालेज के स्टूडेन्ट्स ने एक पत्र भेजा उससे ऐसा लगता है कि सरकार में किस प्रकार की धांधली चलती है, एडमिशन्स में किस प्रकार की धांधली चलती है। रूल्स को वायोलेट करके प्रोटेक्शन लेते हैं। एक कमजोर हुकूमत ही इस प्रकार का प्रोटेक्शन देगी। जो सरकार एफिशियेन्ट है वह इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां को कभी एप्रिशियेट नहीं कर सकती। एक व्यक्ति जाति का मेहता है उसने मेहतर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। मेहता से मेहतर होना आसान है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट ले लेते हैं। एक सूद है, सुधीरकुमार पुत्र बी. एल. सूद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को पिता बना लिया और एडॉप्शन होना उन्होंने स्वीकार किया, किशनचन्द पुत्र कल्याणमल मेहतर के यहां एडॉप्शन लिया। मिश्राचन्द पुत्र आदराम। कु. सुजाता तोषनीवाल पुत्री ईश्वरसिंह तोषनीवाल। सत्यनारायण मेहता जोधपुर. इनको चाह हो रही है मेहतर बनने की, भंगी बनने की। उस समय उनको

(श्री भैरोंसिंह)

कहा जाय कि भंगी के साथ मेहतर के साथ भोजन कर लो तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। कोई जोशी है, कोई शुक्ला है, कोई परिहार है, कोई शर्मा है, इन सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, अपनी जाति का परिवर्तन किया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रगति की निशानी है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रगति की निशानी है जाति परिवर्तन करना इस तरह से ? आप इजाजत दें तो वृद्धिचन्दजी जिस जाति से सम्बन्धित हैं उसको वे परिवर्तन कर सकते हैं। न तो यह प्रगति की निशानी है और न अच्छे शासन की योग्यता की निशानी है। यह तो किस प्रकार से धोखा दिया जा सकता है यह है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार 22 विद्यार्थी हैं जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से गोदनामा लेकर एडमिशन लिया है उसको देखें और कार्यवाही करें। यदि ये धोखे से इस प्रकार एडमिशन न लेते तो 22 विद्यार्थियों को जिनको ईमानदारी से एडमिशन मिलना चाहिये था उनको मिल जाता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के नोलेज में आने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? उनके द्वारा रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने किस प्रकार की व्यवस्था की है ? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, हरिजनों के यहां एडाप्शन लेकर एडमिशन ले लिये गये हैं और उस कारण से उनको एडमिशन भी मिल गया है। जाति परिवर्तन कर लिया है एडमिशन के लिये तो देश की क्या हालत होगी यह नहीं कहा जा सकता। सरकार को शक्ति के साथ इस प्रकार की प्रवृति को रोकना चाहिये। रिजर्वेशन के साथ एज में भी रिलेक्सेशन कर दिया गया। पहले एज 21 वर्ष थी। उसे बाद में 22 वर्ष कर दिया। शुरू में जब मेडिकल कालेज में एडमिशन हुआ उस समय एज 21 वर्ष की थी। बाद में 22 वर्ष कर दिया। राजस्थान के जो छात्र 22 वर्ष के थे, एडमिशन के लिये एप्लीकेशन इन्वाइट करने के समय जो छात्र 22 वर्ष के थे, उस समय इसकी घोषणा कर दी जाती कि 22 वर्ष के छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं, तो वे दाखिला ले सकते थे। किन्तु वे वंचित रह सकें। एप्लीकेशन नहीं भेज सके। इसका आपने सख्ती से पालन नहीं किया 21 के ऊपर भी एडमिशन आपने दिया। इस नियम में परिवर्तन करने का क्या आधार था ? इसकी क्यों जरूरत पड़ी है ? ऐसा लगता है कि किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के वे पुत्र होंगे। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट जिनका क्रियेट होगा, उन लोगों ने कोई रास्ता न देखकर केवल एक ही रास्ता अख्तियार किया है एडमिशन कराने का। और इसके लिये 21 के स्थान पर 22 वर्ष की उम्र कर दी है। इस प्रकार कितने छात्रों के साथ आपने अन्याय किया ? समय पर आपने 21 से 22 कर दिया होता, समय पर घोषणा कर दी जाती तो वे विद्यार्थी जो 22 वर्ष के थे, एडमिशन फार्म भर कर भेज सकते थे। इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन किया है जो विद्यार्थी अवधि के समय एप्लीकेशन नहीं दे सके, बाद में एडजस्ट करके, इस तरह की छूट देकर उनका एडमिशन किया है, मैं मन्त्री महोदय से उन विद्यार्थियों के बारे में अवश्य जानना चाहूँगा। यह राजस्थान सरकार की नैतिकता है ? जिनका नियम के

(श्री भैरोंसिंह)

अनुसार एडमिशन नहीं हो सका उनको वह इस तरह की सहूलियतें देती है। यहां नियमों में परिवर्तन उन्हीं के लिये किया जाता है जिनका सरकार पर प्रभाव होता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सरकार को किन कारणों से, किन परिस्थितियों में यह करना पड़ा। जो लोग 21 से 22 वर्ष की उम्र कर देने के कारण एप्लीकेशन देने से महरूम रह गये, उनको एडजस्ट करने के लिये सरकार अब क्या कर रही है?

मैं सरकार से यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि मेडीकल कालेज को 700 में से 640 सीटें की जा रही है। 50 सीटें कम की हैं। इस कमी की पूर्ति के लिये राज्य सरकार भारत सरकार से मिलकर किस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है, इसकी ओर भी मन्त्री महोदय सदन को जानकारी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे उठाये गये है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो बातें यहाँ रख दी गई हैं, उनके संबंध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक-दो चीजें, जिनके बारे में मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा। इस रिजर्वेशन के सम्बन्ध में, जहां तक लड़कियों का इससे संबंध है, मैं उसका समर्थन करूंगा। चाहें तो और सीटें बढ़ा दें। लेकिन एम. एल. ए., एम. पीज. के लिये पांच सीटें रखी हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान में एक तरफ हम फैसला करते हैं कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी बनाने का, और दूसरी तरफ सोसाइटी बना रहे हैं, एम. एल. ए., एम. पी. की, पूंजीपति वर्ग और व्यापारी वर्ग की अलग सोसाइटी बन रही है। यह कोई जरूरी नहीं है कि एम. एल. ए., एम. पी. के लिये मेडीकल कालेज में रिजर्वेशन रक्खें। दूसरा रिजर्वेशन है डॉक्टरों के लड़कों के लिये। यह भी फालस है। अगर हम यह रखते हैं तो रिजर्वेशन की यह मांग बढ़ सकती है। जो आई. ए. एस. हैं, आई. पी. एस. ऑफिसर हैं, वे भी यह कहेंगे कि 10 प्रतिशत रिजर्वेशन हमारे लिये भी रखा जाये। इसलिये डॉक्टरों के लड़कों को ही रिजर्वेशन क्यों मिले? आर. ए. एस., आर. पी. एस. में जो हैं, वे भी मांग करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस विचार को वापिस ले लें। जहां तक शिड्यूल कास्ट्स का सवाल है, उनके लिये सीटों का रिजर्वेशन जरूर रक्खें, सदस्यों का ख्याल है कि नहीं बढ़ना चाहिये। यह सोचना गलत है। हजारों सालों से हमने इनको दबाया है। उनकी प्रगति के लिये हमें इन्तजार करना है। यदि हम उनको सहूलियतें नहीं देंगे तो वे आगे आने से वंचित रह जायेंगे। इसलिये हमें उनको सहूलियतें देनी होंगी अगर हम बढ़िया समाज का निर्माण करना चाहते हैं।

एम. एल. ए., एम. पीज, डॉक्टरों के लड़कों वाली रिजर्वेशन एक दम समाप्त कर देना चाहिये। दूसरे लोगों को मौका देना चाहिये। इसी प्रकार उम्र का सवाल है इसके कारण कई लड़के रह गये। उम्र बढ़ाने के कारण, किन किन लड़कों का दाखिला हुआ, सरकार उन सबके नाम बताये। उनकी वल्दियत भी बतावें।

(श्री रामकिशन)

तीसरी बात अपने आप में गंभीर है। बढ़िया है इस मायने में कि कुछ लोगों ने धोखा-देकर एडमिशन के लिये जाति परिवर्तन कर लिया है। ब्राह्मणों के लड़के हरिजन बन गये मेडिकल कालेज में भरती होने के लिये। वल्दियत बदल ली। यह खुशी की बात है। मुझे ज्यादा खुशी होती यदि कोई मेहतर से मेहता बनता। तब तो मैं समझता हिन्दुस्तान निश्चित तौर से आगे बढ़ रहा है। इसके लिये मैं जानकारी चाहूंगा कि किन-किन लड़कों ने केवल एडमिशन के लिये जाति परिवर्तन किया है, निश्चित तौर पर सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलावे। उनका एडमिशन रद्द कर दे। मेडिकल कालेज में एडमिशन लेने वाले अधिकतर सम्पन्न घराने के लड़के होते हैं। मेहता, कोठारी, भण्डारी अधिकतर सम्पन्न होते हैं। जिन लड़कों ने ऐसा किया है उनसे सरकार यह लिखावे कि वे अपने परिवार में कोई प्रोप्राइटरी हक नहीं रखते। उनका उस परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार यह भी देखे कि ये लड़के, शादी विवाह कहां करते हैं? हम उन्हें कम्पेल तो नहीं कर सकते कि वे उसी वर्ग में शादी करें। ब्राह्मण मेहतर की लड़की से शादी कर लेगा, यह संभव नहीं है। इसलिये सरकार इन लोगों की तरफ नजर रक्खे कि वे किस वर्ग में शादी करते हैं। हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था को बदलने के लिये महात्मा गांधी, बुद्ध आदि कई विचारों ने कार्य किया, किन्तु वे इसको नहीं बदल सके। जो काम वे विचारक नहीं कर सके, वह मेडिकल कालेज कर दे तो वह कमाल ही होगा। लेकिन दो व्यवस्था कर दी जायं। एक तो विवाह उनका उसी जाति में कर दिया जाय दूसरा उनको प्रॉपर्टी राइट्स छोड़ने को बाध्य किया जाय। ऐसे छात्रों की तस्दीक की जाय जिसने तस्दीक की है उन पर मुकदमा चलाया जाय और एक एक को 15–15 साल की सजा दे दी जाय और सीधा जेल भेज दिया जाय।

इस तरह की प्रवृत्ति चलती रही तो धीरे-धीरे वे लोग गोद होकर चले आयेंगे जिनके रिजर्वेशन हो रखा है उनकी कोशिशें नाकामयाब हो जायेंगी। केस चलाने से पहले हमें दो बातों और ध्यान देना एक तो उनकी शादी उसी जाति में की जाय जिस जाति के वे गोद आये हैं दूसरे उनके प्रॉपर्टी राइट्स को भी खत्म किया जाय। इसके अलावा ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जो शादीशुदा हों उनके लिये मैं यह तो नहीं कह सकता कि पहले वाली को छोड़ दिया जाय और दूसरा विवाह करें उनके लए भी कोई व्यवस्था हो सकती है....

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसके लिये भी बता दीजिये क्या किया जाय ?

श्री रामकिशन : आप सब ज्ञान हमारे से ही लेंगे तो आप अपनी बुद्धि का तो उपयोग करिये। आप में बुद्धि नहीं तो आप छोड़कर चले आइये और आपकी कुर्सी हमें दे दीजिये। आप से मेरा निवेदन यही है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

प्रि-मेडिकल टेस्ट में भी एक खतरा है प्रि-मेडिकल टेस्ट लिया जायगा तो मेरा यह निवेदन है कि आज जिस प्रकार की हवा हिन्दुस्तान में चल रही है उससे राजस्थान बचा हुआ हो यह बात नहीं है। यह टेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया तो आप जानते ही है बड़े परिवार वाले लोग जो इसी ताक

(श्री रामकिशन)
में रहते हैं कि कापियां कहां गई उसको मालूम करके वे परीक्षक के पास पहुंच जाते हैं। और उन पर दबाव डालकर और प्रलोभन देकर मार्क्स बढ़वा लेते हैं। इस बारे में हम यहां विचार नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालय एक छोटे से इलाके को रिप्रजेन्ट करता है छोटी आबादी वाले उससे ज्यादा लाभ उठा जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप अलग से बैठकर एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर आप इसमें कोई न कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सभापति महोदय, इससे समान न्याय प्राप्त हो सकता है। नम्बर बढ़ाने का जो खतरा है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है इस दृष्टि से विचार करें।

इसके अलावा, आपने जो पोलिटीकल अफसर्स के लिए पोलिटीशियन्स के लिए इतने स्थान रखे हैं। यह जो परम्परा चली है वह ठीक नहीं है मैं तो बढिया उस पद्धति को मानता हूँ जिसमें जो चाहे उस विषय को लेकर आगे पढ़ें। लेकिन आज जिस प्रकार की हालत है उसको देखते हुए सरकार उसमें इस समय सुधार नहीं कर सकती, न उससे यह आशा भी की जा सकती है। आज जिस प्रकार से फोर्जरी होती है उसको देखते हुए भी सरकार चुप बैठी है ! यह परिस्थिति कई दिनों से सरकार के सामने रही है। आप इस विषय में कुछ भी फैसला करें वह समय से पहले ही हो जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, आप लड़कियों के लिये जो रिजर्वेशन रखा है उसको बढ़ाइये। होना तो यह चाहिए हिन्दुस्तान में जो लाइट वर्क है जैसे शिक्षा, अस्पताल में डाक्टरी का यह लाइट वर्क है वह लड़कियों के लिए ही रख देना चाहिये। दूसरी तरफ सड़कें बनाना, बान्ध बनाना यह पुरुषों के लिये छोड़ देना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि लड़कियों के लिये सीटें बढ़ानी चाहिये और दोनों का समान कोटा कर देना चाहिए। हिन्दुस्तान में 50 प्रतिशत औरतों की पापूलेशन है उस हिसाब से पचास प्रतिशत स्थान लड़कियों के लिए होने चाहिए। वैसे भी औरतों में रोग ज्यादा होते हैं एक तो मानसिक दूसरा पुरुष के दबाव का रोग होता है।

आदिवासी और हरिजनों के लिए जो सीटें सुरक्षित हैं वे उन्हीं को देनी चाहिए और जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके बारे में कार्यवाही करने का सरकार आश्वासन देगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज में भर्ती के सम्बन्ध में जो अनियमितता हुई है उस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं।

आपने पोलिटिकल सफरर्स के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की हैं। इनमें सिलेक्शन के लिए काफी अनियमितता हुई है इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मेरे सामने चूरू जिले के एक ऐसे परिवार की शिकायत आयी है जिसको मेडिकल ऑथोरिटीज पोलिटिकल सफरर नहीं मानती है। आपके पास पोलिटिकल सफरर्स की डेफीनिशन नहीं है आप किसको मानते हैं यह आप पर छोड़ दिया गया है। इसके लिए रूल्स बनने चाहिये। उसके अन्दर सन्स, ग्रान्ड सन्स, डाटर्स और डाटर्स सन ये सभी उसमें आते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि

(श्री रामनारायण चोधरी)

उनके सन्स को आप पोलिटिकल सफरर्स की श्रेणी में नहीं मानते ।

चूरू जिले का यह परिवार जिसने अपनी चार पोढियां राजनीति में खपा दो है। इस परिवार ने बीकानेर स्टेट के अन्दर वहाँ के राजा शादूलसिंहजी का सामना किया था पचास पचास दिन तक हंगर स्ट्राइक किया था। उस समय किसी अन्य व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वह शादूलसिंहजी के सामने सर उठावे। आप यदि इस परिवार को भी पोलिटिकल सफरर्स नहीं मानते तो फिर आपकी क्या परिभाषा है भगवान ही जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डाक्टर्स के बच्चों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए, एम. एल. एज. और एम. पीज. के लिए रिजर्व कर दिये पोलिटिकल सफरर्स के लिए कर दिये, मिलिटरी परसोनल के लिए कर दिये अब ऐसा कौन सा वर्ग रह गया है जिसकी रिजर्वेशन बाकी है।

एक माननीय सदस्य : सर्वोदयी बच गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ 45 परसेन्ट तक का छात्र ले लिया जायगा। दूसरो तरफ 55 और 56 प्रतिशत वाला छात्र रह जाता है यह बुद्धिजीवी वर्ग के लिये क्या शोचनीय स्थिति नहीं है ? एक तरफ 45 परसेन्ट वाला आ जाता है दूसरी तरफ 55 और 58 प्रतिशत वाला रह जाता है। इस तरह से जो बेचारे गरीब लड़के हैं और 55 और 58 प्रतिशत के बीच के हैं उनको तो स्थान मिल ही नहीं सकेगा। यह एक ऐसी समस्या बनती जा रही है, गरीब लेबरर मिडिल क्लास के छात्रों के लिये रास्ता बन्द हो गया है जब कि इस क्लास का हमेशा ख्याल रखना चाहिये नहीं तो जो समाज में दबा हुआ तबका है वह दबा ही रहेगा।

आज एक नजरिया चल रहा है उसको देखकर आश्चर्य होता है। आज हम देखते है ऐसे लड़के जिनके एग्जामिनेशन मार्क्स में बड़ी भिन्नता रहती है प्रेक्टिकल और थियोरिटिकल में। ऐसे ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्रेक्टिकल में पचास में 48 तक दे दिये और थियोरी में जिनको 35 प्रतिशत से अधिक नहीं मिले हैं। ऐसे भी हैं जिनके थियोरी में 45 प्रतिशत से ज्यादा हैं लेकिन प्रेक्टिकल में जिनको 30 और 35 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलते। यह इसलिये होता है कि गरीब तबके के लोगों के पास एप्रोच के साधन नहीं हैं लेकिन बड़े लोग प्रोफेसर्स के पास एप्रोच रखते हैं और इस तरह से उनके लड़कों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते है। उनको ओब्लाइज कर सकें एन्टरटेन कर सकें। यह जो स्थिति बनती जा रही है ! मेरे पास उदाहरण हैं। फर्स्ट क्लास वाले को प्रेक्टिकल में 35 नम्बर दिये और अपने जान पहचान वालों को जो पहुँच कर पाये उनको पचास में से 48 नम्बर दिये जब कि वे सेकण्ड क्लास ही मार्क ले पाये दूसरे पेपर में।

तो आज हमारे विद्यार्थों को यह विश्वास होता जा रहा है कि जिनके हाथ में सत्ता है, जिनकी पहुँच है उन को सब कुछ मिल जाता है। एडमिशन मिल जाता है, डिविजन मिल जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं।

(श्री रामचारायण चौधरी)

आज मेडिकल मिनिस्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रह गया। वह क्या कर सकता है गवर्नमेन्ट ने पालिसी मुकर्रर की पर किस प्रकार का स्टैंडर्ड बनता जा रहा है यह हम सब आज जानते हैं। अब यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है। इसको अगर चैक नहीं किया तो विप्लव आ जावेगा। हो सकता है कुछ सीमा तक आर उसे थोड़े समय के लिये दबा दें। एग्जामिनर उठा दिये जावेंगे ऐसी स्थिति आ सकती है। मेडिकल मिनिस्टर साहब आप लेबर मिनिस्टर भी हैं लेबर में रहे हुए हैं आप लेबर क्लास के हैं गरीबों के हक कायम रहें इसकी चेष्टा करें। इन सारी अनियमितताओं को आप कठोरता से चैक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में ही कहा था कि राजनैतिक कारणों से तीन यूनिवर्सिटियां बनीं। अगर एक होती तो इस प्री-मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आप जोधपुर को जोधपुर युनिवर्सिटी के अण्डर में दे दीजिये और उदयपुर के मेडिकल कालेजों को उदयपुर यूनिवर्सिटी को दे दीजिये। वहां के लड़के वहां ही भरती हो जावें।

रिजर्वेशन के ज्यादातर सदस्य खिलाफ हैं। मैं भी हूं पर जब आपने इसे रख दिया तो मुझे ताज्जुब होता है कि इन कम्पाउन्डर और नर्सों ने क्या किया इनका भी रिजर्वेशन रखिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय जहां तक स्टेट का प्रश्न है यह होना चाहिये। नहीं होगा तो जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय के लड़के ही ज्यादा आवेंगे क्योंकि वे प्रथम श्रेणी में ही पास होते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के 100 कालेजों के लड़के नहीं आवेंगे। क्योंकि यहां प्रथम श्रेणी में बहुत कम आते हैं। सेकण्ड वाले ही ज्यादा हैं यह स्टेण्डर्ड यूनिवर्सिटी है। इसलिये यह प्री–मेडीकल टेस्ट तो होना ही चाहिये। और यहां के विश्वविद्यालय के मार्फत होना चाहिये। यह विश्वविद्यालय सारे हिन्दुस्तान में अपना स्थान रखता है।

सीटों के रिजर्वेशन के लिये कहता हूं। यह मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ है। प्रतिभा वाले लड़के आवें। आज विज्ञान डेवलप हो रहा है। आप पोलिटिकल सफरर के लिये सीट रखते है। मैं समझ नहीं सका। जिन्होंने आजादी के युद्ध में भाग लिया आज उनके घरों के बाहर कारें हैं। बसों के परमिट हैं, लाइसेन्स हैं औरतें सोने से पीली हो गई है बंगले खड़े हैं। फिर भी वे रिजर्वेशन चाहते हैं? कब तक रहेंगे इस तरह? महाराज साहब जयपुर का महल भी मिल जावेगा तब तक भी क्या वे यही करते रहेंगे। कितनी बुरी बात है। डाक्टर के लड़कों को रिजर्व सीट एम. एल. ए. को सर्वोदय वालों को? यह अन्धेर हो रहा है। जो प्रतिभावान हैं उनको आगे आने दीजिये। यह न सोचियेगा कि हरिजनों के यहां से नहीं आवेंगे। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ेगा अगर प्रतिभावान हुआ तो और अपनी प्रतिभा के बल पर चमकेगा। प्रतिभावान कहीं भी होगा, वह चमकेगा। और वही आगे जाकर मेडिकल विज्ञान का नाम रोशन करेगा, इस तरह रिजर्वेशन के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
बल पर आने वाले इस मेडीकल विज्ञान के लिये भी कलंक साबित होंगे। इसलिये इसमें किसी के लिये भी रिजर्वेशन आप न रखें। महिलाओं की बात मैं इसलिये छोड़ देता हूँ, हालांकि छोड़ना नहीं चाहिये, कोई भी लड़का लड़के के मुकाबले कम नहीं है। वे तो अच्छा डिविज़न लाती हैं, कि अभी इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिये रिजर्वेशन के मामले को कतई समाप्त करिये। प्रतिभा को अपने आप आगे बढ़ने दीजिये। इसका रास्ता न रोकिये।

दूसरी बात निवेदन करता हूँ। आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं तीन तीन विश्वविद्यालय खोले, पांच पांच मेडिकल कालेज खोले। इतने इन्जीनियरिंग कालेज खोले। फिर भी एस. टी. सी. बर्लिन के पतन की तरह धराशायी होते जा रहे हैं। आज उनका केरेक्टर क्या बन कर रह हैं गया है। उनके गुरु जिस तरह रहते हैं। शाम को शराब पीते हैं। उन कालेजों से पढ़ कर निकलेंगे तो वे शेम्पेन की बोतल अपनी जेब में रख कर निकलेंगे अपने बैग में लेकर चलेंगे। आज केरेक्टर का यह हाल है। आप केरेक्टर पर ध्यान नहीं देते। जब शेम्पेन की बोतल 150) रुपये में मिलती है तो रुपया वे लावेंगे कहां से इसके लिये क्या करेंगे। उनकी सूई होगी पादर्मा के बदन में और तब उसे उससे पैसा मांगेंगे। आज इतना पवित्र प्रोफेशन पैसे पर बिक रहा है। यहां लोगों को चिताओं से हाथ सेके जा रहे हैं। इसलिए कृपा करके अच्छे अच्छे प्रतिभावान गुरु हो जिनका चारित्र आदर्श बने अपने विद्यार्थियों के लिए उन्हीं को गुरु लगायें। आप लड़कों की संख्या का भी मोह मत करिये कि कितने रहते हैं कितने नहीं। सही प्रतिभावान को आगे जाने दीजिए जितने भी आवें। रिजर्वेशन, पर, यह समाप्त करिये बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिभावान छात्र आवें। साइन्स डवलप हो रहा है, उनके अनुरूप बनाएं आप इनको, यह आपको करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्री–मेडिकल टेस्ट के पीछे भूमिका है। जब से हायर एजूकेशन और टेक्निकल एजूकेशन के बारे में लोगों के अन्दर एक इन्क्लीनेशन पैदा हुआ अधिक लड़के इधर आने लगे और इनमें अधिकांश लड़के जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय के आये। इस तरह से हायर एजूकेशन में एक तरह की मोनोपोली क्रीएट हो गई।

अगर इन विश्वविद्यालयों का स्टैण्डर्ड ऊंचा होता तो कोई हर्ज नहीं था। पर आज जयपुर का स्टेण्डर्ड जोधपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालयों से दोनों से बहुत काफी ऊंचा है। अगर देश के एजूकेशन वर्ल्ड में जावें तो भी जयपुर वि. वि. की तो जरूर इज्जत है। पर उदयपुर जोधपुर की नहीं है। इसके कारण समस्या खड़ी हो गई है और इसने ही इस प्री-मेडीकल टेस्ट को जन्म दिया है।

उदयपुर मेडिकल में तो स्टूडेण्ट्स फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. को इम्प्रूव करने आते हैं वह चाहे फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. जयपुर से किया हो या गंगानगर से। इम्प्रूवमेन्ट को लेकर वहां जाते है। एक साल यहां खराब किया। मेरे पास लिस्ट है ऐसे लड़कों की

(श्री केदारनाथ)

जो 80 पर्सेन्ट गंगानगर से लेकर आये हैं यहां हालांकि परसेन्टेज के लिहाज से गंगानगर ऊंचा है। वहां वे एक साल में 60 पर्सेन्ट ले आये। एक साल में इन्टेलीजेन्स में इतना फर्क पड़ जावे यह इम्पोसिबल है। इसलिये प्री–मेडिकल टेस्ट की डिमाण्ड जिनुआइन है।

अगर मोनोपोली को खत्म करना चाहते हैं तो यह टेस्ट होना ही चाहिये सेक्शनल मार्क्स की बात मैं नहीं कहना चाहता था। हरेक लेक्चरार उदयपुर में इतना चीप है कि माल्टा की पेटी से नम्बर इन्क्रीज कर देता है। इतना लो स्टेण्डर्ड हो गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री केदारनाथ : भ्रष्टाचार का आपने ठेका ले लिया है। हर बात में आप बीच में दखल देते हैं। और आप पर कोई रोक नहीं। स्टेण्डर्ड कैसे टेस्ट कर देवेंगे ?

सरकार में विश्वास नहीं, युनिवर्सिटी में विश्वास नहीं, आथोरिटीज में विश्वास नहीं इसलिये अच्छा होगा आईन्दा 5 साल के लिए युनिवर्सिटी के जितने पेपर्स हों बाहर भेजे वे ही इसको कन्डक्ट करें। बाहर पेपर्स के जो रिजल्ट्स निकाले जाय, उनको ही माना जाय। अगर इस तरह 5 साल तक रेस्टोर करें तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि केलीबर के लिहाज से मेडीकल कालेज में एडमीशन होता है। इसमें सरकार कुछ भी नीति रखे चाहे मिनिमम नम्बरों की रखें, चाहे ऐज की रखें, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि यह एक सरकार की नीति सम्बन्धी सवाल है आईन्दा 5 साल में कितने डाक्टर्स चाहिये, कितने इंजीनियर्स चाहिये, कितना रिजर्वेशन करेंगे इसका प्लानिंग ठीक होना चाहिये। लड़कियों के बारे में रिजर्वेशन हो, यह ठीक है, शिड्यूल कास्ट के बारे में रिजर्वेशन होना चाहिये बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये एक लड़का है, ओम प्रकाश गंगानगर का रहने वाला है उसने 66 पर्सेन्ट मार्क्स ओबटेन किये हैं। लड़का अच्छी इन्टेलिजेन्सी रखता है उसको एडमिशन नहीं दिया गया। अब इसका मुआवजा कौन देगा, मंत्री महोदय देंगे या सरकार देगी। आपने मेडीकल कौन्सिल से राय ली एज 21 से 22 कर दी जाय। अब जो लोग एडमिशन नहीं ले सके हैं, उनका क्या होगा। मैं समझता हूं ऐसे स्टूडेन्ट्स जिनकी एज 22 साल है और जिनके 66 पर्सेन्ट मार्क्स हैं उनको आईन्दा एडमिशन दे दीजिये नहीं तो यह आपका अन्याय है। अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि मेडीकल टैस्ट होता इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये कि स्टेन्डर्ड बजाय बढ़ने के डिटिरियोरेट हो रहा है। उसमें पक्षपात हुआ है उसमें बहुत गिरावट आई है। मेरे दोस्तों ने निवेदन किया है सर्टिफिकेट के बारे में बोर्न राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट देते हैं। मैं समझता हूं जो यहां प्राईमरी पास करें, मिडिल पास करें वह राजस्थानी माना जाना चाहिये और कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिये। माननीय इतना लम्बा डयूरेशन कि एक सितम्बर तक कोई टैस्ट के रिजल्ट नहीं निकले। पंजाब में 7 दिन में सर्टिफिकेट दे देते हैं। पंजाब में मान्यवर जो प्राईमरी पास कर लेता है, मिडिल पास कर लेता है वह एलीजिबिल है चाहे उसके पास मरबन

(श्री केदारनाथ)

प्रापर्टी हो और चाहे रूरल प्रापर्टी हो। वहां दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया एक है कि वह लड़का वहां पढ़ा हो, वहां पैदा हुआ हो वहां का रहने वाला हो और वहां रहेगा। मैं समझता हूं ऐसी ही कोई फिक्स नीति राजस्थान सरकार कायम करेगी। मैं समझता हूं शिक्षा मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र जी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेडिकल कालेज के प्रवेश के सम्बन्ध के प्रश्न को लेकर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेडीकल कालेज या मेडीकल कालेजेज में प्रवेश और जोधपुर के इंजीनियरिंग कालेज के प्रवेश के सम्बन्ध में जब कभी 4–5 साल पहले सिफारिश की बात आती थी तो हम यही कहा करते थे कि प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है, सिफारिश की कोई गुंजाईश नहीं है और नियमानुसार ही प्रवेश होगा लेकिन पिछले 4–5 सालों में मंत्री स्तर पर, सरकारी स्तर पर निरन्तर हस्तक्षेप के कारण प्रति वर्ष तरह तरह के निर्णय समय समय पर लिये जाने के कारण इन मेडीकल कालेजेज के प्रवेश के सम्बन्ध में जितनी अव्यवस्थाएं हुई है उतनी मैं समझता हूं पिछले 4–5 सालों में नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सरकार 5 मेडीकल कालेजेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की समस्या हम किसी योजना के अनुसार निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों उसमें रोज परिवर्तन करना आवश्यक है? क्यों प्रभावी लोगों के प्रभाव में या दबाव में आकर उसमें निरन्तर वृद्धि करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को शायद सुनकर ताज्जुब होगा कि 64 तक राजस्थान में तीन मेडीकल कालेज थे उसमें 500 की निर्धारित संख्या थी। 65 में अजमेर और जोधपुर में मेडीकल कालेज खुले उस समय यह संख्या 610 हो गई और यह 65–66 तक रही। 67 में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि राजस्थान सरकार ने इस संख्या को 490 कर दिया। दुबारा प्रेसर आया और मामला विधान सभा में उठाया गया और समाचार पत्रों में समाचार निकलने लगे, प्रभावी लोगों ने समाचार छापे मंत्री महोदयों को दबाया और यह संख्या 490 से 550 तक पहुंच गई। उपाध्यक्ष महोदय यह संख्या बढ़ती गई और इस वर्ष जो प्रवेश की पोजीशन है राजस्थान सरकार की उसके अन्तर्गत यह संख्या 650 तक आ गई और फिर इस वर्ष समाचार पत्रों में समाचार आये कि यह संख्या 650 से घटकर 400 कर दी गई है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान 10 जुलाई सन् 1968 के हिन्दुस्तान टाईम्स के अखबार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें जो समाचार प्रकट हुआ है वह मैं पढ़ देता हूं—

"The number of seats in Rajasthan Medical Colleges has been reduced from 653 to 400."

यह आप आये दिन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं आपने बाजार खोल रखा है घड़ी लगा रखी है या ठेला चलाते हैं जो कभी 500 से 600 कर देते हैं फिर 400 कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्यों ये समाचार छपते हैं। कौन से कारण से घटाई गई है, कम करने का निर्णय क्यों लिया ? मैं सीट बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन राजस्थान की सरकार आये दिन बढ़ाती है फिर घटाती है फिर बढ़ाती है और फिर घटाती है यह क्या मखौल कर रखा है उपाध्यक्ष महोदय यह समझ में नहीं आता, मर्जी आती है बढ़ा देते है मर्जी आती है या दबाव आता है वैसा ही कर देते है।

उपाध्यक्ष महोदय पुराने जमाने में हमीं सुना करते थे कि हाकिम चले जाते थे किन्तु उनका हुकुम रहता था और आज इस सरकार में उल्टा हो रहा है हुकुम बदल जाते हैं और हाकिम वही रहता है। यह क्या बात है ? और अब उपाध्यक्ष महोदय सीटों की संख्या बढ़ा दो। प्रारम्भ में 500 सीटें हुई फिर 400 कर दीं और 400 सीटें निर्धारित कीं तो उपाध्यक्ष महोदय 400 के बजाय 500 कर दीं और 600 में 10 पर्सेन्ट रिजर्वेशन वह हो गई 60 और 108 रिजर्व कर दी लड़कियों के लिये इस तरह 432 हो गई लड़कों के लिये। कुल मिलाकर 432 लड़कों की 108 लड़कियों की 60 रिजर्व इस तरह कुल 600 हो गई 40 सीटें और बढ़ा दीं। ये तो उपाध्यक्ष महोदय रबड़ की तरह बढ़ते जाते हैं। मेडीकल कालेज हमारे पास 5 हैं। 650 से 400 और 400 से वापिस 650 यह सांप सिढ़ी का खिलौना बना हुआ है। सांप छछूंदर का खेल है। 40 सीधे 100 पर गये और फिर सांप ने खा लिया तो वापिस चलो 40 पर। कभी चढ़ना और कभी उतारना यह तो एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ। यह सही प्रशासन का प्लान नहीं है। राज्य स्तर पर यह जो हकीकतें करते हैं यह निंदनीय हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं 1968 में प्रवेश की लास्ट डेट रखी 25-6-68 एप्लीकेशन मेंडीकल कालेज में इन्वाइट करने की। 25-6-68 तक जिनके प्रार्थना-पत्र आयेंगे उनको ही एडमिशन दिया जायगा बाकियों को नहीं। अब 25-6-68 को ही राजस्थान की केबीनेट डिसिजन लेती है, उसी दिन यह निर्णय लेती है जिस दिन इसकी लास्ट डेट थी कि मेडीकल कालेज में प्रवेश के लिये प्री मेडीकल टैस्ट होगा। राजस्थान विधान सभा सत्र अप्रेल में समाप्त हुआ था उस समय तक कोई बात नहीं और राजस्थान की सरकार तीन महीने तक सोती रहे। आपने 25 तारीख से पहले फैसला क्यों नहीं लिया—यह सब आप की ढकोसला बाजी है। विधान सभा में प्रवेश के प्रश्न को लेकर झगड़ा नहीं हो सीलिये जिस दिन लास्ट डेट थी उसी दिन यह निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, और यह गजट नोटिफिकेशन 5 दिन बाद हुआ। 5 दिन गजट नोटिफिकेशन निकालने के बाद 30 तारीख निकल गई। इसके बाद सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट मे रिट हुई और फिर सरकार का जबाब पेश नहीं हुआ। राजस्थान की सरकार ने सारे प्रिवीयस आर्डर्स केन्सिल कर दिये और जैसा प्रोस्पेक्टस में व्यवस्था थी से प्रवेश दिया जाय—इस प्रकार से कह दिया।

मैं उस स्टे के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जो भी हुआ वह अलग चीज है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे मसले के सम्बन्ध में जब विधान सभा में बहस हो चुकी थी और उस समय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के स्वास्थ्य मंत्री श्री दामोदरलालजी व्यास ने घोषणा की थी जोधपुर और उदयपुर में जो मार्किंग्स में गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था लागू करेंगे। आपने इस सम्बन्ध में क्यों नहीं अभी तक निर्णय लिया ? प्रास्पेक्टस में संशोधन क्यों नहीं किया और आपने लास्ट डे ऐसा निर्णय क्यों लिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं यह और कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ है आपने फिर एज बढ़ा दी है और फिर लोग रिट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने 432 सीटें जो जनरल बायज की सीटें हैं इसके लिए जैसी पहले परम्परा थी कि 500 से ऊपर लड़कों को इन्टरव्यू के लिए बुला लिया और उसमें से 432 ले लिए और जो इन्टरव्यूज में नहीं आये उनके नाम काट दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि 432 की लिस्ट में जो 80 लड़के इन्टरव्यू में नहीं आये और आपके नियमानुसार नोटिस देना जरूरी नहीं था तो 432 की सिरियल लिस्ट बनी तो फिर दुबारा आपने इन्टरव्यू के लिए क्यों काल किया ? आपने 432 के बाद लिस्ट बढ़ाई ऐसा क्यों। फर्स्ट 432 में जो आर्डर आफ मेरिट्स तय किया है क्या आपने इन्टरव्यू फिक्स पहले किया था उसमें क्या किया था, उनका सलेक्शन हो गया था ? क्या दुबारा इन्टरव्यू लिया गया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

432 से आगे आपको लेने चाहिए थे वह नहीं लिए। इस सम्बन्ध में और कहना चाहूंगा। उसके बाद में आपने अभी कुछ सीटें बढ़ाईं 40 और यह 40 सीटें जनरल बढ़ाई हैं या रिजर्वेशन की बढ़ाई हैं, इसका पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सीटों का निर्धारण कोई व्यक्ति विशेष के आधार पर आप करते हैं। कोई लड़का एडमीशन में रह गया उसको एकोमोडेट करने के लिए करते हैं। चाहे वह लड़का मंत्री का हो, किया हो, किया पालीटिकल सफरर का हो चाहे भूतपूर्व कांग्रेस नेता का हो किसी का भी लड़का रह जाये, किसी का रिश्तेदार रह जाये उनको देखकर आप नम्बर बढ़ाते हैं और एडमीशन के बारे में कन्सीडरेशन रखते हैं और राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है। राजस्थान में मेडीकल कालेज में एडमीशन के सिलसिले में जो हिन्दुस्तान में तारीफ होती थी इस प्रकार की कार्यवाहियों से कालेज के अधिकारी और यहां की व्यवस्था से धक्का पहुंचता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सारे सिलसिले में आप हस्तक्षेप कम कीजिए और उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक बात के लिए एप्रोशियेट करेंगे कि बड़ी भारी डिफिकल्टी है जिसके लिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं 7 अगस्त यूनीवर्सिटी के हिसाब से लास्ट डेट है और उसके बाद में किसी भी लड़के का किसी भी कालेज में एडमिशन नहीं हो सकता। अब 7 अगस्त के बाद में आपने एडमिशन्स किये हैं मैं पूछना चाहता हूं कि जो लड़के एडमिशन में रह गये उनको एडमीशन कहां मिलेगा आपने राजस्थान की यूनीवर्सिटी से बात की जिनको मेडिकल कालेज में आपकी बदइन्तजामी के कारण लड़कों को इतनी मुसीबतें भुगतनी पड़ीं 7 अगस्त तक इन्टरव्यू नहीं लिए और आप लड़कों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लड़कों का भाग्य अधरझूल में है। महाराजा कालेज में भी इसी भरोसे पर लड़कों ने

(श्री सतीचन्द्र अग्रवाल)

एप्लाई कर दिया। अब 7 तारीख तक एडमिशन्स नहीं हुए और उसके बाद में किसी लडके का महाराजा कालेज में नम्बर आ गया तो वह निश्चय नहीं कर पाता कि महाराजा कालेज में जाये या कहां जाये। यदि लडके ने महाराजा कालेज में एडमीशन ले लिया और फीस भर दी और उसके बाद में उसका एडमीशन मेडिकल कालेज में हो गया तो वहां की फीस बेकार गई इसकी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। इसलिए 7 अगस्त के बाद, यूनीवर्सिटी एडमीशन्स क्लोज होने के बाद या तो आपको इन्टरव्यू उसके पहले समाप्त होने चाहिये और नहीं हो सकें तो इस प्रकार कि गलती से जो लड़के गये हैं और जिन्हे कहीं भी एडमीशन नहीं मिल सका उनके संबंध में आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इंग्लिश, हिन्दी और जनरल साइन्स का तो आप प्री मेडीकल में टेस्ट लेने वाले थे तो नार्मल कोर्स में जाने एडमीशन होते हैं तो मार्किग्स के बारे में विचार किया जाता है। इस पर भी फिर गंभीरता से विचार करें कि एडमीशन के लिए मेहता से मेहतर हो गए। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि ऐसे 22 लड़कों की सूची–सदन की मेज पर रखी जाये, पालीटीकल सफरर, एम. एल.ए., एम.पी. की कोटा के लिये गये हैं उनकी भी सूची रखी जाये और जो रिजर्वेशन कोटा में आये हैं उनकी भी सूची सदन की मेज पर रखी जाये जिससे हम लोग विचार कर सकें। इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय केवल इतना ही कहता हुआ कि जो आपने 22 की संख्या बताई है उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये और उसमें कौन कौन आते हैं और आगे आने वाले समय के लिए निश्चित नीति राज्य सरकार निर्धारित करे! प्रिन्सिपल से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें और केवल यहां पर खड़े होकर अपने ज्ञान के आधार पर नहीं करें। डाइरेक्टर को काम्फीडेन्स में लीजीए और, सब को कान्फीडेन्स में लेकर फिर किसी निश्चित नीति का निर्धारण करें इतना कहते हुए कि यह सब सूचियां सदन की मेज पर रखें मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय, मंत्री महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के बहुत से माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा ले लिया है।

श्री श्रवणलाल : मैं ज्यादा समय नहीं लूगां। संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो बातें अभी तक नहीं आई हैं वह आप बताना चाहें तो बता दें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.) : मैं वही कहूंगा जो अब तक नहीं आई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं कुछ अपने शब्द अपने द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा और उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा कि जहां तक हमारे रिजर्वेशन सवाल है, जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है और जैसा कि मैंने समाज कल्याण विभाग को डिबेट के समय भी एक

(श्री श्रवणलाल)

लिस्ट सदन की मेज पर रखी थी और मैंने यह चार्ज लगाया था जिसका भार हमारे मंत्री महोदय के ऊपर है और उन्होंने इस बात के लिए बढ़ावा दिया है। इस बात को भी मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह मसला आज का नहीं है। 22 लड़कों को मेडीकल कालेज में लेकर जो हरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है उसमें मंत्री महोदय की साजिश है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गत साल इस बात के लिए मंत्री के द्वारा लिखित रूप में दिया जा चुका था कि मेडीकल कालेज जोधपुर के अन्दर इस प्रकार से वकीलों के लड़कों को जिनके नाम मैंने बताये थे उन्होंने गलत रूप से एडमीशन लिये हैं लेकिन उसके लिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया और उसका नतीजा यह भुगतना पड रहा है। उस साल एक ने लिया था और आज 22 तक संख्या पहुंच गयी है। आज 22 हरिजन, शिडयूल्ड कास्ट के लडके जाने चाहिए थे वह महरूम रह गये। वह किस की गलती से ? हमारे माननीय मंत्री महोदय की गलती से। वह इस साल की गलती से नहीं पिछली साल की गलती से। मैं तो आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती गई और कानूनी दण्ड इसके लिए नहीं दिया गया तो वह समय आयेगा जब हर मेडीकल कालेज में नहीं आने वाला लडका इस तरह से एडमीशन ले लेगा और उसका नतीजा हमको भोगना पड़ रहा है। यह नतीजा हमारा जो साढ़े 12 परसेन्ट एल. डी. सी. और यू. डी. सी की नियुक्ति के सम्बन्ध में है इसमें होने वाला है। एक जाति से दूसरी जाति में जाने की दृष्टि से वह नौकरियों पर पहुचेंगे और हमारा कोटा जो आपके द्वारा स्वीकृत है और जिसकी आपने हमको मान्यता दी है उससे वह लड़के जो कि शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के आने वाले हैं वह इससे महरूम रह जायेंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आपने जो पहले गलती की थी उसका नतीजा आज हमको भोगना पड रहा है इसलिए आप दुबारा गलती नहीं करें और ऐसा करने पर अधिक से अधिक दण्ड दें। और जो ऐसे लडके लिए गये हैं उनको हटा कर उनके एडमीशन किये जायें चाहे वह लडके 51 परसेन्ट के हों या 50 परसेन्ट के हों, चाहे कुछ भी हो उनको उनके स्थान पर लेकर शिकायत का समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह है कि कोई भी प्रश्न होता है या कोई भी मुद्दा होता है तो राज्य सरकार उस मामले में रोज लडखडा जाती है। राज्य सरकार का कोई भी निर्णय होता है वह निर्णय सुविचारित तरीके से नहीं होता है। अच्छी तरह से सोच विचार करके निश्चित करके उसमें स्थिरता और निश्चितता क्यों नहीं हासिल करती है ? इसलिए राज्य सरकार को कोई भी निर्णय करने से पहले उस निर्णय के लिए विशेषज्ञों से सलाह करके अच्छी तरह से सब दृष्टियों से विचार करके उस पर निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय पर आगामी सेशन तक अटल रहना चाहिये और उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

(3.42 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(श्री दौलतराम सारण)

यदि परिवर्तन किया जाय तो उस समय किया जाना चाहिए जिस समय कि आने वाले सेशन के बीच में काफी समय हो ताकि लोगों को सारी तैयारी करने का समय मिल सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु की पाबन्दी रखी गई है यह मेरी समझ के बाहर की बात है। क्यों निम्नतम आयु की पाबन्दी रखी जाय? इसको आयु इतनी कम है तो प्रवेश निषिद्ध हो गया। अगर पढने वाला पढना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए कोई ज्यादा उम्र तक पढना चाहता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों? यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर वह कम्पीटिशन में ठहर सकता है तो उनको प्रवेश मिलना चाहिए। उम्र का हिसाब उसमें नहीं आना चाहिए। यह मेरी समझ से सुझाव देना चाहता हूं।

तीसरा मुद्दा है कि आपने रिजर्वेशन रखी है और जो लिस्ट रखी है यह बिल्कुल वाहियात और बिल्कुल गैर-वाजिब है। इसमें उन वर्गों ने रिजर्वेशन हासिल करने की चेष्टा की है जो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग है। यह मेरी समझ में आ सकता है अल्प आय वाले वर्ग को संरक्षण दें, पिछड़े वर्ग को संरक्षण दें लेकिन एम. एल. ए. और एम. पी. को संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि एम. एल. एज. में से कोई भी अपने बच्चों के लिये कोई संरक्षण नहीं चाहता है। अगर उसमें प्रतिभा होगी तो खुले कम्पीटिशन में जाकर प्रवेश प्राप्त करेगा। प्रतिभा नहीं होगी तो रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। हम साधारण नागरिक के साथ रहना चाहते हैं। हम स्पेशल क्लास का नहीं बनना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन किया है यह सारा किन्हीं विशिष्ठ लोगों के लिये किया है। यह रिजर्वेशन केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये होना चाहिए। उसमें भी अल्प आय वालों के हिसाब से होना चाहिये, जाति के हिसाब से रिजर्वेशन रखना गलत है। आज एक अनुसूचित जाति का आदमी करोडपति या लखपति है उसके बेटे को रिजर्वेशन के बेसिस पर प्रवेश मिलता है तो वह गैर-वाजिब होगा। अल्प आय के आधार पर, साधनहीनता के आधार पर शासन को उनको मदद देना चाहिये। समाजवाद की दृष्टि से यह आवश्यक है ताकि वे लोग समाज में कम्पीटिशन में टिक सकें। इसलिए सरकार को संरक्षण देना होगा न कि इसलिए कि वह स्पेशल जाति का है या किसी विशेष वर्ग का है या किसी विशेष पेशे का है। इस तरह का संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। यह संरक्षण प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि संरक्षण प्रक्रिया को बन्द करें। इससे लोगों में फूट और कलह पैदा न करें। इससे वर्ग विशेष पैदा होता है। इससे समाज में फूट को बढावा मिलता है। इसलिये इसको रद्द करेंगे। उम्र के प्रावधान को भी विशेषज्ञों की राय लेकर हटायेंगे। न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा वाला प्रावधान मेरी समझ के बाहर की बात है। अगर किसी में प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका

(श्री दौलतराम सारण)

मिलना चाहिये। जब शंकराचार्य 36 वर्ष की उम्र में ही सारे विश्व को अपूर्व ज्ञान दे सकते हैं तो क्यों हम क्यों पाबन्द करें कि अमुक आयु में ही कोई आदमी ज्ञान देने के योग्य है। यह सारी बात सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे ज्ञानी तो तब पैदा हुए थे जब कांग्रेस का राज्य नहीं था।

श्री दौलतराम सारण : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन मुद्दों पर विचार करें और बहुत सी खामियां बताई गई हैं उन पर गौर करें और उनको रिपीट न करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदया, अभी जो ज्ञानवर्धक भाषण हमको सुनने को मिला है, और जैसा कि अभी कहा गया है कि किस प्रकार से राज्य सरकार के विचारों में परिवर्तन होता रहा है और सरकार जो है रोज रोज अपने फैसलों को बदलती है—आज कुछ करती है, कल कुछ करती है और परसों कुछ कर देती है, तो यह परिवर्तन केवल राज्य सरकार के विचारों में ही नहीं होता रहा है, बल्कि जो माननीय सदस्य अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे उनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया है। वे कल तक हमारे साथ थे और आज किस तरफ चले गये हैं और कल किस तरफ चले जायेंगे यह मालूम नहीं· · ·

श्री दौलतराम सारण : तुम्हारे भ्रष्टाचार, पक्षपात, ज्यादतियों और गैर–जिम्मेदारी की वजह से कांग्रेस को छोड़कर आया हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह विचार हमेशा परिवर्तनशील है। जहां तक आज का जो प्रश्न है यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको असलियत में सोचना पड़ेगा। यह इस प्रकार का प्रश्न नहीं है ए. बी. सी. पढने का कि आपने कह दिया कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर दो। यह बहुत गम्भीरता से सोचने का प्रश्न है। जैसा कि कहा गया है कि शंकराचार्य ने 34 वर्ष की आयु में ही सारी दुनियां की विद्या का अध्ययन कर लिया था तो शंकराचार्य जैसे महापुरुष तो एक ही सकता है और आप जैसे और मेरे जैसे करोड़ों व्यक्ति यहां फिरते रहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनरी आदमी शंकराचार्य नहीं हो सकता है· · ·

श्री दौलतराम सारण : आपके ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे ज्ञान की आप क्या प्रशंसा करेंगे? आपने जिस प्रकार की बात यहां कही, मैं कतई उसको नहीं मानने वाला हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा और आपने नमूना पेश कर दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सभापति महोदया, आज जो प्रश्न हमारे सामने है उस पर हम गम्भीरता से विचार न करें और केवल राजनैतिक तौर तरीकों से सोच कर यहां कुछ कह देते हैं तो उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। हमें राजस्थान के हित में विचार करना पड़ेगा।

जैसा कि अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि पहले 640 सीटें थीं तो 650 कर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
दीं फिर 400 कर दीं, फिर 500 कर दीं, 700 कर दीं, तो ये सब बातें निर्भर करती हैं लड़कों की संख्या के ऊपर कि कितने लड़के मेडिकल कालेज में दाखिल होना चाहते हैं। मेडिकल कालेज में अगर बहुत ज्यादा तादाद में लड़के दाखिल होना चाहते हैं तो उनकी संख्या उनके मार्क्स के आधार पर जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट निर्धारित कर देता है कि 50 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट या 68 पर्सेन्ट जो तय कर देते हैं तो उसके ऊपर के सारे लड़के आ जाते हैं सीट के अनुपात से। उसी दृष्टिकोण से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ऐसे नहीं होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी बात और है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लड़के कैसे लिये जाते हैं पता है क्या आपको ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मार्क्स के हिसाब से होता है। सबसे ज्यादा जिसके नम्बर हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है। उसके पहले मार्क्स तय कर दिये जाते हैं कि 58 पर्सेन्ट या 60 पर्सेन्ट वालों को लेना चाहिए। नम्बर तय कर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नम्बर तय नहीं होते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक पहुँचते हैं आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से करते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप अपने आप को ही ज्यादा समझदार समझते हैं। आपकी और मेरी क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का फर्क नहीं है

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेकार डिसकशन्स क्यों करते हैं। प्रिन्सीपल्स पर आप बोलिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अभी यह सुन लें उसके बाद दूसरी बात कहूँगा। मैंने निवेदन किया कि आपने जो फर्माया कि यह फर्क क्यों आता है तो यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी पर आधारित है आप कहें कि आपने एम. एल. ए. और एम. पी. के लड़कों के लिए क्यों तय किया है तो आप अपने घर में तो पूछ लें कि वे कौन से एम. एल. ए. हैं जिनके लड़के का दाखला हुआ है। पहले आप अपने घर में निगाह कर लें तो फर्क मालूम पड़ जायगा कि कौन से एम. एल. ए. ने इसके सम्बन्ध में कोशिश की है . . .

श्री दौलतराम सारण : नाम बताइये। नीति और सिद्धान्त की बात होनी चाहिए। आप कहने में काम करते हैं। आपकी कोई नीति आपके कोई सिद्धान्त नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी पार्टी के आदमी कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप सब एम. एल. ए. की तरफ से कह सकते हैं कि एम. एल. ए. कोई इस प्रकार की बात नहीं करना चाहता है। दूसरी पार्टी के एम. एल. ए. खुद करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर महोदय खड़े होकर कह दें। हमारी पार्टी का कोई एम. एल. ए. नहीं है इस प्रकार का।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कांच के महल में बैठकर आप दूसरों पर पत्थर नहीं फेकें जबरदस्ती नाम लिवाना चाहते हैं तो नाम भी ले सकता हूं।

श्री रामकिशन : हमारी पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ को तो शादी ही नहीं हुई है इसलिए बच्चों का सवाल नहीं है। कुछ एम. एल. एज. हैं मेरे जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं क्योंकि हमने शादी देर से की है तो उनका सवाल ही नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप तो हरदम मसखरी करते हैं।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधारी लालजी, शीशे के महल में रह कर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आप एम. एल. एज. की बात करते हैं यह सारा आपके मंत्रियों के लड़कों के लिए किया गया है। मन्त्रियों के लड़कों को एडमिशन दिलाना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह कह कर रहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्री महोदय, खड़े होकर कहें कि एम. एल. ए. ने रिजर्वेशन के लिये कहा था। यह एम. एल. एज. के लिये नहीं बना है, यह इन चालीस चोरों के लिये बना है। यह मिनिस्टर्स के लड़कों के लिये बना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं मानता हूं कि एम. एल. एज. और एम. पीज. को संरक्षण नहीं मिलना चाहिये। मेरिट के हिसाब से आप दीजिये इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन जहां आप संरक्षण देने की बात करते हैं, तो जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, और न ही पोलीटिकल सफरर्स के लिए कोई ऐतराज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट के जज पोलीटिकल सफरर होते हैं क्या हाई कोर्ट के जज हो गये और फिर भी पोलीटिकल सफरर की हैसियत से एडमिशन चाहते हैं। आपको रूल्स और रेग्युलेशन्स में तब्दीली करनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : देखिये सतीश चन्द्र जी, आप मुझे अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते। मैं अपनी बात कहूंगा और जरूर कहूंगा। मैं जो कहता हूं वह सोलह आने सत्य कहता हूं, उसमें अगर रत्ती भर की भी गलती हो तो आप कहिये।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर रिजर्वेशन रखनी है तो आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिये। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अगर रिजर्वेशन आप और भी बढ़ायें तो हमें एतराज नहीं होगा। समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिये।

श्री रामकिशन : बड़े बड़े आदमी भी शिडुल्ड कास्ट में आते हैं क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : देखिये रामकिशन जी, आप ऊंचे वंश के हैं, आपको नहीं मालुम कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों पर क्या क्या बीती है ! इसलिये उनका रिजर्वेशन नहीं हटाना चाहिये

श्री श्रवण लाल : उनके नाम से तुम्हारे भूंठे आ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो तुम्हारी बात कह रहा हूं कि हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये सीटें और ज्यादा बढ़ानी चाहिये। इस पिछड़े हुए तबके को बराबर के स्तर पर जरूर लाना चाहिये और इस पिछड़े हुए वर्ग को ऊंचे लाने के लिये बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, उन प्रयत्नों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये।

महिलाओं के सम्बन्ध में जैसा श्री रामकिशन जी ने कहा, उनके सम्बन्ध में दृष्टिकोण और विशाल बनाना चाहिये और उनके लिये सीटें बढ़ाएं तो अच्छा है क्योंकि राजस्थान में महिला डाक्टरों की बहुत कमी है। गांवों में महिला डाक्टर की उपलब्धि नहीं, तो ज्यादा महिलायें डाक्टर बनेंगी तो उससे हमें ही लाभ मिलेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर के लेक्चरर्स करप्ट हैं और एक संत्रे पर ही करप्ट हो जाते हैं और गंगानगर के लैक्चरर्स बहुत ईमानदार हैं। अगर आप स्टेटिस्टिकल डाटा देख लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि उदयपुर और गंगानगर में कौन करप्ट है। भ्रष्टाचार के क्या स्टेटिस्टिक्स हैं इन दोनों जिलों के, इससे आपको फर्क मालूम हो जायेगा। तो इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जैसा श्री सतीशचन्द्र जी कह रहे थे कि अपना मुंह तो शीशे में देखो तो मैं भी निवेदन करूंगा कि गंगानगर वाले अपना मुंह शीशे में देखें तो मालूम हो जायेगा कि कहां भ्रष्टाचार है। रात और दिन का अन्तर है गंगानगर और उदयपुर में। गंगानगर के लेक्चरर हों या प्रोफेसर हों· ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गंगानगर के लिये कह रहे हैं लेकिन आपके तीन मिनिस्टर्स भी गंगानगर के हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : केदारनाथ जी ने जो बात कही थी कि उदयपुर के लेक्चरर्स तो एक संत्रे के रस पर ही खुश हो जाते हैं, उसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके जो अच्छे विचार हैं पहले आप उन विचारों का अपने डिस्ट्रिक्ट में तो प्रचार करिये। आप अपने घर में तो सुधार करें, तब ही आपके कहने का अच्छा असर होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उन्होंने तो यह कहा था· · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं जानता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि आप अपने यहां तो सुधार करें। उदयपुर में ऐसी बात नहीं है।

जहां तक टेस्ट का सवाल है, मैं इस बात से ऐग्री करता हूं और पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं, कि जोधपुर और उदयपुर की होम यूनीवर्सिटीज हैं, वहां पर जो पास होता है उनको लाभ मिलता है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐफलेऐटिंग यूनिवर्सिटी है। उसका स्कोप बहुत वास्ट है और वहां पर जितना स्ट्रिक्ट मार्किंग है उतना उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज में नहीं है जो प्रतिशत मार्कों का उदयपुर और जोधपुर वालों को मिलता है उतना राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों को नहीं मिलता इसलिये उदयपुर और जोधपुर के लड़के लाभ में रहते हैं। और उनकी मार्किंग ज्यादा होने की वजह से उनको एडमिशन मिल जाता है। कुछ

Page No. 118

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

माननीय सदस्यों ने कहा कि टेस्ट से अगर एडिमिशन करते है तो करप्शन का डर है। ऐग्जेमिनर्स पर भरोसा नहीं कर सकते कि किस तरह से मार्किंग करेंगे, और इसलिये टेस्ट की बात को मानना नहीं चाहिये। लेकिन जोधपुर, उदयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटीज के फर्क को अगर बदलना है, और जैसा विचार हमारे यहां प्रचलित हो रहा है कि जोधपुर और उदयपुर तो होम यूनिवर्सिटीज हैं और वहां मार्किंग बहुत लीनियेन्ट होता है जब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो इस फर्क को दूर करने के लिये कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिये तो एक ही साधन हो सकता है कि टेस्ट लिया जाये ताकि हरेक का सही इन्टेलीजेन्स मालूम हो जाये। सही इन्टेलीजेन्स की जांच केवल तभी हो सकती है जब एक कामन टेस्ट लिया जाय और उनके आधार पर एडमिशन हो।

एक माननीय सदस्य : कुछ अक्ल की बात कहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अक्ल की बात हो कह रहा हूँ, आपकी समझ से बाहर है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के किसी टेस्ट के जरिये एडमिशन किया जाये तो अच्छा होगा। अगर केवल इसी डर से कि कोई एग्जेमिनर फेवर करेगा किसी को, इसलिये टेस्ट नहीं होना चाहिये इस बात को लेकर चलेंगे तो आज जो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है वह नहीं मिटा सकेंगे। यह क्यों नहीं सोचते कि जो भी एग्जेमिनर्स होंगे वे अच्छे होंगे और न्यायपूर्वक मार्किंग करेंगे। आप इसके लिये अच्छे से अच्छे लेक्चरर्स को सिलेक्ट करें। इन सब बातों पर विचार करेंगे तो यह सारी की सारी बातें न्याय संगत हो सकती हैं।

(4 म. प.)

एक एज के बारे में बात कही कि इक्कीस से बाईस बढ़ा दो गई है, इससे कई लड़के रह जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बातें सभी माननीय सदस्यों ने कही लेकिन नाम किसी ने नहीं बताया। सिर्फ नाम केदारनाथ जी ने बताया। उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि उसने तेईस चौबीस पूरे कर लिये होंगे, वह भी बाइस साल का नहीं होगा। तो एक आध, जो है, इससे एग्रीव्ड हो सकता है एज लिमिट के बारे में......

श्री केशरीसिंह हाडा : यह जो है क्या है, क्या बीमारी है जिससे आप परेशान हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको क्या बीमारी है जो आप जबर्दस्ती खड़े हो रहे है। आपने दुनिया भर की सारी बातें कही है तो मुझे भी थोड़ा बोलने दें।

तो यह जो 21 से बाइस साल बढ़ाने की सारी बातें कही—यह पिछले साल ही कर दी गई थीं। उस समय अगर किसी को आपत्ति होती तो पिछली साल ही वह इसके सम्बन्ध में रिट पिटीशन कर देता और 21 से 22 साल करने के बारे में वह फैसला कोर्ट से प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस तरह की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
कोई बात सामने नहीं आई। आपको कोई भी बात कहनी है इसलिए कह दें और उसको पोलिटिकल कलर दे दें और उस तरह से गवर्नमेंट को बदनाम कर दें—यह बात गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि 21 से 22 पिछले साल कर दी थी। तो यह पिछले साल की है या इस साल की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एडमीशन हुए हैं इसके पूर्व जो 21 से 22 का फर्क है यह कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लास्ट डेट आफ एडमीशन थी उसके पहले किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप दौलतराम जी से पूछ लीजिये। मेरी समझ में जो आ रहा है बस मैं बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अच्छी बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की नजीर उन्होंने सामने नहीं रखी जिसकी वजह से कह सकें कि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण से 21 से 22 की है या पक्षपात करने की कोशिश की है यह बिलकुल गैर जिम्मेदारी की बात है कि इस प्रकार से कहें कि जो 21 से 22 की है यह सरकार ने बड़े आदमियों के लड़कों को भर्ती करने के लिए, एम. एल. एज. और एम. पी. के लड़कों को दाखिल करने के लिए कर दिया है, यह फेवरिटिज्म है, यह न्यायसंगत बात नहीं है। जब तक इसके सम्बन्ध में डेफीनेट नहीं कहें तब तक मैं कहूंगा कि सरकार ने वाजिब ही किया है। सरकार ने उचित समझा इसलिए ही 21 से 22 किया है। हमारा दृष्टिकोण सोचने का यह है कि 21 साल में बी. एससी. पास नहीं कर सकता, इन्टरमीडियेट 21 में आता है, लेकिन 21 साल में बी. एससी. में नहीं आये तो वह आगे पढ़ाई से वंचित रह सकता है। ऐसे लड़कों को लाभान्वित करने के लिए 21 से 22 साल उम्र की जा सकती है। ऐसा न सोचकर यह कहें कि किसी लड़के को दृष्टिकोण में रख कर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कहा गया है—तो यह न्यायसंगत नहीं है। यह ठीक नहीं है। मैं इस ओर हैल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कि जवाब मत दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कि इसके सम्बंध में आप कुछ विचार करें और आयन्दा टेस्ट वगैरह के तरीके से सभी जगह के लड़कों को इन्टेलीजेन्स के मुकाबले से एडमीशन मिल सके इसका आप प्रबन्ध करिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या बोलेंगे। आपका आधा जवाब तो इन्होंने दे दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सदन के सम्मुख मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष जो भी बहस इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुई और जिस तरह की हालत गत वर्ष सामने आई उसी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आधार के ऊपर सरकार ने यह निर्णय लिया कि मेडीकल कालेज में एडमीशन के लिए प्री-मेडीकल टेस्ट का सिस्टम रखा जाय। इसको रखने से किसी भी तरह से कोई मार्किंग की वजह से या किसी तरीके से जो यूनीवर्सिटी में आपस में मतभेद चलते हैं या गुत्थियां उत्पन्न होती हैं वह गुत्थियां सुलझ सकेंगी। इस निर्णय को लेने के बाद में एप्लीकेशन्स की तारीख बढ़ाई गई। प्री मेडीकल टेस्ट जब लेने की बात थी तब चार-सौ सीटें योजना के अनुसार रखी गई थीं। उसके बाद में हाई कोर्ट में जो रिट फाइल हुई और उसके सिलसिले में जो स्टे आर्डर हाई कोर्ट से दिया गया उस आर्डर के वक्त गवर्नमेंट एडवोकेट की तरफ से हाई कोर्ट को निवेदन किया गया कि इसका फैसला जल्दी नहीं होगा और लड़कों की भर्ती रुक जायगी, उनकी परेशानी बढ़ेगी तो हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक आर्डर इस बारे में दिया, वह मैं सदन के सम्मुख पढ़ कर सुनाना चाहता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "At the time of arguments, the Deputy Government Advocate brought to our notice that the admissions will be delayed and a lot of inconvenience shall be caused to the student community. It has, therefore, become necessary for us to clarify that our order will not stand in the way of Government if the Government chooses to proceed with the admissions in accordance with the conditions as they existed at the time when the prospectus was issued for the first time in the earlier part of May, 1968: and that the Government will not be prejudiced in canvassing the validity of the said Notification in the present form or in any other suitably amended form of the propriety of the pre-medical test so far as the future is concerned."

इस साल के लिए प्री मेडीकल टेस्ट की मना की, उसमें यह कहा कि फ्यूचर के लिए कोई व्यवस्था प्री मेडीकल टेस्ट की की जाती है तो गवर्नमेंट को इस बारे में किसी प्रकार से हाई कोर्ट की मनाही नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के आज जो विचार सुन सका, मुझे खुशी है कि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस बात को माना है कि तीनों यूनिवर्सिटी के सिस्टम में फर्क है, उसकी जो गुत्थी बनी हुई है उसको खत्म करना चाहिए और उसको खत्म करने का एक मात्र तरीका यह है कि प्री-मेडीकल टेस्ट जैसा सिस्टम कर लें। गवर्नमेंट ने यह सिस्टम चालू रखा है। अब यह प्रश्न उठाया गया कि इसमें किसी तरह की आगे जाकर गड़बड़ी नहीं है–इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मोटे तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली जायगी। आप लोगों के जो विचार आये हैं उन पर भी विचार कर सकते हैं। मैं मोटे तौर पर निवेदन करता हूं कि यूनिवर्सिटी के मार्फत प्री-मेडीकल टेस्ट लिया जाय. और जो कापियां जांचने की बात है और वह कापियां यूनिवर्सिटी के किसी हाल में सारे एक्जामिनर्स को एक साथ बैठा कर एक

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिन में जांचने की व्यवस्था कर दी जाय और जांची जाने के बाद उनसे कापियां वापिस ले ली जांय। इससे किसी को मालूम नहीं हो सकता है कि किसकी कापी किसके पास है। हाल में सात आठ एक्जामिनर हों तो किस को कापी किसके पास आती है यह मालूम नहीं होगा, एटरन्डम उन्होंने कापी जांची और उनसे वापिस ले ली गई। मैं समझता हूं कि यह तरीका अपनाते हैं तो किसी प्रकार किसी को इस बारे में कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी के साथ में पक्षपात हुआ, मार्किंग गलत हुआ या फेवरिटिज्म हुआ · ·

एक माननीय सदस्य : करने वाले तो तब भी कर सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या करेंगे ?

श्री रामकिशन : फिर इसका तो इलाज नहीं है। आप कहीं भरोसा नहीं करेंगे तो क्या रास्ता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मोटे तौर से यह मैंने निवेदन किया।

श्री रामकिशन : दल बदल कर इधर आ बैठें क्योंकि टिकट नहीं मिला कांग्रेस का और फिर भी भरोसा करते हैं जब उधर जाकर बैठ जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अलावा मेरे दिमाग में बात यह है कि अगले साल का प्रास्पेक्टस अभी बनवा लिया जाय और बनवा कर दिसम्बर के अन्त तक सा या कर दिया जाय ताकि सारी स्थिति का लोगों को पता रहे और इस प्रकार की स्थिति न रहे। प्रास्पेक्टस दिसम्बर के अन्त तक साया हो जाय और प्रेक्टिस में आ जाय ताकि अप्रेल में परीक्षा खत्म होंगी पर उसके मुताबिक लड़के तैयारी कर सकें। वरना जैसा अब तक किया गया है, तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यहां से लड़का गया है और दूसरी यूनीवर्सिटी में जाकर अपना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और जब वह वापिस आया तो उसके मार्किंग में डिफरेन्स पड़ा। मैं कहता हूं कि यह जब आर्गूमेंट आ चुके हैं तो इनके आधार पर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया और इस निर्णय को मैं पूर्ण मानता हूं और यह निर्णय गवर्नमेंट का रहेगा। दूसरी जो बात उठाई गई वह रिजर्वेशन के बारे में है, रिजर्वेशन हमारे समाज में आज भी है, संविधान में भी दिया हुआ है। कई बातें सदन में आई, उसके आधार पर भी रिजर्वेशन किया गया। जब एक्स मिलिटरी मेन, मिलिटरी मेन का मामला आया तो सदन में जोरों से माग उठी थी कि शिक्षा के लिये कोई रिजर्वेशन न दी जाय, मेडिकल का इस घोषणा के अनुसार 5 परसेंट का रिजर्वेशन हुआ यहां उसका स्वागत किया गया और सदन ने उसे सराहा। सिर्फ इस वर्ष रिजर्वेशन नया हुआ हो ऐसी बात नहीं है। पहले मेडिकल के बारे में कहा गया, गत वर्ष भी था, मैं किसी माननीय सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, पर पोलिटिकल सरपरस्त के लिये रिजर्वेशन हो, मिलिटरी मैन के लिये रिजर्वेशन हो, और और लोगों के लिये रिजर्वेशन हो तो फिर एम. एल. एज. और एम. पीज. भी अपने समाज में हैं जो दिन भर अपने बच्चों का खयाल नहीं कर सकते, उनको सदन में रहना पड़ता है

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाय। उनके लिये 5 सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं की गई है। हमने मौलाना आजाद कालेज से पूछा तो उन्होंने कहा कि एम. पीज. के बच्चों के लिये रिजर्वेशन है उनको लेते हैं। इस आधार पर मुश्किल से तीन चार एम. एल. एज. साहबान के लड़के लड़कियां आयेंगे। ऐसी सूरत में यदि उस आधार पर कुछ किया जाता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिये। इसमें हो सकता है कि कभी मेरा लड़का आ जाय, कभी आपका लड़का आ जाय, कभी और किसी का लड़का आ जाय। तो इसमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया गया है, दोनों तरफ के सदस्य इसमें आते हैं। इनमें किसी को कोई नुकसान या फायदा पहुँचाने की बात नहीं है।

एक बात कही गई, जो वास्तव में गम्भीर है। गम्भीर इसलिये कि रिजर्वेशन तो हमने लिया पर हमारे समाज के चरित्र की बात बताई गई, कई माननीय सदस्यों से चर्चाएं हुई और कहा कि रिजर्वेशन तो किया पर इस रिजर्वेशन से जहां असली लोगों को फायदा मिलना चाहिये, उनके बजाय इसका फायदा कुछ फर्जी लोग उठा लेते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 30 केसेज ऐसे आये हैं जिन्होंने बताया कि हम तो अमुक फौजी के, अमुक शिड्यूल्ड कास्ट्स के, अमुक पोलिटिकल सफरर के गोद गये हुए हैं। प्रिन्सिपल्स की कमेटी के सामने यह बड़ी दुविधा आई। इस मामले को गवर्नमेंट ने एग्जामिन करवा कर, ला डिपार्टमेंट का दृष्टिकोण उनके पास भेजा फिर भी वहां अब तक एडोप्शन के केसेज हैं, उनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है. 40 सीटें बाकी रह गई हैं, जिनका आज कल में निर्णय होगा, वे एडोप्शन के हैं, कुछ ने तो जाति बदल ली है, कोल कोली बन गया, महता महतर बन गया, खन्ना कुछ और बन गया····

श्री मूलचन्द डागा : यह संविधान के खिलाफ है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : पंजाब में एक ने जाति बदल कर रिजर्व सीट का इलेक्शन लड़लिया था तो इसी आधार पर उसका इलेक्शन खारिज हो गया और उसे सजा हुई। आप ईसाई रिलिजन अंगीकार करना चाहें तो कर लें, मुस्लिम रिलिजन लेना चाहें तो ले लें पर आप अगर महतर जाति के बनना चाहें तो नहीं हो सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में ला डिपार्टमेंट से जानकारी करके जो मुद्दे हैं, उनके सम्बन्ध में ला डिपार्टमेंट की ओपिनियन कमेटी के पास पहुँचा दी गई है, वह कमेटी इस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय लेगी।

कुछ केसेज ऐसे आये हैं····

श्री रामनारायण (मंडावा) : एडोप्टेड सन्स को रेस्ट्रिक्ट ही क्यों नहीं कर दिया जाय ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वह नहीं हो सकता, किसी के लड़का है ही नहीं तो वह गोद ले सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके पास भेजा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस डिपार्टमेंट ने कमेटी के पास भेज दिया है, कमेटी ने अभी निर्णय नहीं लिया है ।

अभी आपने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के नहीं होते हुए भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के सर्टिफिकेट ले आये, वे 7 केसेज हैं, जिन 7 केसेज में दो नाम माननीय भैरोंसिहजी ने बताये । सब सदन के नोटिस में आ जायें इसलिये उन नामों को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिन्होंने यह सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लिये हैं कि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं ।

(1) सुधीर कुमार सन आफ आर. एल. सूद ।

श्री रामकिशन : हरिजनों में तो सूद नहीं होते ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (2) शिड्यूल्ड कास्ट ईश्वरचन्द्र सन आफ आदराम ।

(3) शिड्यूल्ड कास्ट, मिस सुजाता तोशनीवाल डाटर आफ ईश्वरसिंह तोशनीवाल ।

श्री रामकिशन शर्मा : हरिजनों में सुजाता नाम रखने के लिये तीन हजार साल पीछे का इतिहास देखना पड़ेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (4) सत्यनारायण शर्मा सन आफ सांवतसिंह ।

(5) किशनचन्द सन आफ कालिया ।

(6) बसंत प्रकाश सन आफ महेश शंकर ।

(7) राहुल परिहार सन आफ मेघराज परिहार ।

ये 7 केसेज हैं, जिनके बारे में शिकायत पेश की गई है और जो प्रधान आचार्य हैं हमारे सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के उन्होंने इन्हें प्रोविजनल एड्मिशन देकर, इसकी जेन्वाइननेस के सबूत पेश करने के लिये इनको लिख कर भेज दिया है कि इसके सबूत पेश करिये वरना एड्मिशन रिजेक्ट कर दिया जायगा । इसके अलावा और किसी का नहीं भेजा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह 30 की लिस्ट है, वह भी जानकारी के लिये आ जावे, उसको सदन की मेज पर रख दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह मैं फिर बाद में रख दूंगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कौन कौन राजनैतिक पीड़ितों के हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो डिस्क्लेज हो गई है ।

एज के बारे में सवाल उठाया गया । यह मैं यहां कहना पसंद नहीं करूंगा कि किस किस क्वार्टर से कैसी बातें आई पर वास्तव में कुछ लड़के ऐसे थे जिनके पास काफी मार्क्स थे, पर एक दो महीने के लिये जा रहे थे । उनका प्ली यह था कि लास्ट ईयर भी 21 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र की थी, लास्ट ईयर के आधार पर हमको भी यह सुविधा मिलनी चाहिये, लास्ट ईयर भी इस प्रकार बाद में एज बढ़ाई थी । हो

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सकता है, जैसा कि प्रोफेसर केदार ने कहा, एक आध लड़का ऐसा रह गया हो पर लास्ट ईयर जितने ऐसे लड़के थे उन्होंने एप्लाई किया हुआ था। इसमें किसी बड़े छोटे, बड़े मिनिस्टर या एम. एल. ए. का लड़का नहीं है जो लिस्ट मैंने मंगाई है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुल कितने हैं?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 15 हैं।

(1) वेंकटरमण राजमणि, भरतपुर।

श्री रामकिशन शर्मा : ये तो भरतपुर के नहीं हैं, बाहर के होंगे, आकर बस गये होंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (2) श्री हरिप्रसाद राठी सन आफ टोडरमल राठी।

(3) अब्दुल समद कादर सन आफ गुलाम कादर, बीकानेर।

(4) सुरेन्द्रपालसिंह सारण सन आफ मातीराम सारण, गंगानगर।

(5) जतनलाल जवरीलाल, सरदार शहर।

(6) भगवानसिंह सन आफ जमा राम।

(7) मुरली मनोहर शर्मा।

(8) राजेन्द्र बिश्नोई सन आफ राजा राम बिश्नोई, गंगानगर।

(9) मनीकांत, जयपुर।

(10) गोविंदप्रसाद शर्मा, जयपुर।

(11) मोहम्मद सलीम हुसैन, जयपुर।

(12) सैयद मुनीर अहमद, टोंक।

(13) सामंतराम चौधरी, जोधपुर।

(14) नारायणसिंह, भाटी, बीकानेर।

(15) श्यामसिंह, जयपुर।

ये 15 हैं। इसमें जैसे कहा गया कि किसी की सिफारिश मानकर किसी के लड़के को दाखिल किया गया है, ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोलिटिकल सफरर्स?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 15 की लिस्ट है जिसमें से 8 का एडमिशन हुआ है। सदन की जानकारी के लिए मैं मिनीमम मार्क्स प्रस्तुत करता हूं।

जनरल बोय्ज 56.93 गर्ल्स 56.26 रिजर्व्ड–डिफेन्स परसोनेल 53.06।

शिड्यूल्ड कास्ट बोय्ज 46.66 गर्ल्स 43.04।

तीन शिड्यूल्ड कास्ट्स की लड़कियां हैं उनमें से एक मेहतर की लड़की है। महाराजा कालेज में स्वीपर है उसने अपनी लड़की को पढ़ाकर तैयार किया।

पोलिटिकल सफरर्स 49.13।

बर्मा रिपेट्रिएट्स 49.46।

उसके बाद दूसरे राज्यों के हैं :

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बाय्ज 55.57 गर्ल्स 55.92

अभी तक 5 एम. एल. एज. और एम. पीज. की दरखास्तें है उनमें से एक व्यक्ति पोलिटिकल सफरर आ गया है और 4 नहीं हैं। एक पोलिटिकल सफरर एम. पी. का लड़का है और 4 एम. एल. एज. की दरखास्तें हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कौन है वे चार एम. एल. एज. ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं नहीं बताऊंगा।

श्री रामकिशन : एम. एल. एज. भी गोद ले सकते हैं जैसे प्रोफेसर केदारनाथ ने शादी नहीं की और गोद लेने की सोच रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप उनको सलाह दें।

राजवी श्री रूपसिंह : आपने जो रिजर्वेशन रखे हैं, उनके परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : परसेंटेज मिनीमम 45 है चाहे कोई भी हो।

राजवी श्री रूपसिंह : आपने जो पोलिटिकल सफरर्स के लिए 15 दूसरों के लिए 10 और मिलिटरी वालों के लिए 5 रखे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या रखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मिनीमम परसेंटेज अपनी अपनी कैटेगरी में हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये मिनीमम 40 और दूसरों के लिये 45 प्रतिशत हैं। यह तो बेसिक क्वालीफिकेशन है।

राजवी श्री रूपसिंह : सीट्स का एलोकेशन कैसे है परसेंटेज का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 20 प्रतिशत फोर गर्ल्स, 5 परसेंट फोर सोल्जर्स व एक्स-सोल्जर्स चिल्ड्रेन, 15 सीट्स पोलिटिकल सफरर्स, 5 सीट्स बर्मा रिपैट्रिएट्स, 6 सीट्स नेशनल इन्टीग्रेशन, 10 सीट्स मेडीकल एण्ड पैरा मेडीकल, 3 सीट्स अदब के साथ कहूंगा कि मेरी डिस्क्रेशन पर हैं और तीनों के लिए शायद काश्मीर का जवाब आ गया, चली जायेंगी। जम्मू काश्मीर ने स्कीम को मन्जूर करके सीट्स अपने यहां लाने का और तीन सीट्स वहां पर रखने का रेसीप्रोकल बेसिस पर मन्जूर किया है, तो इस तरह से वे तीन सीट्स भी हमारी गई।

श्री ओमदत्त भाटी : कम्पाउण्डरों और नर्सों के लिए क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे पैरा मेडीकल कैटेगरी में आ जायेंगे।

श्री ओमदत्त भाटी : पैरा मेडीकल चिल्ड्रेन के लिए है, परसोनैल का नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो आग्जीलियरी हेल्थ वर्कर्स है उनके साथ 5 साल का बांड होता है उसके बाद वे आते हैं तो एज का रिलेक्सेशन है 35 वर्ष। पर उनके लिए इस बात की व्यवस्था नहीं है कि रिजर्वेशन हो। कम्पाउंडर्स और डाक्टर्स दोनों को मिलाकर 10 सीट्स।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फैमेली प्लानिंग के लिए रिजर्वेशन किया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फैमिली प्लानिंग में भारत सरकार ने 50 सीट्स के बारे में लास्ट ईयर कहा था। इस साल उन्होंने कहा जो फैमिली प्लानिंग में जाना चाहते होंगे कोई अगल एडमिशन्स नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्हीं में से तैयार होंगे, स्कालरशिप आ जायगी पहले 690 थी, अब 50 घटाकर 640 कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 30 और 7 केसेज को प्रोसीक्यूट करने का विचार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर साबित हो जाता है तो करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घोषणा करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हरेक केस की मेरिट पर जांच करेंगे पुलिस जैसा ठीक समझेगी वैसा करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो भेजेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमने तो इनको प्रोवीजनल एडमिशन कहवा दिया। अब एज की बात आती है कि आइंदा क्या एज रखी जाय। जहां तक मिनीमम एज का सवाल है वह तो 17 साल के लिए मेडिकल काऊंसिल और यूनीवर्सिटी का डाइरेक्शन है और 17 साल से कम वाले को किसी तरह एडमिट नहीं कर सकते। अब रहता है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की मैक्सीमम एज 24 हैं और जनरल सीट्स के लिए 21 है! हमने लास्ट ईयर भी एक साल बढ़ाई थी और इस साल भी एक साल बढाया। मान लीजिए कोई बी0 एस0 सी0 पास करके एडमिशन लेता है तो उसको कन्सीडर करना चाहिए और इस बारे में प्रिन्सिपल्स को मोटिंग करके आइंदा के लिए क्या एज रखी जाय, निश्चय किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कुछ कहते हैं कि बी० एस० सी० या एम0 एस0 सी0 पास करके एडमिशन चाहें तो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर वाला उनके आगे टिक नहीं सकता। इसलिए सारे मामले को थोरोली इग्जेमिन करवाना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियन्स्ड परसन्स हैं, आल इंडिया पैटर्न स्टडी करके राजस्थान की सिचुएशन को जो सूट करे उसको अपनाकर दिसम्बर या जनवरी में लेटेस्ट आपके प्रास्पेक्टस आने चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जनवरी में मेरा इरादा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक बात का सवाल यहां उठाया गया। सतीशचन्द्र जी के पोइन्ट को भी ध्यान में रखा है। कानूनी एक बात है। क्या हम इस रिजर्वेशन की फेसिलिटी को खुद के लड़के के लिये भी इस्तैमाल कर सकते हैं या एडोप्शन के लिये भी कर सकते हैं। एडोप्शन पर ही ये फ्लड गेट्स ओपन होते हैं। रिजर्वेशन की सुविधा तो हमने दी है। किसी प्रकार उसको लिमिट कर दीजिये तो करप्शन की चीज समाप्त हो सकती है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि एडोप्टेड सन और डाक्टर्स हैं उनको यह सुविधायें विड्रो कर ली जायं तो ठीक है। कई आकर कहते हैं कि 15 वर्ष से ज्यादा के लड़के भी गोद चले जाते हैं। एडमिशन कमेटी के सामने बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस बात पर विचार करना होगा कि रिजर्वेशन वाली बात को किस प्रकार से रखा जाय।

श्री केशरीसिंह : हिन्दू ला में होना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: नया हिन्दू ला बन गया है और पहले वाले में काफी परिवर्तन हो गया है।

श्री रामकिशन : सचमुच जाति बंधन तोड़ने के लिये तैयार होते हैं तो जरूर होना चाहिये।

श्री केशरीसिंह : फिर भंगी से वापस ब्राह्मण बन जायेंगे तो ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अमृतलाल जी की लड़की क्या रहेंगी ?

श्री रामकिशन : लड़की रहेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रामनारायणजी ने एक प्रश्न उठाया था पोलिटिकल सफरर्स के विषय में। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। उन्हीं को पोलिटिकल सफरर्स की संज्ञा दी गयी है जो आजादी की लड़ाई के समय में जेल में गये हैं; ग्रान्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन भी पोलिटिकल सफरर्स की बिना पर एडमिशन उनको रिजर्वेशन से दिया जाय तो एक वाइड चीज यह बन जाती है। तीसरे जन्म में जाकर कहेगा पोते पोती आकर कहेंगे कि मेरे दादा पोलिटिकल सफरर्स थे। इसलिये लॉ डिपार्टमेंट से जांच कराई। पोलिटिकल सफरर्स में वह ही व्यक्ति आते हैं जो खुद जेल गये हों। उसके पुत्र पुत्री को एडमिशन देना जरूरी है। पोलिटिकल सफरर्स के पोते पोतियों को पोलिटिकल सफरर्स की श्रेणी में मानकर उनको एडमिशन दिया जाय यह उचित नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है वे भी पोलिटिकल सफरर्स है ? क्या इसीलिये उन्होंने काम किया कि ला ते लूट सके ?

श्री वृद्धिचन्द जैन: इनकम टैक्स जो करता हो उसको एडमिशन नहीं देना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज जो स्थिति है उसके लिये अर्ज किया। पोलिटिकल सफरर्स हों who have been to jail, but whether the child and grand-child are also included in that definition यह एक प्रश्न है। चाइल्ड ऑफ ए पोलिटिकल सफरर केन बी एडमिटेड। लेकिन ग्रान्ड चिल्ड्रन के लिये यह लागू नहीं होता है।

वह कानूनी दृष्टिकोण था। भावना में आकर कहें कि किसी प्रकार करना चाहिये। समस्या दूसरी आ जाती है। चार केसेज ऐसे आये, ग्रान्ड चिल्ड्रन पोलिटिकल सफरर्स के रूप में एडमिशन चाहते थे कि हमारे ग्रान्ड फादर जेल में गये थे। एक केस में करते हैं तो दूसरे केसेज में करना पड़ता है। यदि भावना में जिस तरह की बात सोचते हैं उसको मानेंगे तो आगे जाकर इससे नुकसान होगा।

मैं समझता हूं आप माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसके अनुसार मैं इस बात को मानता हूं कि ओमेडिकल टैस्ट होना चाहिये। उसके फुलप्रूफ मेथड होने चाहिये, प्रोस्पेक्टस जनवरी में आउट हो जाना चाहिये। उम्र के बारे में एक्सपर्ट्स को ख्याल करना चाहिये। एम. एल. ए. और एम. पी. के बारे जब औरों का रिजर्वेशन है तो इनके लडकों के लिये भी होना चाहिये यह मेरी व्यक्तिशः राय थी। इसको इस साल चालू

Page No. 128

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रख देना चाहिये । 400 के बजाय 600 की संख्या हुई है । पहले शिड्यूल्ड कास्ट की 18 थी, 300 हुई तो 30 हुई । 43 परसेन्ट तक के लड़के उसमें एडमिट कर लिये गये और उनको फायदा हुआ है । डिफेन्स पर्सनल्स के लिए भी 5 परसेन्ट के हिसाब से 32 अब हो गयी । 5 सीट एम.एल.ए. और एम. पीज.के लिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 अगस्त वाला क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 7 सितम्बर तक मियाद है मेडीकल कालेज एडमिशन दे दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 सितम्बर तक एडमिशन नहीं दे सकेंगे तो उन्हें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल सकेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने करा रखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फीस नहीं मिलेगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन्होंने ले लिया । उन्होंने ले लिया 400 का एडमिशन किया है वह बिल्कुल मार्क्स के अनुसार है एडोप्शन के केसेज डिसाइड न होने से छूट रह गयी हो । यही नहीं इन्टरव्यू म न आये हों । जिन जिन का एडमिशन हुआ और बाकी जितनी सीटें रखी गयीं है पेन्डिग कन्सीडरेशन वालों के केसेज बाकी हैं । अ. आउट मार्किंग सिस्टम और परसेन्टेज लिये गये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने काफी अपने तौर तरीकों में सुधार कर लिया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को संतोष होगा और हमारे मेडीकल कालेज की तारीफ जो है उसको हम कायम रख सकेंगे ।

श्री केदारनाथ : डैंटल कालेज में कैसे एडमिशन करते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसमें 50 लड़के चाहे जाते हैं । पहले 11 होते हैं उन्हीं को भेज दिया जाता है ।

श्री रामनारायण : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । आपने काफी रिजर्वेशन रखा है इसमें थोड़ा यह भी परिवर्तन कर लिया जाय कि जिन काश्तकारों की थोडी आमदनी है उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाय । फैक्टरी के लेबरर्स हैं उनके बच्चों के लिये रिजर्वेशन के लिये करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि 30 सीटें भरी हैं कितने गोद नामे करवा कर भर्ती हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 7 केसेज हैं । उनको कह दिया है कि तुम्हारा एडमिशन प्रोविजनल है । आकर सबूत पेश करें । सबूत ठीक तरह से पेश कर देंगे तो ठीक है नहीं तो उनको खारिज कर देंगे । 7 केसेज गोद नामे के हैं ।

श्री रामकिशन : सर्टिफाई किसने किया है यह भी तो देखिये । सर्टिफिकेट भी तो लाये होंगे । उनके खिलाफ कुछ कीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी मेरी सूचना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट बताये जाते है ।

एक माननीय सदस्य : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहूलियतें दी गई हैं विधान के अनुसार वे जाति को दी गई है, हरिजनों को दी गई है, और उसका फायदा उन्हें ही उठाना चाहिये। दूसरे उनके नाम का उपयोग करके फायदा नहीं उठा सकते।

एक माननीय सदस्य : गैर सरकारी संकल्प लीजिये।

श्री गोकुलचन्द (खेरथल सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह विषय महत्वपूर्ण है। मुझे यह नही मालूम था। अभी जो जानकारी माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने दी है, उसके अनुसार ऐसा लगता है सरकार उनको भी रिजर्वेशन में ले सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, और मेरी राय से यह सदन भी सहमत होगा, कि आज दुनियां म जो हालात है, उसमें कई बातों में बेईमानी होती है। यह जानकर आश्चर्य होता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला की जगह दूसरी महिला के हस्ताक्षर कर लिये जाते हैं और जमीन की रजिस्ट्री करवाई। जबकि महिला को यह मालूम भी नहीं। जमीन बेची गई। कोई आदमी गोद लेता है। उसकी भावना के बारे में हम कोई सन्देह नहीं कर सकते। किन्तु जिस तरह से लिखा पढ़ी की जाती है, उससे चिन्ता होती है। यह मुमकीन है कि गोद लेने वाले को कोई जानकारी न हो। यह गंभीर विषय है। अनुसूचित जातियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है वह ठीक है। किन्तु उनका यह दुर्भाग्य है कि सरकार उनमें वृद्धि करती जा रही है। पहले यह 55 जातियां थी। किन्तु इनमें और जातियां भी मिला दी हैं। अब कुल मिलाकर 100 जातियां है, जिनको सरकार सहूलियत देना चाहती है। इतनी जातियों को सूचि देने के बाद भी कोई बच जाता है, तो कह नहीं सकता। कोई उच्च जाति का आदमी अनुसूचित जाति के यहां गोद चला जावे और वह भी रिजर्वेशन का अधिकारी हो जाय तो यह अनुचित है। मैं निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जातियों के सदस्य इस बात से चिन्तित हैं। सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया और निर्णय नहीं लिया तो हम अपना दूसरा कदम उठा सकते हैं। मैं आशा करता हू, उपाध्यक्ष महोदय कि आपमे हमें संरक्षण मिलेगा और आप अपनी तरफ से भी निर्देश जारी करेंगे। रिजर्वेशन जब खतम हो जाय तब आप हमें शामिल कर लें। अभी शामिल होने में हमारे लिये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। हमारी तकलीफों को समझना चाहिये। हम सब एक है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। परन्तु इस बात पर हमें क्या सोचना पड़ जाय ? इसलिये राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नही होगी। चर्चा समाप्त हुई।

गैर सरकारी संकल्प पर विचार। श्री रघुनाथ विश्नोई द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर विचार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने प्रायोरिटी दे रखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रायोरिटी किस बात की ?

श्री उपाध्यक्ष : मोशन मूव करने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन मूव हो गया। अब तो डिसकस है। राइट आफ डिसकसन की नियमानुसार कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकता। प्रायोरिटी मोशन मूव करने की दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री वृद्धिचंद जैन।

श्री रामनारायण : पिछली बार जल समस्या पर विचार हो रहा था, उस वक्त मेरी स्पीच समाप्त नहीं हुई थी और उपाध्यक्ष महोदय आपने सदन की कार्यवाही दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी थी। मेरी स्पीच पूरी नहीं हुई थी और मुझे बहुत-सी बातें कहनी थी इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम मौका मुझे मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चंद जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इनका भाषण समाप्त नहीं हुआ···

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

गैर सरकारी संकल्प पर विचार

श्री वृद्धिचद जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते है। आपको प्रायोरिटी दी है कि मैं उसका समर्थन करूंगा। मैंने भी एक लेटर दिया है कि मैं प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। श्री रघुनाथ विश्नोई ने जो प्रस्ताव मूव किया है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुनाथ विश्नोई ने जो संकल्प सामने रखा है, पहले मैं उस प्रस्ताव को, संकल्प को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

"सदन की सम्मति है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या के शीघ्र हल हेतु एक ग्रामीण पेय जल समस्या निवारण बोर्ड की स्थापना की जाय और योजना के कार्यों में इस समस्या के निवारण को प्राथमिकता दी जाय।"

इस संकल्प के द्वारा जो ग्रामीण पेय जल की समस्या है, जो भयंकर समस्या है उस समस्या के निवारण के लिये एक बोर्ड के गठन का सुझाव दिया है और उसमें यह भी निवेदन किया गया है कि इस पेय जल की समस्या को प्राथमिकता दी जाय।

श्री केशरीसिंह : आप तो समर्थन कर चुके अब क्या कर रहे हैं। उनके बाद तो मैं बोला हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप अमेन्डमेन्ट पर बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सदस्य के नाते चर्चा में हिस्सा नहीं लिया इसलिये बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्वतंत्रता प्राप्त होने को बीस साल हो गये इस बीस साल में हमने इस प्रश्न को गम्भीरता से हल करने का

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रयास नहीं किया। इस सम्बन्ध में तीन पंच वर्षीय योजना में जो नगरीय जलप्रदाय योजना और ग्रामीण जलप्रदाय योजना पर खर्च हुआ है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नगरीय पेय जल योजना में तीनों योजनाएं एवं 66—67 और 67—68 में 11 करोड़ 46 लाख 53 हजार रुपया खर्च हुआ है।

ग्रामीण पेय जल योजना के लिये इसके मुकाबले 6 करोड़, 47 लाख 95 हजार रुपया खर्च हुआ है। राजस्थान की जो जनता ग्रामों में बसती है उनकी संख्या 1 करोड़ 68 लाख है और शहरों में बसने वालों की आबादी 32 लाख है। 84.3 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है उन गांवों की जनता के पेय जल की सुविधा के लिये हमने नगरों और शहरों की अपेक्षा बहुत कम राशि खर्च की है जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया है।

इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र की उपेक्षा ही नहीं की गई ग्रामीण क्षेत्र की भी उपेक्षा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 143 गांवों में नल योजना बनायी गई जिससे 4 लाख 67 हजार जनता को लाभ मिला। इसी प्रकार अब हम देखते हैं तीनों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 72 नगर जल प्रदाय योजना हाथ में ली गई जिससे 23 लाख लोग लाभान्वित हुए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : कोरम नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ?

(गणपूरक घंटी)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का अवलोकन किया गया तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ क तीन पंचवर्षीय योजना में जल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जल योजना को प्राथमिकता नहीं दी गई। प्रथम योजना में इस पर 54.14 लाख खर्च हुआ जबकि सम्पूर्ण योजना पर 2 करोड़ 29 लाख 68 हजार रु. खर्च हुआ जो सम्पूर्ण योजना का केवल साढ़े तीन प्रतिशत है।

दूसरी योजना 103.10 करोड़ की थी उसमें से जल समस्या के लिये 6 करोड़ 59 लाख 339 रुपया व्यय किया जो 6 प्रतिशत है।

तीसरी योजना जो 212.34 करोड़ की थी उसमें से जल समस्या के लिये 7 करोड़ 29 लाख 16 हजार खर्च किया गया जो तीन प्रतिशत है।

इसी प्रकार जल समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार ने घोर उपेक्षा की है। हम सब जानते हैं कि यह जटिल प्रश्न है लेकिन बहुत आवश्यक प्रश्न है। जबकि प्रजातन्त्र के जमाने में पानी की सुविधा नहीं पीने का पानी प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए दस दस मील भटकना पड़ता है फिर भी पानी उपलब्ध नहीं होता और पानी मिलता है तो वह भी खारा मिलता है इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। इसी समस्या के समाधान के लिए गांवों में रेगिस्तानी गांवों में कुएं खोदे जायें तो 300-400 फीट गहरे से वे कम नहीं हो सकते उस पर भी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पानी निकले ही यह स्योरिटी नहीं है और कभी निकलता भी है तो वह खारा होता है जिसको पशु तक पीने से मर जायं इस प्रकार की भयंकर समस्या रेगिस्तानी क्षेत्र में है। इस समस्या को हल करने के लिये पूर्ण प्रयास करना चाहिये।

खास तौर से जो औरतें पानी लेने जाती हैं उनको जो तकलीफ होती है, जिनका सारा दिन पानी लाने में ही व्यतीत हो जाता है, यह प्रजातंत्र में बहुत ही दुखद बात है।

बायतू स्टेशन पर टंकियों से पानी आता है वहां पर आप देखेंगे हजारों आदमी पानी का घड़ा लेकर इकट्ठे होते हैं केवल 20 व्यक्तियों को एक एक घड़ा पानी मुश्किल से मिलता है। बायतू पंचायत समिति का हैड-क्वार्टर है जहां आठ हजार की आबादी है उस गांव के लिये भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं। वहां की जनता पानी के लिये रेलवे की टंकियों पर निर्भर करती है। कुछ टांके बने हुए है उन पर लोग निर्भर रहते है अनुसूचित जन जाति के लोग तो सवर्णों पर निर्भर हैं। इस तरह की दर्दनाक स्थिति है जो बहुत ही दुखद है। इस समस्या को हल करने के लिए बहुत प्रयास करना आवश्यक है। पीने के पानी की समस्या के लिये ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लेम सोल्यूशन कमेटी श्री स्व. हरिश्चन्द्र जी माथुर की अध्यक्षता में बनी थी जिन्होंने बाड़मेर क्षेत्र का भ्रमण किया था। उन्होने जो स्थिति बतलाई वह इस प्रकार की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां केवल खारा पानी ही मिलता है वह भी चार सौ पांच सौ फुट नीचे। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पानी है लेकिन वह गर्मियों में सूख जाता है ऐसी नाडियां हैं जिनमें ग्रामीण जनता को अस्वास्थ्यकारी पानी पीना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने विशेष तौर पर जोर दिया है। इस क्षेत्र का जियो-लोजिकल सर्वे होना चाहिये। रोड साइड में भी जियोलोजिकल सर्वे हो जाता है लेकिन भीतरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिना सर्वे किये एवं ट्यूबवेल्स खोदे बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय समाप्त हो रहा है अगर माननीय सदस्य और ज्यादा समय बैठना चाहें तो समय बढाया जा सकता है अन्यथा स्थगित कर दिया जाय क्या राय है।

(स्थगित किया जाय की आवाजें)

सदन की अनुमति से केवल दस मिनिट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द (जारी) : जोधपुर बीकानेर चूरू झुंझनूं के भी कुछ गांव इस प्रकार के हैं। उनकी भी समस्या है। इसको हल करने के लिए विशेष तौर से प्रयत्न करना चाहिये।

यह प्रयास इस प्रकार हो सकता है जैसे डिप्टी स्पीकर साहब ने योजना रखी थी। मास्टर प्लान बनाया गया है। उसको भी देखें। इसके अन्दर 70 करोड़ का प्रावधान है और इसके अन्दर जो मरुस्थल का कठिन-तम क्षेत्र है उसके लिए 27 करोड का प्राव-धान है। पर यह इस राशि से होने वाला नहीं है।

पानी की सबसे बड़ी योजना है। इसके लिए 100 करोड़ की योजना होगी। अगर यह समस्या हल हो जाती है तो पशु-पालन

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वाली समस्या भी साथ साथ हल हो जाती है। इसके लिए ट्यूबवैल ठीक है। जो कमीशन करने से बाकी रह गये हैं उनको आप कमीशन करा कर चालू कर दें और नये के लिए अभियान शुरू कर दें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाल कर ट्यूबवैल आर्गेनाइजेशन को फिर से यहां पर काम पर लगावें। जैसे आन्ध्र सरकार ने यूगोस्लाविया से बात करके अपने यहां ट्यूबवैल की योजना बनाई है। आप भी यह प्रयत्न कर सकते हैं और यूगोस्लोवेकिया और रशिया से भी आप बात करके इसके लिए प्रयत्न करें।

हम कहते हैं कि आप ट्यूबवैल के साथ रेजर्वेयर भी बनावें हर चौथे पांचवें मील पर। उनसे आप टूंटियां लगा दें। लोग वहां से पानी ले सकते है। चार पांच मील जाने में लोगों को हैरानी नहीं होगी। इसलिए इस ट्यूब वैल आर्गेनाइजेशन को एक्टिव करने की कोशिश करनी चाहिये।

मास्टर प्लान चार वर्ष पहले का बना है। मैं जब प्रमुख था हमने प्रोपोज़ल भेजे थे। भारत सरकार ने अभी तक मन्जूरी उसे नहीं दी है। इसकी जल्दी करनी चाहिये।

पहले भी नाड़ियों और तालाबों के बारे में जोर दिया था। उसका उद्देश्य था। इनका अपना महत्व है। अगर इनमें चार महीने भी पानी रहता है तो बरसात में चार महीने भी वे किसान अच्छी तरह से उन पर गुजारा कर सकते हैं अन्यथा तीन सौ फुट गहरे कुओं से पानी निकालना आसान नहीं होगा और फिर दस मील दूर से लाना पड़े तो इसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन के काम में भी हानि होगी। तो टांके भी आप करावें तो इस तरह कराइये कि वे एक हजार की आबादी के बीच एक हो। और बरसात न होगी तो ये गरमी में वरदान साबित होंगे। बरसात न भी हो तो ट्यूबवेल के जरिये से टैंकों द्वारा इनमें आप पानी डाल सकते हैं।

और जहां ट्यूबवैल खुदे हैं वहां रिर्जवेयर होने चाहिये। और भी समस्याएं हैं। उनको संक्षेप में रखना चाहता हूं। 5 प्रतिशत जनता के सहयोग पर नलकूप की योजना दो लाख, दस लाख की योजना बन सकती है। 5 परसेन्ट किसी तरह दे नहीं सकते लोग। हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने भी स्पेशल सर कम्सटेन्सेज में इसकी रिकमण्डेशन की है। इसी तरह कुओं के लिये 1/3 का भी प्रोवीजन है। पर वहां कुओं पर 15 हजार एक पर खर्च आता है। वन-थर्ड का पांच हजार भी किसान वहां का किसी तरह दे नहीं सकता। तो इसलिये वन-थर्ड में रिलेक्सेशन होकर वन-फिफ्थ होना चाहिये। ऐसा सुझाव माथुर कमेटी ने भी दिया है। इन सुझावों को मान्यता देनी चाहिये।

जल समस्या सब से भयंकर है। इसके बारे में राहत मिलनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठावे। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर बोर्ड का भी गठन किया जाय और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है वैसा ही यह बने यह भी स्टेचुरी हो। इसमें एक्सपर्ट और इम्पार्शल लोग लिये जावें और इसके लिये अलग प्रोवीजन आप 100 करोड़ रखें और इस तरह इस समस्या को हल करने का भागीरथ प्रयास

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार 9 सितम्बर, के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 6 मिनिट पर दिनांक 9 सितम्बर 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची)

सूची गैर सरकारी सदस्य जो इस समय जेल एडवाइजरी बोर्ड्स पर मनोनीत हैं।

(1) जेल एडवाइजरी बोर्ड, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर :

(1) श्री कस्तूरमल शाह, जयपुर।
(2) श्री अवतार नरायन, रिटायर्ड कमीश्नर, बनीपार्क जयपुर।

(2) जेल एडवाइजरी बोर्ड, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर :

(1) श्री एन. के. गांधी, सदस्य, लोक सभा, जोधपुर।
(2) श्री काशीनाथ जोशी, एडवोकेट, जोधपुर।

(3) जेल एडवाइजरी बोर्ड, जिला कारागृह, उदयपुर :

(1) श्री जयनारायन, सदस्य विधान सभा।
(2) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सदस्य विधान सभा।

(4) जेल एडवाइजरी बोर्ड, आदर्श कारागृह, अजमेर :

(1) श्री कृष्ण गोपाल गर्ग, टोडरमल मार्ग, अजमेर।
(2) बेगम युसुफ अली शाह, अजमेर।

(5) जेल एडवाइजरी बोर्ड, जिला कारागृह, गंगानगर :

(1) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा।
(2) श्री ताराचन्द, प्रिन्सिपल, एस. डी. कालेज, गंगानगर।

(6) जेल एडवाइजरी बोर्ड, जिला कारागृह, बीकानेर :

(1) श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित, सदस्य, विधान सभा।
(2) श्री प्रेमसिंह, भूतपूर्व राजस्व मंत्री, बीकानेर स्टेट।

इनकी एक वर्ष की अवधि और बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(7) एडवाइजरी बोर्ड, जिला कारागृह, कोटा :

(1) अभी कोई सदस्य नहीं है परन्तु श्री सत्यपाल त्यागी, जिला प्रमुख कोटा व श्री आर. सी. धारीवाल, एडवोकेट को मनोनीत करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है

ग्रौर इन दोनों सदस्यों से लिखित सहमति मांगी गई है कि वे इस पद पर कार्य करने को सहमत हैं या नहीं।

(8) एडवाइजरी बोर्ड, जिला कारागृह, अलवर :

अभी कोई सदस्य नहीं हैं : परन्तु सर्व श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा व शान्ती स्वरूप डाटा को मनोनीत करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है और इन दोनों महानुभावों से लिखित सहमति मांगी गई है कि वह पद पर कार्य करने को सहमत हैं या नहीं।

EXTRACT COPY OF RULE 3 — (S. No. 3. of sub Rules 2,3 & 4) and Rule 4 of the RAJASTHAN PRISON 3 (SHORTENING OF SENTENCES) Rule, 1963

Rule- 3. Sub-Rules 2, 3 & 4.	S. No. 3.	**Constitution of Advisory Boards** Two Non-official persons preferably local Members of the State Legislature or Parliament nominated by the Government............Members.
Rule. 4.		**Terms of office of Non-official members of the Advisory Boards:—** A non-official Member of an Advisory Board shall be appointed for a period of one year but the Government may further extend the period one year or less

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 253 का सूची)

सूची परिशिष्ट (अ)

नाम क्रय विक्रय सहकारी समिति	चुनाव दिनांक	अध्यक्ष का नाम
1. क्रय-विक्रय सहकारी समिति लाडनूं	2–7–67	श्री सुखदेव दोपंकर
	3–10–67 से अब तक	
2. डीडवाना क्रय-विक्रय स.म.ति.	6–4–66 से 16–1–68	श्री चेनाराम
	17–1–68 से अब तक	श्री नाथूराम
3. नागोर को. मारकेटिंग सो. लि.	26–11–68	श्री रामदेव चौ.
	5–5–67	" "
	19–5–68 से अब तक	
4. मेडता को. मा. सो. लि.	18–3–66 से अब तक	श्री आनन्दसिंह

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्र.सं. 266 की सूची)

1.	जयपुर–कोटपुतली–	3 सर्विस
2.	भरतपुर–आगरा	4 सर्विस
3.	भरतपुर–देहली	1 ,,
4.	देहली–ग्वालियर	1 ,,
5.	देहली–खेतडी	1 ,,
6.	आगरा–राजाखेडा	1 ,,
7.	कोटा लाखेरी	1 ,,

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्र. संख्या 268 की सूची)
अतारांकित प्रश्न सं. 119।मु.मं.
द्वारा–श्री हरजी राम बुरड़क
विशेष चयन द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में
लिपिक वर्ग में से नियुक्त कर्मचारियों की सूची।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	विशेष चयन का वर्ष
1	श्री ओम प्रकाश बंसल	1959
2	श्री अमर लाल माथुर	1960
3	श्री एम.एच. नामजोशी	1960
4	श्री दीना नाथ सक्सेना	1962

Page No. 140

परिशिष्ठ 5

(अतारांकित प्र. सं. 270 की सूची)

List of persons to whom agricultural connections have been given in Dhamera village.

S.No.	Name of the applicant.	Date of appl.	Date of demand note.	Date of depositing money.	Date of connection.
1.	Shri Deep Singh	27-8-65	25-8-66	11-11-66	11-11-66
2.	Shri Kalyan Singh	-do-	30-11-66	31-11-66	30-12-66
3.	Shri Sohan Singh	-do-	28-12-65	28-12-65	28-12-65
4.	Shri Jaswant Singh	-do-	13-12-65	13-12-65	13-12-65
5.	Shri Bhawar Singh Hukam Singh	-do-	1-7-66	10-7-66	1-12-67

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्र.सं. 282 की सूची)

	अध्यापकों की संख्या
बीकानेर	7
सिरोही	5
चूरू	2
गंगानगर	1
पाली	3
नागौर	1
बाड़मेर	1
जोधपुर	2
जयपुर	8
अजमेर	4
करौली	1
झुन्झुनू	1
उदयपुर	1
झालावाड़	1
चित्तौड़	3
बांसवाड़ा	1
झोटवाडा	2
कोटा	6
भरतपुर	2
	52

यह प्रति जून 1968 को है।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर, 1968)

पृष्ठ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	अंतिम	सके	इसके
3	2	की	को
4	13	मोपक	भोपाल
12	18	श्री लाडूराम	श्री लाडूराम
15	11	म	में
17	अंतिम 5	जल	जेल
18	अंतिम 9	सिवी	सिंघवी
21	१४	परिषित	परिणत
21	अंतिम से 7	होते	होने
22	अंतिम से 5	आगे	आने के
26	4	जो	—
27	14	लपलब्ध	उपलब्ध
28	6	( )	(1)
34	13	रहा है	है
36	अंतिम से 11	बताव	बतावें
38	अंतिम से 8	या	क्या
38	अंतिम	वाइन नह नेदी	ज्वाइन नहीं करने दी
42	16	यह	इस
42	अंतिम से 4	1	(1)
45	4	1	(1)
52	अंतिम	सेकम्पेन्ट	कम्पन्सेट
53	19	वह	—
57	अंतिम से 12	(गर्म हवा)	((गर्म हवा))
67	अंतिम से 11	देता	देती
70	6	कर	कह
73	7	सस्यो के i कि प्रश्नेत्तर	सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
76	17	उत्त र	उत्तर
81-82	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
81	8	बिजली क चोरी	बिजली की चोरी
85	6	(सुमेर की	(सुमेरपुर की
105	अंतिम से 2	सा	साथ।
109	6	कृपया	—
114	8	वह	बारे
119	अंतिम से 4	नेना	नेता

1	2	3	4
120	1	घच	चर्चा
121	16	चौधर	चौधरी
126	10	उनका	उनको
126	अंतिम से 6	मेत्रित्य	मंत्रित्व
129	19	सुखाढिया	सुखाडिया
131	अंतिम से 4	लडकों	लड़कों को
143	5	निवदन	निवेदन
146	14	ब्तों	वातों
147	अंतिम से 2	ह	है
149	3	पढान	पढाना
150	अंतिम से 12	माकेंग	मार्किंग
153	11	अध्यापकों	अध्यापकों
153	अंतिम से 15	ध्यत्ति	व्यक्ति
154	11	एडर्यसन	एडमिशन
158	अंतिम 4	म	में
160	15	स्टूडेन्ट्स	स्टूडेन्ट्स
161	अंतिम से 6	कज्ञा	कक्षा
162	अंतिम से 4	मारा	भारी
163	अंतिम से 2	पेढा	पैदा
163	,,	मौज़ू	मौजूदा
164	12	करवाई	करवाइये
165	11	जिम्मेदार	जिम्मेदार
165	17	घोषणायें	घोषणायें
165	11	ईससे	इससे
165	अंतिम से 4	विश्यास	विश्वास
166	10	श्री राय नारामण चौधरी	श्री राम नारायण चौधरी
166	अंतिम 5	कौ	को
166	अंतिम से 2	जी	जो
167	12	दपतर	दफ्तर
167	अंतिम से 8	नहीं	नहीं
168	10	मैं	में
169	3	श्री सती चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
169	6	अखवोरों	अखबारों
169	13	मुजे	मुझे
170	12	वन	बात
172	11	लगतो	लगती
172	19	श्री भैरों सिंह्	श्री भैरोंसिंह :
174	अंतिम से 6	म	में
175	8	श्र बरकतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
175	14	सूखट	सूट
176	अंतिम से 6	ापके	आपके
184	10	–प्रकार	हर प्रकार

1	2	3	4
187	अंतिम से 13	वर्षे	वर्षों
191	अंतिम से 2	म	में
192	अंतिम से 8	मां।	मांग
195	8	ज्यादा	ज्यादा
195	21	दा	दी
196	15	म	में
198	अंतिम से 14	का	की
200	7	हु ा	हुआ
200	अंतिम से 9	प	पर
201	अंतिम से 7	म	में
204	11	देना	देना जरूरी है
204	18	लए	लिये
207	अंतिम से 11	रे	से
208	अंतिम से 8	माक	मार्क
209	शीर्ष	(श्री रामचारायण चौधरी)	(श्री रामनारायण चौधरी)
218	अंतिम से 17	सीलिये	इसलिये
220	6	किया हो, किया	या
221	शीर्ष	(श्री सतोचन्द्र अग्रबाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
221	13	क	के
221	20	प्रा मेडीकल	प्री मेडीकल
222	अंतिम से 9	काफा	काफी
222	अंतिम से 8	आपो	आपके
222	अंतिम से 5	रिजवशन	रिजर्वेशन का
225	11	सखझ	समझ
225	अंतिम से 7	अय	आय
233	1	श्री ावणलाल	श्री श्रवणलाल
235	अंतिम से 9	श्री गिरधार लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
238	अंतिम से 14	,,श्री गिरधा ोलाल ्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
239	7	चल	चलते
240	14	प्री डोकल	प्री मेडिकल
242	10	आगूमट	आर्गूमेन्ट
251	5	अगल	अलग
256	अंतिम	नजिस्ट्रेट	मजिस्ट्रेट
258	7	गाद	गोद
272	5	क	कि
263	5	भय कर	भयंकर
269	3	मननीत	मनोनीत
271	2	संख्या-का	संख्या 5 की
